भारत
के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिये
प्रतिवेदन

संख्या 1
(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना		VII
विहंगावलोकन		IX
अध्याय 1- सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	1.2	6
संग्रह की लागत	1.3	9
कर निर्धारण के बकाया मामले	1.4	10
संग्रह का विश्लेषण	1.5	15
असंग्रहीत राजस्व	1.6	15
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.7	18
अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियां	1.8	18
अध्याय 2 - व्यापार कर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	2.1	22
व्यापार कर विभाग में सचल दलों की कार्य प्रणाली	2.2	23
मालों के गलत वर्गीकरण के कारण कम कर का आरोपण	2.3	34
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.4	36
क्रय कर का अनारोपण	2.5	43
गलत दर से कर का लगाया जाना	2.6	45
अनियमित छूट	2.7	47
घोषणा-प्रपत्र के दुरुपयोग के कारण राजस्व की हानि	2.8	47
मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि	2.9	49
केन्द्रीय बिक्रीकर का अवनिर्धारण	2.10	50
पंजीयन प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति	2.11	51

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में विफलता	2.12	52
अतिरिक्त कर का कम आरोपण	2.13	53
ब्याज का प्रभारित न किया जाना	2.14	54
कर का कम आरोपण	2.15	54
कर का अनारोपण	2.16	55

अध्याय 3 - राज्य आबकारी

लेखा परीक्षा के परिणाम	3.1	57
नियमों के अनुपालन न किये जाने से राजस्व-हानि	3.2	58
निर्यात शुल्क की गलत दर लगाये जाने से राजस्व-हानि	3.3	60
विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न किया जाना	3.4	61
भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण आबकारी शुल्क का कम लगाया जाना	3.5	62
विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन में विलम्ब से राजस्व-हानि	3.6	63
बिना अनुज्ञापन के व्यापार करने से राजस्व की हानि	3.7	63
बियर पर अभिकर का कम आरोपित किया जाना	3.8	64
अनुज्ञापन शुल्क का विलम्ब से जमा किया जाना	3.9	64

अध्याय 4 - वाहनों , माल एवं यात्रियों पर कर

लेखा परीक्षा के परिणाम	4.1	66
सरकारी अधिसूचना के प्रसारण में बिलम्ब के कारण राजस्व-हानि	4.2	66
अनुबन्धित वाहनों पर यात्रीकर का निर्धारण न किया जाना	4.3	67
पुनरीक्षित न्यूनतम किराये के अपनाये जाने में विफलता	4.4	68
पंजीयन चिन्ह आवंटित न करने के कारण राजस्व-हानि	4.5	69
शुद्ध किराये कि गलत गणना के कारण यात्रीकर का कम आरोपण	4.6	69

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
सकल किराये की गलत गणना किये जाने के कारण यात्रीकर का कम आरोपण	4.7	70
मार्ग की दूरी की गलत गणना करने के कारण यात्रीकर का अवनिर्धारण	4.8	70
फेरों की कम संख्या अपनाये जाने के कारण यात्रीकर का कम आरोपण	4.9	71
मार्ग-कर का कम वसूल किया जाना	4.10	71
मार्ग-कर का कम आरोपण	4.11	72
ट्रैक्टर टेलरों के लिए परमिट फीस वसूल न किया जाना	4.12	72
रोकड़ बही का अनियमित रख-रखाव तथा सरकारी धन का जमा न किया जाना	4.13	73

अध्याय 5 - स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस

लेखा परीक्षा के परिणाम	5.1	74
कृषि / कृषि-इतर भूमि के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	5.2	74
विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण	5.3	77

अध्याय 6 - भू-राजस्व

लेखा परीक्षा के परिणाम	6.1	79
भू-राजस्व का बकाया	6.2	80
संग्रह प्रभारों का न / कम वसूल किया जाना	6.3	85

अध्याय 7 - वन प्राप्तियां

लेखा परीक्षा के परिणाम	7.1	87

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
अधिक पेड़ों का कटान	7.2	88
लीसा के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि	7.3	88
खैर वृक्षों के उत्पादन का त्रुटिपूर्ण आगणन	7.4	89
अनुमान की त्रुटिपूर्ण गणना से राजस्व हानि	7.5	89
पारगमन शुल्क (ट्रांजिट फीस) का वसूल न किया जाना	7.6	90
लाटों पर कार्य न किये जाने से राजस्व हानि	7.7	91
नीलामी में विलम्ब से राजस्व हानि	7.8	92
विस्तार शुल्क का कम वसूल किया जाना	7.9	93

अध्याय 8 - अन्य विभागीय प्राप्तियां

क- सिंचाई विभाग

लेखा परीक्षा के परिणाम	8.1	95
अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली करना	8.2	96
राजकीय नलकूपों की मरम्मत में बिलम्ब के कारण राजस्व-हानि	8.3	97

ख - लोक निर्माण विभाग

लेखा परीक्षा के परिणाम	8.4	98
अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	8.5	99
पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	8.6	100
पट्टा अनुबन्ध को बंध की तरह गलत वर्गीकृत किये जाने के कारण राजस्व की हानि	8.7	100
सरकारी आदेशों के प्रसारित करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	8.8	101
विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	8.9	101
सरकारी देयों के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षति पूर्ति का वसूल न किया जाना	8.10	102

	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
ग - सहकारिता विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	8.11	103
संग्रह प्रभारों का न / कम जमा किया जाना	8.12	103
घ - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	8.13	104
अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	8.14	105

प्रस्तावना

31 मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये है ।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों और सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है । प्रतिवेदन में बिक्रीकर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क , भू-राजस्व, वन एवं राज्य की अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों को समाहित करते हुए निरुपित किया गया है ।

प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 1994-95 में तथा पूर्ववर्ती वर्षों में अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका ।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 1 समीक्षा सहित कर के अनारोपण, कम आरोपण, ब्याज, अर्थदण्ड इत्यादि से संबंधित 6.72 करोड़ रुपए के 57 प्रस्तर सम्मिलित किए गए हैं ।

कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए जा रहे है:-

1. सामान्य

(i) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाही गई कुल प्राप्तियां 13,393.23 करोड़ रुपए थी। कुल प्राप्तियों में से 4878.32 करोड़ रुपए (36.4 प्रतिशत) कर राजस्व तथा 1889.32 करोड़ रुपए (14.1 प्रतिशत) कर भिन्न राजस्व से संबंधित है । भारत सरकार से अनुदान तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से के रुप में कुल प्राप्तियां 6,625.59 करोड़ रुपए (49.5 प्रतिशत) थी । वर्ष 1994-95 में कर प्राप्तियों की वृद्धि दर, विगत वर्ष के 6 प्रतिशत के विरुद्ध 18 प्रतिशत थी ।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.2)

(ii) बिक्रीकर के कर निर्धारण मामलों को उनके कालातीत होने के ठीक पहले अन्तिम रुप देने की प्रवृत्ति रही । वर्ष 1994-95 में अन्तिम रुप दिए गए 3.73 लाख बिक्री कर के कर निर्धारण मामलों में से 55 प्रतिशत ऐसे मामले थे जो आगामी वित्तीय वर्ष में कालातीत हो गए होते । 1994-95 के दौरान कर निर्धारण के 64 प्रतिशत मामलों को वर्ष के अंतिम तिमाही में अंतिम रुप दिया गया ।

(प्रस्तर 1.4 (क) (i), (ii) तथा (iii))

(iii) वर्ष 1994-95 के दौरान बिक्रीकर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क , भू-राजस्व , वन, विभागीय कार्यालयों आदि के अभिलेखों की नमूना जांच करने पर 2207 मामलों में 81.38 करोड़ रुपए के अवनिर्धारण/ कम निर्धारण से राजस्व हानि का पता चला । संबंधित विभागो ने 53.40 करोड़ रुपए का अवनिर्धारण इत्यादि को स्वीकार किया जिसमें से 39.72 करोड़ रुपए की धनराशि वर्ष 1994-95 से तथा शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षो से संबंधित थी ।

(प्रस्तर 1.7)

(iv) जून 1995 तक 359.82 करोड़ रुपए के राजस्व से सम्बद्ध 10168 प्रस्तरों के 3390 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जो कि दिसम्बर 1994 तक जारी किए गए थे, समाधान हेतु लम्बित थे । 485 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में तो प्रथम उत्तर भी नहीं प्राप्त हुआ था (नवम्बर 1995) ।

(प्रस्तर 1.8)

2. व्यापार कर

(i) "व्यापार कर विभाग में सचल दल इकाईयों की कार्य प्रणाली पर समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

(क) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान 9 इकाईयों में वाहनों के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 50 से 89 प्रतिशत के मध्य लक्ष्य-प्राप्ति हुई । भौतिक सत्यापन हेतु जांच किये गये वाहनों में से 80 से 87 प्रतिशत वाहन बिना वैध कागजातों के पाये गये ।

(प्रस्तर 2.2.5)

(ख) वर्ष 1978-79 से 1993-94 तक अभिग्रहित माल में से 92.12 लाख रुपए मूल्य की 307 वस्तुएँ अनिस्तारित पड़ी थी ।

(प्रस्तर 2.2.6 (i))

(ग) 43 मामलों में 12.10 लाख रुपए के जमानत / अर्थदण्ड की राशि कम वसूल की गई थी।

(प्रस्तर 2.7.7 (क))

(ii) वस्तुओं के गलत वर्गीकरण किये जाने के फलस्वरुप 7 मामलों में 58.14 लाख रुपए के कर की राशि कम आरोपित की गई ।

(प्रस्तर 2.3)

(iii) 11 मामलों में राज्य के बाहर से वस्तुओं के अनियमित खरीद पर 85.10 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.4 (ख))

(iv) घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग किये जाने के फलस्वरुप 7.88 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई।

(प्रस्तर 2.8 (क) (ख))

(v) व्यापारियों के पंजियन हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न किये जाने के फलस्वरुप 34.82 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई।

(प्रस्तर 2.12 (क))

(vi) आर० ई० पी० लाइसेंसों की बिक्री पर कर के अनारोपण के फलस्वरुप 11.75 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 2.16 क (i))

3. राज्य आबकारी

(i) मदिरा की दुकानों की नीलामी में नियमों का अनुपालन न किये जाने के कारण 176.26 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 3.2 (क) (ख))

(ii) आबकारी राजस्व के विलम्ब से जमा किये जाने के फलस्वरुप 9.20 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई ।

(प्रस्तर 3.4)

4. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

21 अनुबंधित वाहनों पर यात्री-कर निर्धारित न किये जाने के फलस्वरुप 10.22 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई।

(प्रस्तर 4.3)

5. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस

कृषि / कृषि - इतर भूमि के अवमूल्यन के फलस्वरुप 9.36 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया ।

(प्रस्तर 5.2)

6. **भू-राजस्व**

5 जनपदों में भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य संग्रह प्रभारों को न वसूले जाने / कम वसूले जाने के परिणामस्वरुप 9.76 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 6.3)

7. **वन प्राप्तियां**

एक वन प्रभाग में वृक्षों के अधिक कटान के फलस्वरुप 35.22 लाख रुपए की हानि हुई ।

(प्रस्तर 7.2)

अध्याय - 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान उगाहा गया कर एवं गैर- कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत दो वर्षों के तद्नुरुपी आँकड़े नीचे दिए गए हैं ;

		1992-93	1993-94	1994-95
			(करोड़ रुपये में)	
I.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**			
	(क) कर-राजस्व	3886.34	4132.00	4878.32
	(ख) गैर कर राजस्व	1420.89	1717.51	1889.32
	योग	**5307.23**	**5849.51**	**6767.64**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**			
	(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	3398.61	3552.07	3959.76*
	(ख) सहायक अनुदान	2970.34	2729.84	2665.83
	योग	**6368.95**	**6281.91**	**6625.59**
III.	**राज्य की कुल प्राप्तियां** (I + II)	11676.18	12131.42	13393.23**
IV.	**I से III की प्रतिशतता**	45	48	51

* विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1994-95 के वित्त लेखों में "लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखों का विवरण संख्या 11" देखें । इस विवरण में वित्त लेखे में, लेखाशीर्ष क- कर राजस्व के अंतर्गत "0021 - निगम कर से भिन्न आय पर कर-राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों के हिस्से" के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है ।

** विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1994-95 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के वित्त लेखों का विवरण संख्या - 11 देखे ।

(i) वर्ष 1994-95 के लिए कर राजस्व का विवरण साथ ही पूर्ववर्ती दो वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं तथा रेखाचित्र- 1 में भी दर्शाये गए हैं।

राजस्वशीर्ष	1992-93	1993-94	1994-95	1993-94 के संदर्भ में 1994-95 में वृद्धि	1993-94 के संदर्भ में वृद्धि की प्रतिशतता
	-----(करोड़ रुपए में)-----				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. बिक्रीकर *	1654.35	1755.26	2046.79	(+) 291.53	16.61
2. राज्य आबकारी	884.72	957.04	1104.64	(+) 147.60	15.42
3. स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क	460.47	531.62	631.54	(+) 99.92	18.80
4. मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	300.97	336.58	501.00	(+) 164.42	48.85
5. माल एवं यात्रियों पर कर	195.12	194.55	194.79	(+) 00.24	0.12
6. वाहनों पर कर	102.96	98.49	108.06	(+) 9.57	9.72
7. गन्ने के क्रय पर कर	65.71	57.40	57.64	(+) 0.24	0.42
8. विद्युत पर कर और शुल्क	63.58	56.43	68.69	(+) 12.26	21.73

* दिनांक 14 मई 1994 से बिक्रीकर का नामकरण व्यापार कर किया गया ।

(2 - क)

कर-राजस्व की बढ़ोत्तरी

वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक

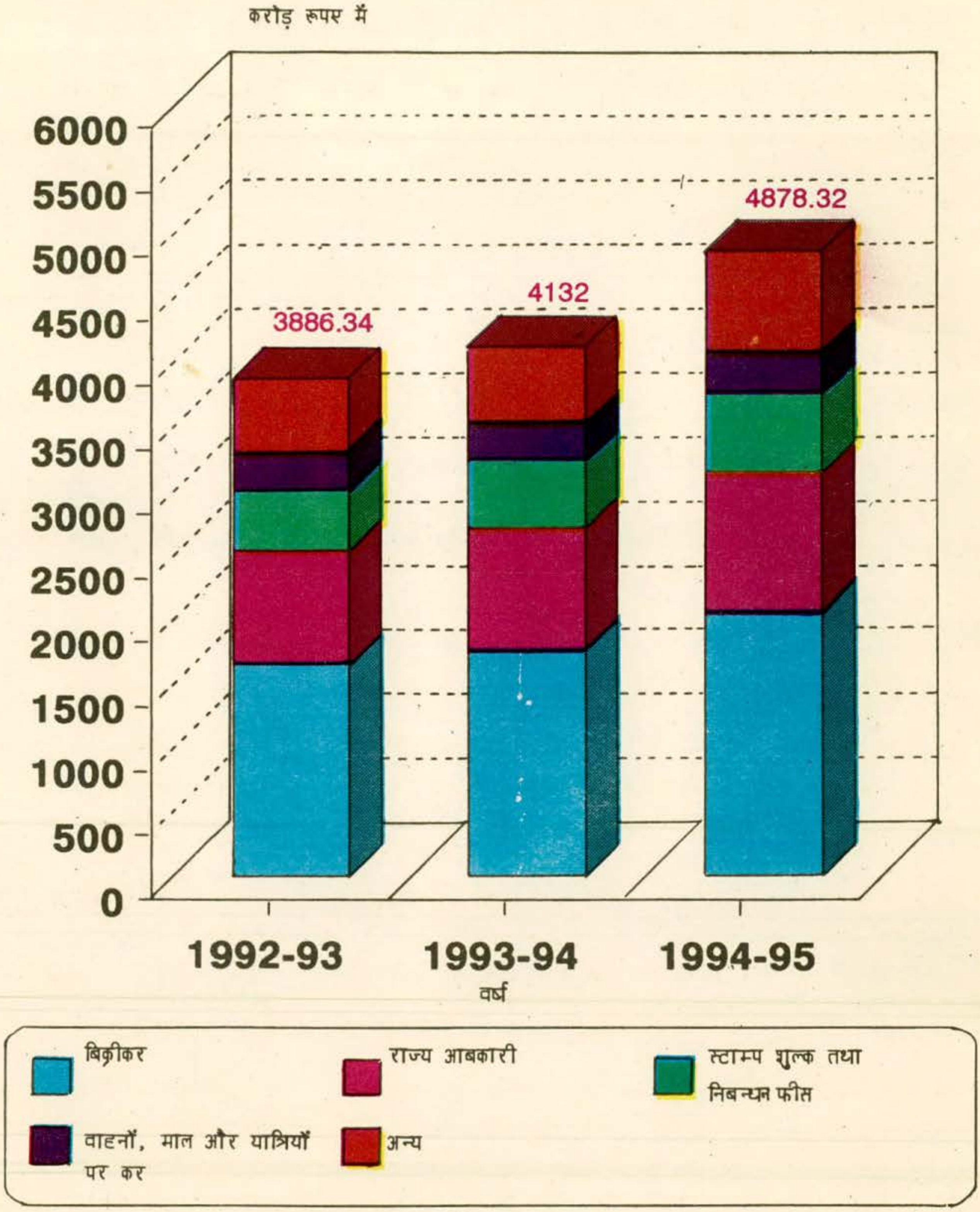

(संदर्भ प्रस्तर 1.1 (i) पृष्ठ संख्या - 2)

रेखा चित्र - 1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	भू-राजस्व	60.32	47.76	53.80	(+) 6.04	12.65
10.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	1.78	00.001	2.88	(+) 2.88	-
11.	कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	1.79	00.06	7.19	(+) 7.13	-
12.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	94.57	96.81	101.30	(+) 4.49	4.63
	योग	**3886.34**	**4132.00**	**4878.32**	**(+) 746.32**	**18.00**

वर्ष 1993-94 की प्राप्तियों की तुलना में संबंधित शीर्षों "आय तथा व्यय पर अन्य कर", "कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर" , "मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर" और "विद्युत पर कर और शुल्क" के अन्तर्गत पर्याप्त वृद्धि हुई ।

संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित , 1994-95 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विगत वर्ष से 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का कारण निम्नवत है :-

(1) बिक्रीकर

विभाग ने 1994-95 के दौरान 16.6 प्रतिशत बृद्धि को सामान्य वृद्धि बताया जो विगत 10 वर्षो के दौरान औसतन 15 प्रतिशत रही ।

(2) स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस

विभाग ने अतिरिक्त राजस्व का कारण, विगत वर्ष की तुलना में पंजीयन हेतु 18,401

विलेखों की वृद्धि तथा साथ ही साथ मुद्रा स्फीति से संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होना बताया ।

अन्य विभागों से , अनुवर्ती अनुस्मारकों के बावजूद, भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुए है ।

(ii) वर्ष 1994-95 के लिए गैर-कर राजस्व का विवरण साथ ही उन विभागों के संबंध में पूर्व के दो वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गये है तथा रेखा-चित्र- ।। में दर्शायें गए है :-

राजस्व शीर्ष	1992-93	1993-94	1994-95	1993-94 के संदर्भ में 1994-95 में वृद्धि(+) या कमी (-)	1993-94 के संदर्भ में प्रतिशतता में वृद्धि/कमी
		(करोड़ रुपए में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. विविध सामान्य सेवायें	513.30	778.94	914.15	(+) 135.21	17
2. ब्याज प्राप्तियां	317.70	354.78	373.43	(+) 18.65	5
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	106.88	121.16	81.89	(-) 39.27	(-) 32
4. वृहत और मध्यम सिंचाई	45.97	161.23	65.48	(-) 95.75	(-) 59
5. शिक्षा, खेल,कला और संस्कृति	55.92	29.94	41.24	(+) 11.30	38
6. अन्य प्रशासनिक सेवायें	32.52	20.72	70.09	(+) 49.37	238
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	24.99	61.16	120.31	(+) 59.15	97

कर-भिन्न राजस्व की बढ़ोत्तरी
वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक

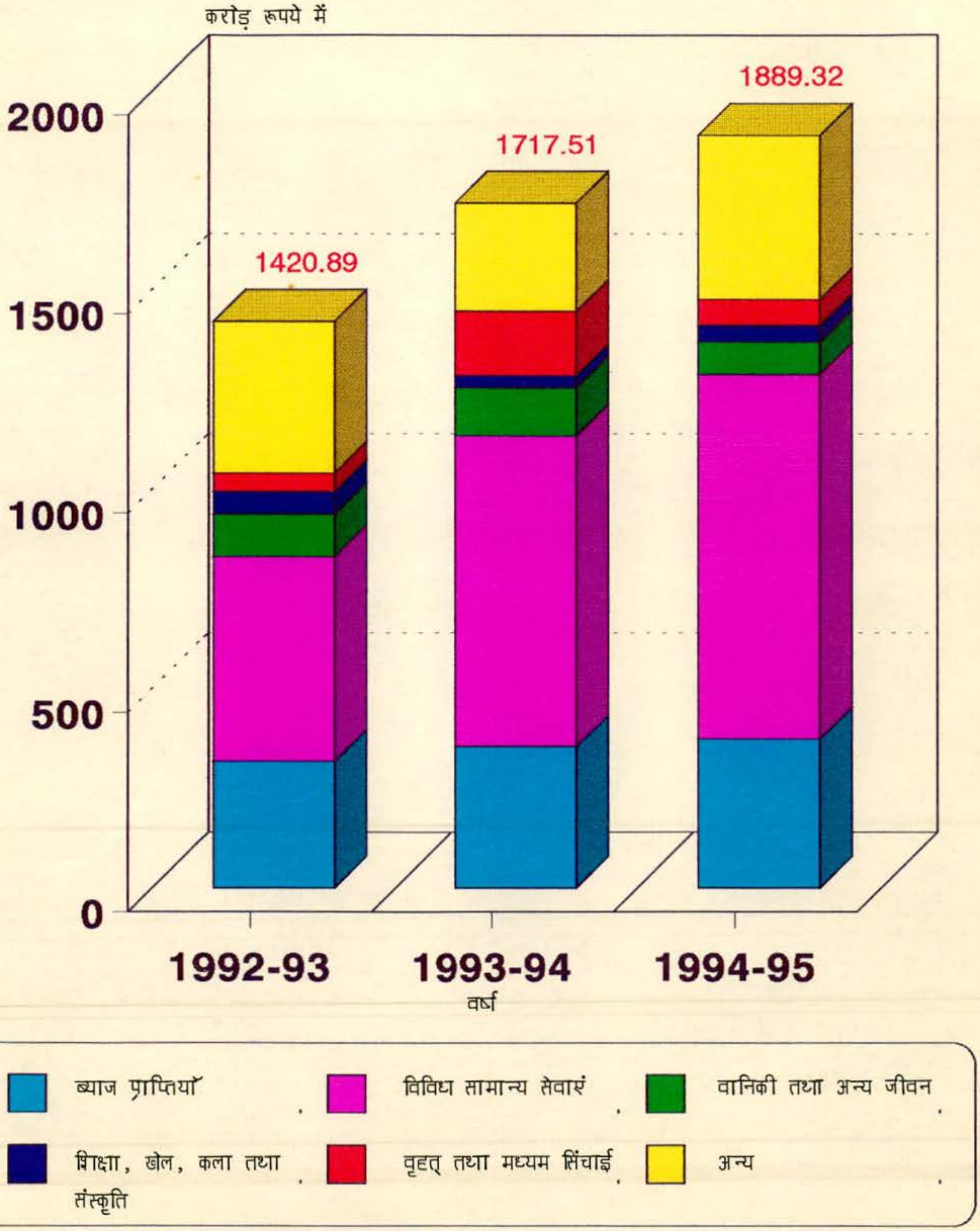

(संदर्भ प्रस्तर 1.1 (ii) पृष्ठ संख्या - 4)

रेखा चित्र - 11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. पुलिस	27.77	27.41	17.92	(-) 9.49	(-) 35
9. क्राप हसबेण्ड्री	12.58	15.61	27.17	(+) 11.56	74
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	44.59	4.45	3.46	(-) 0.99	(-) 22
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	18.61	14.77	18.95	(+) 4.18	28
12. लघु सिंचाई	46.01	21.91	27.94	(+) 6.03	28
13. सड़क एवं सेतु	11.13	17.32	18.18	(+) 0.86	5
14. लोक निर्माण	9.31	14.92	13.79	(-) 1.13	(-) 8
15. सहकारिता	53.33	5.98	7.30	(+) 1.32	22
16. अन्य	100.28	67.21	88.02	(+) 20.81	31
योग	1420.89	1717.51	1889.32	(+)171.81	10

वर्ष 1994-95 में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण अन्तर रहा :

वर्ष 1993-94 की तुलना में संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत "अन्य प्रशासनिक सेवाएँ" (238 प्रतिशत), "अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग" (97 प्रतिशत), "क्राप हस्बैण्ड्री" (74 प्रतिशत), "शिक्षा , खेल, कला और संस्कृति" (38 प्रतिशत), "चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य"(28 प्रतिशत) तथा "लघु सिंचाई" (28 प्रतिशत) में पर्याप्त बृद्वि रही, जब कि 1993-94 की प्राप्तियों की तुलना में शीर्ष "वृहत और मध्यम सिंचाई" (59 प्रतिशत), "पुलिस" (35 प्रतिशत), "वानिकी एवं वन्य जीवन" (32 प्रतिशत) तथा "सामाजिक सुरक्षा एवं जन कल्याण" के अन्तर्गत (22 प्रतिशत) की विचारणीय गिरावट आई ।

वर्ष 1994-95 के दौरान गैर-कर राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विगत वर्ष से 10

प्रतिशत से अधिक की वृद्धि / कमी का कारण , जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा दिया गया , निम्नवत है :-

1 **वानिकी एवं वन्य जीवन**

विभाग ने गिरावट का कारण (i) उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा रायल्टी का भुगतान न किया जाना तथा (ii) न्यायालय द्वारा "लीसा" की विक्री पर स्थगन आदेश दिया जाना बताया ।

2. **वृहत और मध्यम सिंचाई**

विभाग ने चालू वर्ष के दौरान गिरावट का कारण, विगत वर्ष में अवशेषों की अधिक वसूली किया जाना बताया ।

3. **शिक्षा , खेल, कला और संस्कृति**

विभाग ने वृद्धि का कारण , विगत वर्षों में विभिन्न क्लबों तथा संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों की उपभोग न की गई धनराशि का जमा किया जाना बताया ।

अनुवर्ती अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद अन्य विभागों से भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुए है ।

1.2 **बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर**

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान कर-राजस्व तथा गैर-कर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर नीचे दिए गए हैं :-

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता, वृद्धि(+)/ कमी(-)	भिन्नता की प्रतिशतता
	--(करोड़ रुपए में)--			
क. कर राजस्व	4696.38	4878.32	(+) 181.94	(+) 3.9
ख. गैर कर राजस्व	1771.61	1889.32	(+) 117.71	(+) 6.6

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत भिन्नता का विभाजन निम्नवत् है :

राजस्व शीर्ष		बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता वृद्धि (+)/ कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़ रुपए में)			
क. कर राजस्व					
	बिक्रीकर	1929.00	2046.79	(+) 117.79	6.1
2.	राज्य आबकारी	1056.90	1104.64	(+) 47.74	4.5
3.	स्टाम्प एवं पंजीयन	588.18	631.54	(+) 43.36	7.4
4.	मोटर स्पिरिट एवं स्नेहकों की बिक्री पर कर	511.42	501.00	(-) 10.42	(-) 2.0
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	221.21	194.79	(-) 26.42	(-) 11.9
6.	वाहनों पर कर	106.14	108.06	(+) 1.92	1.8
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, मनोरंजन कर	107.24	101.30	(-) 5.94	(-) 5.5
8.	गन्ने के क्रय पर कर	71.05	57.64	(-) 13.41	(-) 18.9

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
9.	विद्युत पर कर और शुल्क	70.73	68.69	(-) 2.04	(-) 2.9
10.	भू-राजस्व	31.01	53.80	(+) 22.79	73.5
ख	**गैर-कर राजस्व**				
1.	विविध सामान्य सेवायें	885.35	914.15	(+) 28.80	3.3
2.	ब्याज प्राप्तियां	368.58	373.43	(+) 4.85	1.3
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	105.98	81.89	(-) 24.09	(-) 22.7
4.	वृहत एवं मध्यम सिंचाई	64.07	65.48	(+) 1.41	2.2
5.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	46.67	41.24	(-) 5.43	11.6

बजट अनुमानों के ऊपर वास्तविक प्राप्तियों में "भू-राजस्व" शीर्ष (73.5 प्रतिशत) के अन्तर्गत उल्लेखनीय वृद्धि रहीं, जब कि शीर्ष "वानिकी एवं वन्य जीवन" (22.7 प्रतिशत) तथा "गन्ने के क्रय पर कर" (18.9 प्रतिशत) की प्राप्तियों में उल्लेखनिय गिरावट आई ।

वर्ष 1994-95 के दौरान बजट अनुमानों के ऊपर विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत संबंधित विभागों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक की कमी के कारण निम्नवत दिए गये :

1. **माल तथा यात्रियों पर कर**

विभाग ने कमी का कारण उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम से यात्रीकर की वसूली न किया जाना बताया ।

2. **वानिकी एवं वन्य जीवन**

विभाग ने कमी का कारण (i) उ0 प्र0 वन निगम द्वारा रायल्टी का भुगतान न किया जाना तथा (ii) न्यायालय द्वारा लीसा के विक्रय पर स्थगन आदेश दिया जाना बताया ।

अनुवर्ती अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद अन्य विभागों से भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुए हैं ।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 1992-93 , 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान राजस्व के प्रमुख शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रह पर हुये व्यय तथा सकल संग्रह पर हुये व्यय के प्रतिशत के साथ-साथ वर्ष 1993-94 के दौरान सकल संग्रह पर हुये व्यय की अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1993-94 के आधार पर अखिल भारतीय औसत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		----(करोड़ रुपए में)---			
1. बिक्रीकर	1992-93	1654.35	39.28	2.4	
	1993-94	1755.26	42.85	2.4	1.5
	1994-95	2046.79	45.00	2.2	
2. वाहनों पर कर	1992-93	102.96	4.25	4.1	
	1993-94	98.49	4.80	4.9	2.9
	1994-95	108.06	5.78	5.3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. माल तथा	1992-93	195.12	2.43	1.2	
यात्रियों पर	1993-94	194.55	2.70	1.4	
कर	1994-95	194.79	2.04	1.0	
4. विद्युत शुल्क	1992-93	63.58	2.13	3.4	
	1993-94	56.43	2.39	4.2	
	1994-95	68.69	2.55	3.7	
5. मनोरंजन कर	1992-93	94.57	20.57	21.8	
	1993-94	96.81	9.29	10.0	
	1994-95	101.31	7.48	7.4	
6. राज्य आबकारी	1992-93	884.72	12.03	1.4	
	1993-94	957.04	10.85	1.1	2.2
	1994-95	1104.64	12.01	1.1	
7. स्टाम्प शुल्क एव	1992-93	460.47	6.41	1.4	
पंजीयन	1993-94	531.62	1.98	0.4	4.9
	1994-95	631.54	9.32	1.5	

"वाहनों पर कर" शीर्ष के अन्तर्गत संग्रह पर हुए व्यय में वृद्धि, 1992-93 में सकल संग्रह के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 4.9 प्रतिशत हुई, पुनः 1994-95 में बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो गई, जब कि शीर्ष "मनोरंजन कर" (10 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत) तथा " विद्युत शुल्क" (4.2 प्रतिशत से 3.7 प्रतिशत) के अन्तर्गत 1993-94 की तुलना में कमी आई ।

शीर्ष "वाहनों पर कर " के संबंध में संग्रह पर व्यय की वृद्धि का कारण, विभाग ने (i) तीन नए उप-संभागों का खोला जाना तथा (ii) कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता/अंतरिम सहायता तथा प्रपत्रों की छपाई के मूल्य में वृद्धि बताया ।

1.4 कर निर्धारण के बकाया मामले

(क) बिक्रीकर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

(i) कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के

मामले, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु अपेक्षित मामले, वर्ष में निस्तारित किये गये मामले तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या, जैसा कि बिक्री कर विभाग द्वारा सूचित किया गया है, निम्नवत है :-

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु अपेक्षित मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 6 की 4 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1990-91	8,12,978	3,60,130	11,73,108	5,27,962	6,45,146	55.0
1991-92	7,18,433	3,76,111	10,94,544	4,50,354	6,44,190	59.0
1992-93	7,10,790	3,87,506	10,98,296	4,16,982	6,81,314	62.0
1993-94	7,41,996	3,94,868	11,36,864	3,94,101	7,42,763	65.0
1994-95	8,01,418	4,11,320	12,12,738	3,72,718	8,40,020	69.0

स्पष्ट है कि वर्ष 1990-91 से 1993-94 के लिए अन्तशेष में उत्तरवर्ती वर्षो के आदि शेष से भिन्नता है । विभाग ने बताया कि यह स्थिति मामलों की संवीक्षा, त्रुटि सुधार तथा पिछली तिथि से पंजीयन देने के कारण है। यह आवश्यक है कि विभाग, अभिलेखों के रख-रखाव की व्यवस्था को ठीक करे जिससे कि आंकड़ों की संगति एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके ।

अवलोकनीय है कि वर्ष 1994-95 के अन्त में 69 प्रतिशत मामले निर्धारण के लिए लंबित थे । इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति का प्रतिशत 1990-91 में 55 से 1994-95 में 69 हो गया ।

31 मार्च 1995 को लम्बित कर निर्धारण वादों का वर्षवार विभाजन निम्नवत तालिकानुसार था:

कर निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1989-90 तक	3,700
1990-91	19,040
1991-92	2,10,555
1992-93	2,64,615
1993-94	3,38,058
पुनर्कर निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा प्रति प्रेषित मामले	4052
योग	**8,40,020**

(II) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के प्रथम नौ माह के दौरान तथा शेष तीन माह के दौरान निष्पादित कर निर्धारणों की तुलनात्मक स्थिति नींचे दी गयी है :

	1993-94			1994-95		
अवधि	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गयी मांगे (करोड़ रुपए में)	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की प्रतिशतता	निष्पादित कर निर्धारण मामलों की संख्या	उठाई गयी मांगे (करोड़ रुपए में)	निष्पादित कर निर्धारणों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अप्रैल से दिसम्बर	1,97,192	245.07	50	1,34,790	223.66	36
जनवरी से मार्च	1,96,909	548.75	50	2,37,928	778.25	64
योग	3,94,101	793.82		3,72,718	1001.91	

यह स्पष्टतः परिलक्षित है कि माह अप्रैल से दिसम्बर के मध्य मामलों के निस्तारण की दर (औसतन 14977 मामले प्रति माह) वर्ष के अन्तिम तिमाही से (औसतन 79309 मामले प्रति माह) बहुत कम रहा । 1994-95 के प्रथम तीन तिमाही में उठाई गई अतिरिक्त मांग, (223.66 करोड़ रुपए) अन्तिम तिमाही के दौरान उठायी गई मांग (778.25 करोड़ रुपए) से भी बहुत कम थी । अन्तिम तिमाही में निस्तारित वादों की प्रतिशतता वर्ष 1993-94 में 50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 64 प्रतिशत हो गयी ।

(III) नीचे दिए गए निष्पादित मामलों के विभाजन से स्पष्ट है कि प्रतिबन्धित अवधि के एकदम अन्त में भारी संख्या में मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति रही है । विभाजन से प्रकट होता है कि निपटाए गए मामलों में से 55 प्रतिशत से अधिक मामले तीन वर्ष से अधिक पुराने थे जो यदि उसी वर्ष के दौरान निस्तारित न किए गए होते तो वे कालातीत हो जाते ।

31 मार्च को समाप्त हुए	**जिस वर्ष से सम्बन्धित है, उन वर्षों के अनुसार निस्तारित मामलों का विभाजन**		
वर्ष	**वर्ष**	**मामलों की संख्या**	**प्रतिशतता**
(1)	(2)	(3)	(4)
1994	1988-89 तक	31353	8
	1989-90	186776	47
	1990-91	46644	12
	1991-92	39305	10
	1992-93	81595	21
	प्रति प्रेषित मामले	8428	2
	योग	**394101**	
1995	1989-90 तक	29553	8
	1990-91	189040	51
	1991-92	40030	11
	1992-93	44885	12
	1993-94	62318	16
	प्रति प्रेषित मामले	6892	2
	योग	**372718**	

प्रतिबन्धित अवधि के एकदम अन्त में भारी संख्या में मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति से हड़बड़ी में किये गये कर-निर्धारण, अभिलेखों की अपर्याप्त जांच तथा समय व्यपगत होने के साथ व्यापारीके दिवालिया या गुम हो जाते हैं ।

(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक के अपील एवं पुनरीक्षण के मामले जो बिक्री कर विभाग द्वारा निस्तारित किये जाने थे, तथा जो मामले निस्तारित किये गये, की संख्या तथा साथ ही साथ वर्ष 1994-95 के अन्त में अपील एवं पुनरीक्षण के निष्पादन हेतु लम्बित तथा विभाग द्वारा सूचित मामलों की संख्या नीचे प्रदर्शित है :

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपीलों की सं0	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अपील के मामले						
1990-91	84046	44282	128328	49206	79122	38
1991-92	79122	45957	125079	57103	67976	46
1992-93	67976	45219	113195	48765	64430	43
1993-94	64430	45017	109447	46775	62672	43
1994-95	62672	30150	92822	36520	56302	39
पुनरीक्षण के मामले						
1990-91	51656	21369	73025	18848	54177	26
1991-92	54177	25087	79264	18837	60427	24
1992-93	60427	23537	83964	19324	64640	23
1993-94	64640	22212	86852	19483	67369	22
1994-95	67369	16442	83811	16458	67353	20

अवलोकनीय है कि 1989-90 के अंत में लम्बित अपील के मामलों की संख्या 84046 से घट कर वर्ष 1994-95 के अन्त में 56302 हो गयी तथा 1989-90 के अन्त में निस्तारण हेतु लम्बित पुनरीक्षण के मामलों में 51656 से 1994-95 के अन्त में 67353 होने पर 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी ।

1.5 संग्रह का विश्लेषण

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1994-95 के दौरान बिक्रीकर के सकल संग्रह का विभाजन , (पूर्व निर्धारण की अवस्था तथा नियमित निर्धारण के पश्चात) पूर्व के दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़ों के साथ नीचे दिया जा रहा है ।

करशीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण अवस्था में संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात संग्रहीत धनराशि	अन्य प्राप्तियां	प्रत्यार्पित धनराशि	कर का शुद्ध संग्रह	कालम 3 की 7 से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(	करोड़	रुपए		में	)
बिक्रीकर	1992-93	1526.46	101.41	22.77	8.15	1642.49	93
	1993-94	1699.74	121.32	23.48	7.49	1837.05	93
	1994-95	1952.92	102.09	15.54	10.50	2060.05	95

मार्च 1995 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की बिक्रीकर विभाग द्वारा दी गयी राजस्व वसूली की स्थिति यह बताती है कि पूर्व निर्धारण अवस्था का राजस्व संग्रह का प्रतिशत 93 से 95 हो गया, जो करदाताओं की स्वेच्छिक अनुपालन की जागरुकता तथा आय के उच्च लक्ष्य प्राप्ति में संलग्न बिक्रीकर विभाग के कर संग्रह साधनों के सीमित कर्तव्यों को प्रकट करती है ।

1.6 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्षो के अन्तर्गत 31 मार्च 1995 को राजस्व बकाया , जैसा विभाग द्वारा सूचित किया गया, निम्नवत था :-

राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया	अभ्युक्ति
	(करोड़ रुपए में)		
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बिक्रीकर	2401.10	540.38	2401.10 करोड़ रुपए में से 493.92 करोड़ रुपए

				के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । 413.58 करोड़ रुपए तथा 28.77 करोड़ रुपए की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी । प्रार्थना पत्रों की समीक्षा/परिशोधन के कारण 140.06 करोड़ रुपए की वसूली रुक गयी थी। 84.96 करोड़ रुपए की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र अन्य राज्यों को निर्गत किये गये थे । 125.28 करोड़ रुपए के लिए मांग के अपलिखित होने की संभावना थी । 1114.53 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण मांगा गया था (जून 1995) जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नही दी है (नवम्बर 1995) ।
2.	गन्ने पर क्रयकर (चीनी मिलें)	10.69	8.92	10.69 करोड़ रुपए में से 2.23 करोड़ रुपए के बकाये की भू राजस्व की भांति वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था और 2.55 करोड़ रुपए की किस्तों में वसूली करने का निर्णय लिया गया था। 5.65 क़रोड़ रुपए की वसूली सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 0.26 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये के संबंध में विभाग द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही का ववरण मांगा गया था (जून 1995) जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है (नवम्बर 1995) ।
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	14.18	7.16	14.18 करोड रुपए में से 6.29 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 0.62 करोड़ रुपए की वसूली न्यायालयों तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 7.04 करोड़ रुपए की एक मांग को हस्तगत जमानत के विरुद्ध समायोजित की जा रही थी। 0.08 करोड़ रुपए की मांग अपलिखित होने की संभावना थी । 0.15 करोड़ रुपए के सम्बन्ध

			में विभाग द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण माँगा गया था (जून 1995), जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है (नवम्बर 1995)।
4. मनोरंजन कर	8.58	0.04	8.58 करोड़ रुपए में से 0.71 करोड़ रुपए के लिए मांग को भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 7.08 करोड़ रुपए की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 0.79 करोड़ रुपए के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गई विशिष्ट कर्यवाही का विवरण मांगा गया था (जून 1995) जिसके संबंध में विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है (नवम्बर 1995)।
5. विद्युत कर	25.99	कोई नही	25.99 करोड़ रुपए में से 24.97 करोड़ रुपए की मांग (24.42 करोड़ रुपए रेनु सागर पावर कं0लि0 रेनुसागर, मिर्जापुर तथा 0.55 करोड़ रुपए अन्य इकाईयों के) को न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। 0.89 करोड़ रुपए की मांग को भू राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 0.13 करोड़ रुपए का अवशेष वसूली की प्रक्रिया में है।
6. राज्य आबकारी	68.94	30.10	68.94 करोड़ रुपए में से 15.43 करोड़ रुपए के के लिए मांग को भू राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 52.84 करोड़ रुपए की मांग न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 0.67 करोड़ रुपए की मांग देनदारों के दिवालिया हो जाने के कारण वसूल नहीं की जा सकी।

अन्य विभागों से सम्बन्धित बकाये की स्थिति यद्यपि, मांगी गयी थी, (सितम्बर 1995) किन्तु प्राप्त नहीं हुई (नवम्बर 1995)।

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1994-95 के दौरान बिक्रीकर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, वन प्राप्तियाँ एवं अन्य विभागीय प्राप्तियों के अभिलेखों के जाँच परीक्षण से 2207 मामलों में 81.38 करोड़ रुपए के कर अवनिर्धारण/ कम आरोपण / राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आये । 1994-95 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 721 मामलों में 48.44 करोड़ रुपए के कर अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये जिसमें से 39.72 करोड़ रुपए के 141 मामले , वर्ष 1994-95 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये और शेष विगत वर्षों से सम्बन्धित थे । इसके अतिरिक्त , लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने 8 लेखा परीक्षा आपत्तियों पर 16.90 लाख रुपए की वसूली की ।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण ,शुल्क, ब्याज , अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित 1 समीक्षा को सम्मिलित करते हुए 57 प्रस्तर है जिनमें 6.72 करोड़ रुपए की धनराशि सन्निहित हैं। विभाग / सरकार ने 2.07 करोड़ रुपये की लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है जिसमें सें अक्टूबर 1995 तक 8.97 लाख रुपए की वसूली कर ली गयी थी । अन्य मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

(i) त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, कर के कम आरोपण , शुल्क, फीस आदि पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां और साथ ही लेखापरीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पायी गयी कमियाँ जिनका स्थल पर समाधान न हो सका , को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है । अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है । कार्यालयाध्यक्षों द्वारा , सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(ii) राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 1994 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या तथा जिनके निस्तारण 30 जून 1995 तक विभागों द्वारा लम्बित रहे, साथ ही पूर्व के दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

	माह जून के अन्त में		
	1993	**1994**	**1995**
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3407	2746	3390

2. अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	8100	8964	10168
3. निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपयें में)	182.77	271.99	359.82

(iii) लेखा परीक्षा आपत्तियों तथा अनिस्तारित (30 जून 1995 को) निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्षवार विभाजन नीचे दिया गया है -

वर्ष (जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये गये)	**अनिस्तारित संख्या**		**निहित राजस्व (करोड़ रुपए में)**
	निरीक्षण प्रतिवेदन	**लेखा परीक्षा आपत्तियां**	
(1)	(2)	(3)	(4)
1990-91 तक	855	3182	121.97
1991-92	576	1565	41.95
1992-93	481	1854	58.20
1993-94	756	1767	47.42
1994-95	722	1800	90.28
योग	**3390**	**10168**	**359.82**

(iv) 30 जून 1995 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभाग वार विभाजन नीचे दिया गया है :-

प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित संख्या निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखा परीक्षा आपत्तियां	सन्निहित राजस्व की राशि (करोड़ रुपए में)	वर्ष ,जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या, जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	483	1666	237.66	1988-89 से 1994-95	51
2. बिक्रीकर	725	3036	39.83	1984-85 से 1994-95	94
3. सिंचाई	176	565	15.22	1984-85 से 1994-95	38
4. राज्य आबकारी	344	514	11.78	1984-85 से 1994-95	30
5. भू-राजस्व	308	862	12.76	1984-85 से 1994-95	38
6. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	227	1078	7.03	1984-85 से 1994-95	20
7. लोक निर्माण	194	472	11.88	1985-86 से 1994-95	40
8. गन्ने के क्रय पर कर	129	142	8.28	1985-86 से 1994-95	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	470	1284	7.51	1984-85 से 1994-95	117
10. अन्य विभाग					
(क)क्राप हस्बेन्ड्री, कृषि	71	166	4.34	1985-86 से 1994-95	8
(ख)विद्युत शुल्क	112	132	1.74	1985-86 से 1994-95	9
(ग) खाद्य एवं रसद	56	114	0.66	1985-86 से 1994-95	11
(घ) सहकारिता	44	62	0.44	1985-86 से 1994-95	5
(च)मनोरंजन कर	51	75	0.69	1986-87 से 1994-95	4
योग	**3390**	**10168**	**359.82**		**485**

प्रकरण , शासन के मुख्य सचिव के संज्ञान में अप्रैल 1995 में लाया गया था ; अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं (नवम्बर 1995) ।

अध्याय - 2

व्यापार कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1994-95 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों (13.5.94 तक बिक्रीकर कार्यालयों) के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखो की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच में कर के अवनिर्धारण तथा अर्थदण्ड व ब्याज के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 1246 मामले पाये गये जिनमें 1,805.59 लाख रुपए की राशि निहित थी जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है :

	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	अर्थदण्ड / ब्याज का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	594	595.07
2.	अनियमित छूट	106	94.18
3.	अतिरिक्त कर का अनारोपण	42	71.40
4.	कर की गलत दर	134	34.29
5.	माल का गलत वर्गीकरण	72	100.32
6.	आवर्तन (टर्नओवर) पर कर लगने से छूट जाना	31	13.83
7.	केन्द्रीय बिक्रीकर से संबंधित अनियमितताएँ	41	72.74
8.	कर का अवनिर्धारण	21	134.68
9.	अन्य अनियमितताएँ	205	689.08
		1246	**1805.59**

वर्ष 1994-95 के दौरान सम्बन्धित विभाग ने 299 मामलों में निहित 182.72 लाख रुपए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें से 20 मामलों में निहित 130.76 लाख रुपए 1994-95 के दौरान तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे । "व्यापार कर विभाग में सचल दलों की कार्यप्रणाली" पर की गयी समीक्षा सहित कुछ निदर्शी मामले , जिनमें 335.19 लाख रुपए का वित्तीय प्रभाव सम्मिलित है, निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये है:

2.2 "व्यापार कर विभाग में सचल दलों की कार्य प्रणाली"

2.2.1 प्रस्तावना

व्यापार कर, जिसे 13 मई 1994 तक बिक्रीकर के नाम से जाना जाता था , राज्य के राजस्व का मुख्य श्रोत है जो सम्पूर्ण कर राजस्व का लगभग 43 प्रतिशत होता है । यह उ0 प्र0 बिक्रीकर अधिनियम, 1948 और केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आरोपित एवं संग्रहीत किया जाता है । उ0 प्र0 बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, मुख्यतः निर्माता अथवा आयातकर्ता के बिन्दु पर और कुछ वस्तुओं की प्रथम खरीद पर, एक पदीय कराधान की पद्धति है ।

प्रदेश की सीमा के अन्दर माल के अनियमित आयात अथवा प्रदेश की सीमा के अन्दर माल के अनियमित संचलन तथा व्यापारी द्वारा लेखा बही में उनका लेखांकन न करने के तरीकों द्वारा कर के अपवंचन को रोकने एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत जांच के दो साधनों , "जांच चौकी" और "सचल दल", की स्थापना की है । अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा के साथ सामरिक महत्वे के स्थानो पर शासन ने जांच चौकियों की स्थापना की है। उक्त अधिनियम की धारा 13 एवं 13 - क के अन्तर्गत जून 1974 में जांच चौकियों के कार्यों के अनुपूरक के रुप में सचल दल इकाइयों की स्थापना की गयी । इन सचल दल इकाइयों से , प्रदेश के अन्दर उचित अभिलेखों से अनाच्छादित कागजातों के साथ माल के संचलन की जांच करना अपेक्षित है । वर्तमान समय में प्रदेश में सचल दल की 38 इकाइयां कार्य कर रही है ।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

सचल दल से सम्बन्धित समस्त नियन्त्रण एवं निदेशन के अधिकार कमिश्नर व्यापार कर में निहित है । सलच दल इकाइयों के कार्य सम्पादन के लिए एक सहायक कमिश्नर (प्रवर्तन) और एक सहायक कमिश्नर (जांच चौकी / सचल दल) को मुख्यालय लखनऊ में उप कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) के प्रभार के अन्तर्गत तैनात किया गया है जो सचल दल इकाइयों की कार्य प्रणाली की सामान्य नीतियों के निर्धारण एवं उनके क्रियान्वयन में सहायता करते है ।

क्षेत्र में , विभिन्न परिक्षेत्रों के उप कमिश्नर (शासकीय) के प्रभार के अन्तर्गत सहायक कमिश्नर (प्रवर्तन) एवं सहायक कमिशनर (जांच चौकी / सचल दल) द्वारा सचल दल इकाइयों पर नियंत्रण

रखा जाता है ।

सचल दल की इकाइयां जांच चौकियों के परिसर में अथवा मण्डल कार्यालयों में स्थापित की गई है । सचल दल इकाइयां , व्यापार कर अधिकारी, कार्यालय स्टाफ तथा सशस्त्र पुलिसजनों से पूरित की गई है ।

2.2.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सचल दल इकाइयां अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत विनिर्मित नियमों एवं निर्गत आदेशों / अनुदेशों के अनुसार कार्य कर रही हैं तथा उस प्रयोजन को पूर्ण कर रही है , जिसके लिए उन्हे बनाया गया था, अप्रैल 1995 से जून 1995 तक सचल दल की 38 इकाइयों में से 11 इकाइयों को आवृत्त करते हुए एक पुनरीक्षण किया गया । लेखा परीक्षा में वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी ।

2.2.4 मुख्य अंश

1. 11 में से 9 इकाइयों में, 1992-93 से 1994-95 की अवधि में वाहनों के भौतिक सत्यापन के लक्ष्य की प्राप्ति में 50 से 89 प्रतिशत की कमी थी और जांच किये गये वाहनों में 80 से 87 प्रतिशत वाहन ऐसे पाये गये जो बिना वैध कागजातों के माल का परिवहन कर रहे थे ।

(प्रस्तर - 2.2.5)

2. वर्ष 1978-79 से 1993-94 से सम्बन्धित 92.12 लाख रुपए मूल्य की 307 प्रकार की अभिग्रहीत वस्तुयें अनिस्तारित पड़ी थीं तथा 234 मदों से सम्बन्धित माल का मूल्य गोदाम रजिस्टर में अंकित नही था ।

(प्रस्तर 2.2.6 (i))

3. 43 मामलों में , 12.10 लाख रुपए की जमानत / अर्थदण्ड की राशि कम वसूल की गयी थी ।

(प्रस्तर 2.2. 7 (क))

4. 64 मामलों में जमानत / अर्थदण्ड की 3.58 लाख रुपए की वसूली गयी धनराशि एक से छः माह के बिलम्ब से कोषागार में जमा की गई थी ।

(प्रस्तर 2.2. 7 (ख))

5. नमूना जांच की गयी इकाइयों में से किसी मे भी वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान गोदाम में पड़ी हुई वस्तुओं के स्टाक की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.8 (i))

2.2.5 जांच (डिटेक्शन)

वाहनों का भौतिक सत्यापन

व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत सचल दल के अधिकारी , माल ले जा रहे वाहनों को रोकने तथा जांच करने के लिए अधिकृत हैं । वाहन चालक अथवा वाहन का प्रभारी वाहन को रोकेगा तथा तब तक स्थिर रखेगा जब तक अधिकारी द्वारा उसके वाहन की छानबीन किया जाना अपेक्षित रहेगा । यदि ऐसे परीक्षण और जांच पर अधिकारी को विश्वास हो जाता है कि वाहन में पाया गया माल किसी प्रामाणिक व्यापारी का नही है, अथवा बिना किसी उपयुक्त कागजातों के किसी माल का परिवहन किया जा रहा है, अथवा किसी माल/ प्रेषित माल से संबन्धित अभिलेख झूठे, नकली, गलत या अवैध है, तो अधिकारी वाहन चालक अथवा वाहन प्रभारी को सुनने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् , माल / प्रेषित माल को अभिग्रहीत कर लेगा तथा केवल पर्याप्त जमानत जमा करने पर, जो आरोपणीय कर अथवा अर्थदण्ड के लिए पर्याप्त होगी, व्यापारी अथवा वाहन प्रभारी के पक्ष में अवमुक्त किया जा सकेगा ।

प्रदेश के अन्दर माल के अनियमित आयात अथवा माल के अनियमित संचलन की जांच के उद्देश्य से सचल दल के अधिकारियों को परिवहन कम्पनियों के गोदामों का भी निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है ।

बिक्रीकर मैनुअल (जांच चौकी और सचल दल) के प्रावधानों में सचल दल के अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन सड़क जांच की व्यवस्था है , जिसमें कम से कम दो गाड़ियों का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । ये जांच सामान्यतः महत्वपूर्ण सड़को पर की जाती है और जहां एक स्थान पर एक से अधिक इकाई कार्यरत है वहां संबंधित सहायक कमिश्नर से यह अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्र एवं समय के अनुसार अधिकतम वाहनों की जांच सुनिश्चित करने हेतु एक ड्यूटी चार्ट तैयार करे ।

नियमावली में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक वर्ष में कम से कम 730 गाड़ियों का भौतिक सत्यापन करे । 11 इकाइयों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 9 इकाइयों में भौतिक सत्यापन के लक्ष्य में 50 से 89 प्रतिशत की कमी थी । आगे यह भी देखा गया कि जिन मामलों की जांच की गयी उनमें 80 से 87 प्रतिशत मामले ऐसे थे जिनमें बिना वैध कागजातों के माल का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जा रहा था । वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान क्रमशः 120.88 लाख , 178.97 लाख और 178.33 लाख रुपए जमानत/अर्थदण्ड के रुप

में वसूल किये गये ।

गाड़ियों के भौतिक सत्यापन में लक्ष्य की प्राप्ति न करने से केवल मैनुअल के प्रावधानों का ही उल्लंघन नही हुआ वरन यह करापवंचन के विरुद्ध अप्रभावी निवारक (डिटरेन्ट) को भी सिद्ध करता है ।

अग्रेतर, यह देखा गया कि जहां दो या दो से अधिक इकाइयां कार्यरत हैं वहां अधिकतम समय तक सड़क पर जांच को सुनिश्चित करने के लिए सहायक कमिश्नर द्वारा कोई ड्यूटी चार्ट उपलब्ध नहीं कराया गया था । सचल दल - II, वाराणसी के व्यापार कर अधिकारी ने बताया कि केवल मौखिक निर्देश प्राप्त किये जाते रहे ।

विभाग ने माल का परिवहन करती हुयी गाड़ियों के भौतिक सत्यापन में गिरावट के जिन कारणों को बताया , वे नीचे दिये गये है :

(i) गाड़ियों से सामानों को उतरवाने/चढ़वाने हेतु "पल्लेदारो" को भुगतान हेतु धन की कमी।

(ii) पुराने जीपों की मरम्मत एवं ईंधन हेतु धन की कमी ।

(iii) गाड़ियों का पीछा करने एवं उन्हे बीच में रोकने हेतु तेज गति वाली जीपों की अनुपलब्धता।

2.2.6 निस्तारण

(i) अभिग्रहीत माल का निस्तारित न किया जाना

व्यापार कर अधिनियम , 1948 , के प्रावधानों के अन्तर्गत सचल दल का अधिकारी किसी वाहन, भवन/गोदाम या स्थान पर पाये गये , ऐसे माल को, जो किसी प्रामाणिक व्यापारी का न हो , या संबंधित कागजातों (बिलो/चालानों आदि) से आच्छादित न हो या माल व्यापारी की लेखा पुस्तकों में लेखांकित न हो, अभिग्रहीत करने के लिए समर्थ है । ऐसा माल केवल तभी अवमुक्त किया जाता है जब उस पर आरोपित जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि का नगद भुगतान कर दिया गया हो ।

जहां माल अभिग्रहीत करने वाले अधिकारी का यह मत हो कि माल नाशवान प्रकृति का है या समय के साथ-साथ धीरे-धीरे नष्ट हो जायेगा या जहां आरोपित कर / अर्थदण्ड 30 दिनों के अन्दर जमा नहीं किया जाता तो , वह माल को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करा सकता है । ऐसे माल की बिक्री से प्राप्त धन का समायोजन आरोपित कर एवं अर्थदण्ड के विरुद्ध किया जायेगा ।

बिक्रीकर जांच चौकी/ सचल दल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार संबधित इकाई द्वारा एक वर्ष से अधिक समय के अभिग्रहीत एवं अनिस्तारित पड़े मालों के संबंध में परिक्षेत्र के उप कमिश्नर को एक प्रतिवेदन भेजने का प्रावधान है । उप कमिश्नर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह माल के वर्तमान मूल्य निर्धारण हेतु तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन करे तथा संबंधित इकाई को सूचित करें ।

समीक्षा के दौरान (अप्रैल 1995 से जून 1995) यह देखा गया कि सचल दल की 11 इकाइयों में से 6 इकाईयों में वर्ष 1978-79 से 1993-94 तक अभिग्रहीत 92.12 लाख रुपए मूल्य के 307 मदों का माल अनिस्तारित पड़ा हुआ था । अनिस्तारित पड़े हुये माल का विवरण लगी हुयी तालिका में अलग से दिखायां गया है ।

इसके अतिरिक्त , नमूना जांच की गयी 11 इकाइयों में से 10 इकाइयों में वर्ष 1978-79 से 1993-94 की अवधि में अभिग्रहीत किये गये 234 मदों का माल जिनका मूल्य नहीं दिया गया था, अनिस्तारित पड़ा था । अग्रेतर, बहुत से पुराने मदों के अभिग्रहीत मालों , जिसमें नाशवान मदे भी सम्मिलित थी, को नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त दिखाया गया था । लेकिन एक वर्ष से अधिक समय से अनिस्तारित पड़े सामानों का न तो कोई प्रतिवेदन परिक्षेत्र के संबंधित उप कमिश्नर (शासकीय) को प्रस्तुत किया गया था, न ही इस उद्देश्य के लिए कोई समिति का गठन किया गया था , परिणामस्वरुप अनिस्तारित अभिग्रहीत मालो में निहित समग्र राजस्व को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

(ii) विलम्बित नीलामी के कारण राजस्व हानि

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, अभिग्रहीत माल को केवल उस पर आरोपित जमानत/अर्थदण्ड के भुगतान के पश्चात अथवा उच्च अधिकारी, जो सहायक कमिश्नर से निम्न पद का न हो, के आदेश पर अवमुक्त किया जाता है । माल को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी ही उसकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है । यदि उस पर आरोपित जमानत/ अर्थदण्ड को 30 दिनो के अन्दर जमा नहीं किया जाता है तो अधिकारी सार्वजनिक नीलामी के द्वारा उसे बेचने के लिए भी अधिकृत है । यदि, कोई हानि हो तो सक्षम अधिकारियों के आदेशों से या तो उसे बट्टे खाते में डाल देना चाहिये या उसे समाप्त कर देना चाहिए ।

समीक्षा की गयी 7 इकाइयों में यह देखा गया कि 79 मामलों में सचल दल ने यथोचित समय के अन्दर अभिग्रहीत माल की नीलामी नहीं की जिसके परिणामस्वरुप धीरे-धीरे सामान खराब हो गया । नीलामी से माल के वास्तविक मूल्य का केवल 13 से 46 प्रतिशत ही प्राप्त हो सका और आरोपित अर्थदण्ड की पूरी धनराशि वसूल नही की जा सकी । विभाग द्वारा अभिग्रहीत माल के समय से निस्तारण की कार्यवाही में असफलता से 0.79 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई , जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	सचल दल इकाइयों का नाम	नीलामी की अवधि	मदों की संख्या	सामान का मूल्य (लाख रुपए में)	नीलामी में वसूली गयी धनराशि (लाख रुपए में)	प्रतिशतता	अपेक्षित जमानत/ अर्थदण्ड की धनराशि (लाख रुपए में)	हानि (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सचल दल-I, लखनऊ	1994-95	31	1.09	0.14	12.8	0.43	0.29
2.	सचल दल-I, कानपुर	1994-95	8	1.59	0.43	26.65	0.64	0.21
3.	सचल दल -III, कानपुर	1993-94	3	अनुपलब्ध	0.05	-	0.19	0.13
4.	सचल दल- II, वाराणसी	अनुपलब्ध	6	0.40	नीलामी समिति द्वारा माल का मूल्य शून्य घोषित	शून्य	0.16	0.16
	योग		48	3.08	0.62		1.42	0.79

2.2.7 संग्रहण एवं लेखांकन

(क) प्रतिभूति की कम वसूली

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 13 क की उपधारा 6 के प्रावधानों , सपठित समय समय पर निर्गत परिपत्रों /निर्देशों , के अनुसार माल अभिग्रहीत करने के लिए अधिकृत अधिकारी, माल के मालिक / प्रभारी से जमानत की मांग करेगा जो माल के अनियमित संचलन पर आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि को आवृत्त करने के लिए पर्याप्त होगी । जमानत की धनराशि , कर की धनराशि की तीन गुनी, अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत , जो भी कम हो, होगी । अपंजीकृत व्यापारियों के मामले में जमानत की राशि , माल के मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर होगी । इस प्रकार से प्राप्त जमानत , आरोपित अर्थदण्ड के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा ।

राज्य में सचल दल की विभिन्न इकाइयों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 43 मामलों में 12.10 लाख रुपए की जमानत / अर्थदण्ड की राशि कम वसूली की गयी थी । जमानत / अर्थदण्ड

की कम वसूली के परिणामस्वरुप शासन को नीचे दिये गये विवरणानुसार 12.10 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई :

क्रम संख्या	सचल दल इकाईयों का नाम	अवधि	मामलों की संख्या	माल का मूल्य	वसूल की जाने वाली जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि	वसूल की गयी जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि	कम वसूली गयी जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि
				(-----	-----लाख रुपए में-----	-----	-----)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सचल दल-I, लखनऊ	1990-91 1994-95	14	20.96	7.18	1.92	5.26
2.	सचल दल-II, लखनऊ	1992-93 से 1994-95	1	3.49	1.40	0.27	1.13
3.	सचल दल-I, वाराणसी	1990-91 से 1994-95	3	9.87	3.52	2.39	1.13
4.	सचल दल-II, वाराणसी	1990-91 से 1994-95	9	13.79	3.18	1.54	1.64
5.	सचल दल, गोरखपुर	1990-91 से 1994-95	12	10.26	3.36	1.42	1.94
6.	सचल दल-I, गाजियाबाद	1990-91 से 1994-95	1	2.88	0.86	0.22	0.64
7.	सचल दल-III, गाजियाबाद	1990-91 से 1994-95	3	2.89	0.92	0.56	0.36
		योग	**43**	**64.14**	**20.42**	**8.32**	**12.10**

(ख) सरकारी धन के जमा में विलम्ब

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड v , भाग- 1 , के नियम 21 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी, राज्य के राजस्व के रुप में प्राप्त की गयी या उसे दी गयी सम्पूर्ण धनराशि बिना अनावश्यक विलम्ब के, कोषागार या बैंक में जमा करके राज्य के राजकीय लेखे में समावेशित करेगा । किसी भी दशा में राज्य के राजस्व को राजकीय लेखों से बाहर नही रखा जाना चाहिए ।

समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि उक्त प्रावधान के विपरीत 8 इकाइयों में राजकीय धन को तत्परता से जमा करने हेतु समुचित ध्यान नहीं दिया गया था ,जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

क्रम संख्या	इकाइयों का नाम	7 दिनों से 1 माह तक विलम्बित जमा (मामलों की संख्या)	निर्गत रसीदों की संख्या	निहित धनराशि (लाख रुपए में)	1 माह से 3 माह तक विलम्बित जमा (मामलों की संख्या)	निर्गत रसीदों की संख्या	निहित धनराशि (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सचल दल-III, गाजियाबाद	116	116	12.84	शून्य	शून्य	शून्य
2.	सचल दल-I, गाजियाबाद	85	85	11.57	शून्य	शून्य	शून्य
3.	सचल दल-I, लखनऊ	149	149	5.25	शून्य	शून्य	शून्य
4.	सचल दल-II, लखनऊ	20	20	1.08	53*	53*	2.53*
5.	सचल दल, गोरखपुर	20	20	2.55	1	1	0.07
6.	सचल दल-II, वाराणसी	38	38	2.13	शून्य	शून्य	शून्य
7.	सचल दल-I, वाराणसी	23	23	0.91	10	10	0.98
8.	सचल दल-II, गाजियाबाद	16	16	1.53	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	467	467	37.86	64	64	3.58

* इसमें 1.19 लाख रुपए के 25 मामले सम्मिलित है जो 3 से 6 माह विलम्ब से जमा किये गये थे ।

467 रसीदों से प्राप्त 37.86 लाख रुपए की धनराशि 7 दिन से 1 माह व्यतीत होने के पश्चात् जमा की गयी और 39 रसीदों से सम्बन्धित 2.39 लाख रुपए की धनराशि 1 से 3 माह व्यतीत होने के पश्चात जमा की गयी । इसी प्रकार , 25 रसीदों (सचल दल- II , लखनऊ) से संबंधित 1.19 लाख रुपए की धनराशि 3 से 6 माह के पश्चात् जमा की गयी थी ।

(ग) रोकड़ बही में धन का विलम्ब से लेखांकन

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड V भाग-I के नियम 26 और 27 क के अनुसार सरकारी कर्मचारी , जो सरकार के निमित्त धन प्राप्त करता है, अदा करने वाले को फार्म - 385 में रसीद देगा । अधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि रसीद पर हस्ताक्षर करते समय स्वयं इस बात के लिए सन्तुष्ट हो कि धनराशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में कर ली गयी है और तत्पश्चात् उसे कोषागार या बैंक में जमा कर दिया गया है।

अग्रेतर, रोकड़ बही को प्रत्येक दिन बन्द करके उसका अवशेष निकालना चाहिए तथा प्रत्येक माह के अन्त में अवशेष का भौतिक सत्यापन तिजोरी की राशि से किया जाना चाहिए और रोकड़ बही में कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर से, इस आशय का प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जाना चाहिए ।

यह देखा गया कि उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत सरकारी लेखे में प्राप्त 302 मामलों में निहित 22.22 लाख रुपए की राशि की प्रवृष्टि उसी दिन रोकड़ बही में न करके , 7 से 25 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् लेखांकित की गयी , जैसा कि नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट है:-

क्रम संख्या	**इकाईयों का नाम**	**प्राप्तियों के मामलों की संख्या जो 7 से 25 दिनों के पश्चात् लेखांकित किये गये**	**निहित धनराशि (लाख रुपए में)**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स0द0-I , लखनऊ	85	2.91
2.	स0द0-II , लखनऊ	71	3.14
3.	स0द0-II , वाराणसी	38	2.13
4.	स0द0 , गोरखपुर	4	1.04
5.	स0द0-I , गाजियाबाद	40	5.15
6.	स0द0-II , गाजियाबाद	7	0.92
7.	स0द0-III , गाजियाबाद	57	6.93
	योग	**302**	**22.22**

(घ) रसीद बुक/रोकड़ बही की अन्य अनियमिततायें

समीक्षा के दौरान रोकड़ बही तथा रसीद पुस्तिका से सम्बन्धित निम्नलिखित अनियमिततायें संज्ञान में आयी :

(i) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- V , भाग- I , के नियम 21 के प्रावधान के विपरीत सचल दल इकाई-II, लखनऊ में माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 1994 में प्राप्त किये गये धन को 5 अवसरों पर , 2.93 से 5.38 लाख रुपए तक के अवशेष को हाथ में रखते हुए, आंशिक रुप से जमा किया गया था ।

(ii) गाजियाबाद की इकाई- III में, व्यापार कर अधिकारी , बुलन्द शहर , द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 1993 को 14,000 रुपए के लिए रसीद संख्या 181491 निर्गत की गयी , किन्तु न तो उस धनराशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में की गयी और न ही उसे कोषागार में जमा किया गया ।

(iii) लखनऊ की सचल दल इकाई -II में रसीद बुक मे से रसीद संख्या 600436 प्रतिपर्ण सहित गायब थी। अग्रेतर, यह देखा गया कि रसीद संख्या 600435 दिनांक 8 नवम्बर 1994 को और रसीद संख्या 600437 दिनांक 9 नवम्बर 1994 को निर्गत की गयी थी । चूंकि इस रसीद को निर्गत कर के जो धनराशि प्राप्त की गयी थी , उसे रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था अतः बहुत बड़ी राशि के गबन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

2.2.8 अभिलेखों का रख रखाव

जांच चौकी / सचल दल मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुसार , सचल दल इकाइयों द्वारा विभिन्न पंजियाँ, जैसे पंजी-5 (जमानत पंजी) , गोदाम पंजी, दैनिक जांच पंजी, भैतिक सत्यापन पंजी, अभिग्रहण मिमों पुस्तिका, आर-5 (अ) और आर-5 (ब) पंजियां, मांग एवं संग्रह पंजी (आर-3) आदि रखा जाना अपेक्षित है । उपरोक्त पंजियों के अतिरिक्त नकद लेन-देन के लिए रोकड़ बही, रसीद एवं चालान आदि का रख- रखाव भी अपेक्षित है ।

समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि निम्नलिखित अभिलेख या तो रखे ही नही गये थे या अनियमित ढ़ंग से रखे गये थे:

(i) गोदाम पंजी

पंजी- 5 की क्रम संख्या के संन्दर्भ से अभिग्रहीत माल का पूर्ण विवरण देते हुये , जैसे- व्यापारी का नाम व पता , सामानों का नाम , मूल्य , आरोपित जमानत/अर्थदण्ड की राशि और सामानों को अवमुक्त किये जाने की तिथि आदि की प्रविष्टि , गोदाम पंजिका में किया जाना अपेक्षित है ।

बिक्रीकर जांच चौकी / सचल दल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में, वृहदाकार, नाजुक और नाशवान वस्तुये अभिग्रहण के पश्चात परिवहन कर्ताओं के संरक्षण मे दे दी जाती है ।

समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 7 इकाईयों में (सचल दल-I , लखनऊ, सचल दल-II, लखनऊ, सचल दल -II , कानपुर , सचल दल -III , कानपुर , सचल दल -II , वाराणसी , सचल दल-गोरखपुर और सचल दल -II गाजियाबाद) उक्त पंजिका पूर्ण विवरण सहित उचित रूप से नहीं रखी गयी थी ।

सचल दल के अधिकारी द्वारा वर्ष के अन्त में स्टाक की स्थिति और सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए गोदाम में पड़े हुये माल का भौतिक रुप से सत्यापन भी अपेक्षित है लेकिन जिन इकाईयों की नमूना जांच की गयी , उनमें किसी भी इकाई में वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि में , इस प्रकार का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था ।

(ii) आर 5 -अ तथा आर-5 ब पंजी

ये पंजियां अर्थदण्ड के लम्बित तथा निस्तारित मामलों की स्थिति दर्शाती है । यह देखा गया कि सचल दल की 5 इकाइयों में (सचल दल-I , लखनऊ, सचल दल -II , लखनऊ, सचल दल -II , वाराणसी, सचल दल - I , गाजियाबाद , सचल दल III , गाजियाबाद) ये पंजियां बिल्कुल ही नही बनायी गयी थी जिससे अर्थदण्ड के लम्बित और निस्तारित मामलों की सही स्थिति सुनिश्चित नही की जा सकी।

(iii) दैनिक जांच पंजी और भौतिक सत्यापन पंजी

इन पंजियों में, इकाइयों द्वारा की गयी दैनिक जांच और वाहनों के भौतिक सत्यापन का विवरण, वाहनों का विवरण , मालिक का नाम-पता एवं जांच के परिणाम इत्यादि के साथ दर्ज किया जाता है। चार इकाइयों में (सचल दल-I , लखनऊ, सचल दल -I , कानपुर, सचल दल -I , गाजियाबाद एवं सचल दल-II गाजियाबाद) ये पंजियां ठीक प्रकार से नही रखी गयी थी क्योकि वाहनों का विवरण, मालिकों के पते आदि अंकित नहीं पाये गये ।

(iv) मांग और संग्रह पंजी (आर -3)

व्यापारी के विरुद्ध निकाली गयी मांग, संग्रहीत एवं अवशेष धनराशि की स्थिति पर नजर रखने हेतु प्रत्येक इकाई में प्रारूप आर-3 में एक पंजी रखा जाना अपेक्षित है । समस्त 11 इकाइयों की नमूना जांच में यह देखा गया कि ये आधारभूत अभिलेख रखा ही नही गया था ।

ऊपर दिये गये आधारभूत अभिलेखों के न रखे जाने / ठीक प्रकार से न रखे जाने से

सचल दल इकाइयों की कार्यप्रणाली बुरी तरह से प्रभावित होती है ।

समीक्षा में वर्णित विन्दुओं को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

2.3 मालो के गलत वर्गीकरण के कारण कम कर का आरोपण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अर्न्तगत पुरानी, निष्प्रयोज्य , अनुपयोगी अथवा अप्रचलित मशीनरी, स्टोर्स अथवा व्यर्थ उत्पाद सहित वाहनों की बिक्री पर तथा ऐसे सामानों की बिक्री पर जो अन्यथा वर्गीकृत नहीं है , 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय हैं । इसके अतिरिक्त् , 31 अक्टूबर , 1985 तक 5 प्रतिशत की दर से , 1 नवम्बर 1985 से 10 प्रतिशत की दर से और 1 अगस्त , 1990 से 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । स्वीकृत रुप से देय कर का भुगतान , यदि नियत तिथि तक नहीं किया जाता , तो भुगतान की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है ।

बिक्रीकर के 7 मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1992 और अगस्त 1994 के मध्य) कि 874.20 लाख रुपए के माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरुप 58.14 लाख रुपए का कम कर आरोपित किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है । चूंकि कर स्वीकृत रुप से देय था , अतः भुगतान की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	बेचे गये सामानो का नाम	कर योग्य आवर्तन (लाख रु0 में)	अतिरिक्त कर सहित लागू कर की दर %	अतिरिक्त कर सहित आरोपित कर की दर %	कम आरोपित कर की राशि (लाख रुपए में)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	गोरखपुर	1989-90	जला हुआ तांबे का तार	13.54	8.8	2.2	0.89	मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (जनरी 1995); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।
2.	लखनऊ	1990-91	जला हुआ	2.49	8.8	2:2	0.16	मामला विभाग को
			तांबे का तार	2.66	10.0	2.5	0.20	प्रतिवेदित किया गयाथा
			एवं लेग क्वायल	13.12	10.0	5.0	0.66	(सितम्बर 1994); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

3. मेरठ	1989-90	जला हुआ तांबे एवं अल्युमुनियम का तार	16.00	8.8	2.2	1.06	मामला विभाग को अक्टूबर 1993 और पुनः मार्च 95 मे प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995)।
4. (i) मथुरा	1985-86	एच0डी0पी0ई0 फैब्रिक्स	6.48	8.8	-	0.57	मामला विभाग को जून 1992 में और पुनः फरवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।
(ii) मथुरा	1985-86	एच0डी0पी0ई0 फैब्रिक्स	1.36	10.00	-	0.14	मामला विभाग को जून 1992 में और पुनः फरवरी 93 में प्रतिवेदित किया गया था: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर '95) ।
(iii) मथुरा	1988-89 से 1989-90	जला हुआ तांबे का तार एवं अल्युमुनियम लेग क्वायल	12.12	8.8	2.2	0.80	मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 93): उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 95)
5. नजीबाबाद (बिजनौर)	1987-88 से 1988-89	तांबे के तार के राड तथा निकिल स्ट्रिप्स	656.57	8.8	2.2	43.33	मामला विभाग को जुलाई 93 में प्रतिवेदित किया था: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर '95) ।

6. कानपुर	1986-87 से 1987-88	जला हुआ तांबे का तार	15.42	8.8	2.2	1.02	मामला विभाग को जुलाई 93 में और पुनः जनवरी 95 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर '95)।
7. रामपुर	1987-88, 1989-90 और 1990-91	प्रयोग किये गये कारतूस	134.44	8.8	2.2	9.31	मामला विभाग को जुलाई 93 में और पुनः मई 95 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 95)।
	योग		874.20			58.14	

मामले जून 1992 और मई 1995 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किये गये थे ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

2.4 अर्थदण्ड का अनारोपण

अ मिथ्या विवरण की प्रस्तुति

(क) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 की धारा 15 ए (1) (बी) के अन्तर्गत , यदि किसी व्यापारी द्वारा मिथ्या विवरण प्रस्तुत किया जाता है और उसके कारण क्रय या विक्रय की धनराशि पर कर आरोपणीय नहीं रह जाता है तो ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि व्यापारी बचाए गये कर के न्यूनतम 50 प्रतिशत तक के अर्थदण्ड का दायी होगा परन्तु अर्थदण्ड की राशि बचाये गये कर की राशि के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी ।

बिक्रीकर मण्डल गोरखपुर, की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1993) कि एक व्यापारी ने अपने विवरण में बताया कि वर्ष 1987-88 में उसने 9.07 लाख रुपए मूल्य के जूते एवं चप्पलों का निर्यात नेपाल को किया । व्यापारी द्वारा प्रस्तुत कस्टम प्रमाण पत्रों को जाली पाये जाने पर इसे प्रान्तीय

बिक्री मानते हुये 79,818 रुपए का कर आरोपित कर दिया गया । व्यापारी ने जाली प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किया था , अतः वह 1.20 लाख रुपए तक के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था , जिसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 1993) विभाग ने बताया (नवम्बर 1994) कि 1.59 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (अप्रैल 1993) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 1993) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

(ख) आवर्तन का छिपाया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 , के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने अपने आवर्तन (टर्नओवर) का ब्यौरा छिपाया है अथवा जानबूझ कर त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है , तो कर निर्धारण अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत , यदि कोई कर देय है तो , उसके अतिरिक्त , अर्थदण्ड के रुप में ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी होगा , जो न्यूनतम बचाये गये कर की धनराशि के 50 प्रतिशत परन्तु उसके डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी ।

बिक्रीकर के 4 मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1990 और जनवरी 1993 के मध्य) कि व्यापारियों ने कर निर्धारण प्राधिकारियों को विवरण प्रस्तुत करते समय 46.77 लाख रुपए मूल्य की कर योग्य बिक्री का आवर्तन (टर्नओवर) छिपाया था । छिपायी गयी बिक्री के आवर्तन पर 3.41 लाख रुपए का कर तो आरोपित कर दिया गया , परन्तु 2.19 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया , जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तुये	छिपाया गया टर्नओवर	आरोपणीय कर	आरोपणीय अर्थदण्ड	अभ्युक्ति
				---------(लाख रुपए में)--------			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	देवरिया	1984-85	पत्थर की गिट्टी	6.92	0.49	0.74	अपीलीय अथारिटी द्वारा अर्थदण्ड को कम कर के 0.73 लाख रुपए कर दिया गया जिसमें से 0.15 लाख रुपए जमा किया जा चुका है(अप्रैल 1991) ।

2.	खुर्जा	1987-88	खाद्यान्न	13.35	1.06	0.53	विभाग ने 0.53 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (मार्च 1993)
3.	लखनऊ	1981-82	घोंने की सामग्री	14.00	0.84	0.42	विभाग ने 1.00 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (मार्च 1992)।
4.	इलाहाबाद	1987-88	किराना/ सूखे मेवे	12.50	1.02	0.50	विभाग ने 1.02 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (सितम्बर 1993)।
	योग			46.77	3.41	2.19	

मामले शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (अक्टूबर 1991 और अप्रैल 1993 के मध्य तथा पुनः मार्च 1993 और अगस्त 1995 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995)।

(ग) मिथ्या प्रमाण पत्र का जारी किया जाना

उ0 प्र0 बिक्रीकर अधिनियम, 1948, की धारा 15- ए (1) (एल) के अन्तर्गत, यदि कोई व्यापारी मिथ्या प्रमाण पत्र अथवा घोषणा पत्र जारी अथवा प्रस्तुत करता है जिसके कारण खरीद अथवा बिक्री पर कर आरोपणीय नही रह जाता तो कर निर्धारण अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी, अर्थदण्ड के रुप में बचायी गयी कर की धनराशि के कम से कम पचास प्रतिशत किन्तु उसके डेढ़ गुने से अनधिक राशि, के भुगतान का दायी होगा।

बिक्रीकर मण्डल फर्रुखाबाद, की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (सितम्बर 1992) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1986-87 के दौरान 31.57 लाख रुपए मूल्य की खाण्डसारी की बिक्री हेतु प्रपत्र-III ग - (2) मे मिथ्या प्रमाण पत्रों को जारी किया और इस प्रकार खाण्डसारी की प्रथम खरीद पर 1.26 लाख रुपए के देय कर को बचा लिया। अतएव व्यापारी अधिकतम 1.89 लाख रुपए के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 1992) विभाग ने बताया (जून 1994) कि 2.25 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (मार्च 1993)।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1992); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995)।

(घ) बिना घोषणा प्रपत्रों के सामानों का आयात

(i) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 28 क, सपठित उ0 प्र0 बिक्रीकर नियमावली, 1948 के नियम 85, के अन्तर्गत राज्य के बाहर से माल आयात करने का इच्छुक पंजीकृत व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी से घोषणा प्रपत्र XXXI प्राप्त करेगा। जहां प्रान्त बाहर से माल सड़क द्वारा आयात किया जाता है वहां वाहन का प्रभारी जांच चौकी पार करने से पूर्व प्रभारी जांच चौकी को फार्म XXXI की एक प्रति प्रस्तुत करेगा और जहां ऐसा सामान रेल, नदी, वायुयान या डाक द्वारा भेजा जाता हो, तो आयातकर्ता उस माल को तब तक नहीं छुड़ायेगा जब तक कि वह कर निर्धारण अधिकारी को अपने द्वारा विधिवत भरी गयी एवं हस्ताक्षरित घोषणा दो प्रतियों में पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर देता। इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी यह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी अथवा व्यक्ति अर्थदण्ड के रुप में उक्त अधिनियम की धारा 15 ए (1) (ओ) के अन्तर्गत आयातित माल के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनधिक की राशि का भुगतान करेगा। न्यायिक* रुप से यह निर्णीत है कि धारा 28 - क का उल्लंघन ही अर्थदण्ड के आरोपण के लिए पर्याप्त है।

(i) बिक्रीकर मण्डल लखनऊ, की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1993) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में राज्य के बाहर से क्रमशः 3.29 एवं 1.12 लाख रुपए मूल्य के खुदरे मूल्यवान पत्थरों को डाक द्वारा, घोषणा प्रपत्र XXXI को कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये बिना, आयात किया। अतः व्यापारी वर्ष 1987-88 में 1.32 लाख रुपए तथा वर्ष 1988-89 में 44,670 रुपए तक के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जिसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने 1987-88 के लिए 1.32 लाख रुपए तथा वर्ष 1988-89 के लिए 44,670 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया (मार्च 1994)। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (नवम्बर 1995)।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अक्टूबर 1993); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995)।

(ii) बिक्रीकर मण्डल गाजियाबाद में यह देखा गया (अगस्त 1992) कि वर्ष 1986-87 के दौरान एक व्यापारी ने बिना फार्म XXXI का प्रयोग किये हुये 4.77 लाख रुपए के कर योग्य माल का आयात किया। अतएव व्यापारी 1.91 लाख रुपए तक का अर्थदण्ड का दायी था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

---

* सी0एस0टी0 बनाम बुलाकी दास विनोद कुमार (1987 यू0पी0टी0सी0 - 154, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 1992) विभाग ने बताया (फरवरी 1994) कि व्यापारी अर्थदण्ड के भुगतान का दायी नहीं था क्योकि उसने स्वयं कर निर्धारण के समय, इसे घोषित कर दिया था । इस प्रकार उसका करापवंचन का कोई इरादा नहीं था ।

उक्त वर्णित न्यायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभाग का उत्तर मान्य नहीं है ।

मामला शासन को जनवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

(ड.) **कच्चे माल का दुरुपयोग**

(i) उ0 प्र0 बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 4 -बी, सपठित शासकीय अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 1976 , में निहित कुछ शर्तो के पूरा करने पर कतिपय विज्ञापित मालो के निर्माण में वांछित कच्चे मालों की खरीद पर निर्माताओं को कर में विशेष राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । यदि कच्चे माल का प्रयोग , मान्यता प्रमाण पत्र में वर्णित वस्तुओं के निर्माण में न कर के , किसी अन्य वस्तु के निर्माण में किया जाता है , तो व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा , जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाय । यह देयकर की धनराशि से कम न होगी परन्तु उसके द्वारा प्राप्त कर में राहत के 3 गुने से अधिक न होगी ।

बिक्रीकर मण्डल ऋषिकेश , की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1992) कि स्टील एलाय / स्टील कास्टिग (इंगट्स, विलेट्स तथा ब्लैक्स को छोड़कर) के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1989-90 में 30.54 लाख रुपए मूल्य का कर मुक्त लौह छीजन (स्क्रैप) खरीदा और इसका प्रयोग लोहे के इंगट्स के निर्माण में किया जो एक भिन्न व्यापारिक वस्तु है ।

अतएव व्यापारी 3.66 लाख रुपए तक के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था , जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तिम कर निर्धारण के समय आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मई 1992) विभाग ने बताया (फरवरी 1994) कि लोहे के इंगट्स कास्टिग की श्रेणी में आते है । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है , क्योकि कर दाता को इंगट्स को छोड़कर स्टील एलाय / स्टील कास्टिग के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया था ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1992 तथा फरवरी 1995) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

(ii) उ0 प्र0 बिक्रीकर अधिनियम , 1948 , की धारा- 4 बी के अन्तर्गत , विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग हेतु अपेक्षित कच्चे माल के क्रय पर निर्माता को , कतिपय शर्तो को पूर्ण करने पर , कर में विशेष

राहत की एक योजना का प्रावधान है । उक्त अधिनियम में एक शर्त यह है कि इस प्रकार निर्मित वस्तुओं की बिक्री , प्रान्त के अन्दर अथवा अर्न्तराज्यीय व्यापार व वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात में, की जायेगी । यदि व्यापारी इसे बेचता है अथवा इससे निर्मित माल का निस्तारण अन्य प्रकार से करता है , तो वह अर्थदण्ड के रुप में ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी होगा जो राज्य में उस विज्ञापित माल की बिक्री पर देय कर से कम न होगी परन्तु ऐसे कर के 2 गुने से अधिक नहीं होगी ।

बिक्रीकर मण्डल खुर्जा (बुलन्द शहर) , की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1992) कि रबर सायकिल ट्यूब के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1989-90 में घोषणा पत्र III- ख के बल पर 4.35 लाख रुपए मूल्य का कर मुक्त कच्चा माल खरीदा और उससे निर्मित 3.91 लाख रुपए के माल को कन्साइनमेन्ट के आधार पर , राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया । अतएव व्यापारी 68,752 रुपए तक के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 1992) विभाग ने बताया (मई 1993) कि 68,752 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (मार्च 1993) । अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदण्ड पुनरीक्षित करके 40,000 रुपए कर दिया गया । इस प्रकार निर्धारित 40,000 रुपए में से 13,760 रुपए व्यापारी द्वारा जमा कर दिया गया है । 26,240 रुपए की बकाया धनराशि की वसूली अभी की जानी है ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 1993) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

(ब) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम , 1956 , के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी राज्य के बाहर से रियायती दर की कर से किसी वस्तु का क्रय करते समय गलत ढंग से यह दर्शाता है कि उक्त वस्तु उसके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित है, अथवा कर की रियायती दर पर राज्य के बाहर से क्रय किये गये सामानों का प्रयोग , उस प्रयोजन से भिन्न करता है जिस हेतु पंजीयन स्वीकृत किया गया था, तो कर निर्धारण अधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 8 (2) के अन्तर्गत ऐसे सामानों की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक , अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

बिक्रीकर के 11 मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान 16 मामलों में यह देखा गया कि व्यापारियों ने 651.19 लाख रुपए मूल्य के ऐसे सामानों की खरीद की जिनका उल्लेख उनके पंजीयन प्रमाण पत्रों में नही था । अतः वे 85.10 लाख रुपए के अर्थदण्ड के देनदार थे जिसे कर निर्धारण अधिकारियों ने कर निर्धारण के समय आरोपित नहीं किया । विवरण नीचे दर्शाया गया है :

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	आयातित माल	माल का मूल्य	अर्थदण्ड की राशि
				-------(लाख रुपए में	)-------
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायबरेली	1988-89	बैटरी एवं कटिंग आयल,	26.60	3.99
2.	गाजियाबाद	1988-89	स्टीम कोल	21.38	2.57
3.	सहारनपुर	1986-87 तथा 1987-88	व्हाइट मेटल, गन मटेल, डी0सी0एम0 स्क्रीन, काला एवं लाल लेड, जूट ट्वाइन, तांबे का तार, ग्लास तथा लैब स्टोर्स, बिजली के सामान, केबल्स तथा वेल्डिग का सामान	15.22	2.63
4 (i)	कानपुर	1988-89	लोहे का तार	5.76	0.69
(ii)	कानपुर	1986-87	स्कूटर्स एवं उसके पुर्जे	4.73	0.78
(iii)	कानपुर	1987-88	कोयला	9.84	1.18
(iv)	कानपुर	1984-85 तथा 1986-87	पानी की बोतल, आयरन ग्राइण्डर, टीन की लालटेन और प्लास्टिक जूसर	2.59	0.39
5.(i)	बुलन्दशहर	1985-86 से 1987-88	रुई	14.47	1.74
(ii)	बुलन्दशहर	1988-89	स्पून हैंगर्स, मुद्रित पाउच रोल्स, टेप्स एवं सुगन्ध	9.22	1.70
6.	मिर्जापुर	1987-88	जनरेटिंग सेट्स, डीजल इंजन तथा फायर ब्रिक्स	3.95	0.67
7.	गोरखपुर	1987-88 तथा 1988-89	आयल केक (खली)	5.89	0.88
8.	रामनगर (नैनीताल)	1990-91	हाइड्रोलिक प्रेस तथा एस0एस0पुलरिंग	5.50	0.82

9.	सीतापुर	1986-87 से 1989-90	प्लास्टिक के सामान पैकिंग का सामान, बिजली के सामान, रुई	411.79	49.66
10.	फतेहपुर	1987-88	रंग, बिजली के सामान, प्लाईवुड, मोटर के पुर्जे, रसायन, धातुएं तथा मिल बोर्ड	94.80	14.46
11.	मऊ (आजमगढ़)	1988-89	स्क्रीन, थ्रेड, पेण्टस, वाल्ब, बियरिगं, लैब/स्टोर्स की सामग्री, रौलर, ट्र्बाइन-स्पेयर, इम्पिलर, गियर-बाक्स, पाइप, सी0 डब्लू0 लाइनर, कम्प्रेसर तथा रबर के सामान	19.45	2.94
	योग			**651.19**	**85.10**

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 1991 तथा जुलाई 1994 के मध्य) विभाग ने बताया कि उपरोक्त मामलों में 81.78 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी गयी है जिसमें से 0.44 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है । अवशेष धनराशि की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1995) ।

2.5 क्रय कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत , ऐसी वस्तु, जिस पर उपभोक्ता को की गई बिक्री के बिन्दु पर कर देय है, जब किसी व्यापारी को बेची जाती है, परन्तु अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत विक्रेता द्वारा बिक्री कर देय नहीं होता है और क्रेता व्यापारी उस वस्तु की उसी रुप एवं दशा में , जिसमे उसने उसे क्रय किया था, राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान पुर्नबिक्री नही करता है , तो क्रेता व्यापारी उक्त क्रय पर उसी दर से क्रय कर के भुगतान का देनदार होगा जिस दर पर वह वस्तु उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर प्रान्त के अन्दर कर योग्य थी । 1 नवम्बर 1985 तथा 1 अगस्त 1990 से क्रमशः 10 और 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त यदि देय तिथि तक कर जमा नहीं किया जाता है तो कर के जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय होता है ।

बिक्रीकर के चार मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1993 से मई 1994) कि यद्यपि व्यापारियों ने 49.70 लाख रुपए मूल्य की पुरानी एवं निष्प्रयोज्य वस्तुओं की बिक्री उसी रुप एवं दशा में नहीं की जिसमें वह खरीदी गयी थी, फिर भी, अतिरिक्त कर सहित 8.8 एवं 10 प्रतिशत की दर से 4.01 लाख रुपए का क्रय कर आरोपित नहीं किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है । इसके अतिरिक्त, कर के जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आरोपणीय है ।

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु	क्रय की गयी वस्तुओं का मूल्य	आरोपित न की गयी क्रय कर की राशि	अभ्युक्ति
				-----(लाख रुपए में)----		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. (i)	सहारनपुर	1988-89	प्लास्टिक के पुराने जूते और चप्प्ले	3.93	0.35	-
(ii)	सहारनपुर	1989-90 से 1990-91	पुराने जूते एवं चप्पले	6.70	0.59	-
2.	मेरठ	1986-87	रद्दी प्लास्टिक	4.80	0.42	-
3.	ललितपुर	1990-91	पुरानी एवं निष्प्रयोज्य प्लास्टिक	3.63	0.35	-
4.	नजीबाबाद (बिजनौर)	1990-91 तथा 1991-92	रद्दी कागज/ रद्दी	30.64	2.30	विभाग ने 2.30 लाख रुपए का कर आरोपित कर दिया (अप्रैल 1994) वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है।
			योग	**49.70**	**4.01**	

मामले विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (अगस्त 1993 से मार्च 1995); क्रम संख्या 1 से 3 के संबध में उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995)।

2.6 गलत दर से कर का लगाया जाना

(क) अन्त:राज्यीय बिक्री

उ0 प्र0 बिक्रीकर अधिनियम 1948 के अनुसार, ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर, जो अन्यथा वर्गीकृत नहीं है, निर्माता अथवा आयातकर्ता के बिन्दु पर 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त आवर्तन (टर्नओवर) की प्रमात्रा की प्रत्येक राशि पर दिनांक 1 नवम्बर, 1985 से 31 जुलाई, 1990 तक 10 प्रतिशत और उसके बाद 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है। अग्रेतर, यदि व्यापारी द्वारा स्वीकृत देय कर नियत तिथि तक जमा नहीं किया जाता, तो कर के जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है।

बिक्रीकर के चार मण्डलों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1990 तथा अगस्त 1994 के मध्य) कि 1986-87 और 1991-92 के बीच व्यापारियों ने 141.35 लाख रुपए मूल्य के सामानों की बिक्री की, जिस पर कर निर्धारण अधिकारियों ने 2.2 से 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया, जब कि उन वस्तुओं पर अतिरिक्त कर सहित करारोपण की दर 8.8 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच थी। गलत दर से कर लगाये जाने के कारण 3.67 लाख रुपए का कर कम लगाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। चूंकि कर स्वीकृत रुप से देय था, अत: कर के जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था।

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	वस्तु का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर योग्य आवर्तन (लाख रु0 में)	अतिरिक्त कर सहित लागू कर की सही दर	अतिरिक्त कर सहित आरोपित कर की सही दर	कम आरोपित राशि (लाख रु0में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. (i)	कानपुर	अचार और मुरब्बा	1987-88 तथा 1990-91	92.50	8.8 तथा 10	6.6 तथा 7.5	2.16
(ii)	कानपुर	अचार और मुरब्बा	1986-87	18.42	8.8	6.6	0.41
2.	वाराणसी	पीतल की पट्टी	1988-89 तथा 1989-90	9.28	8.8	4.4	0.41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	नोयडा (गाजियाबाद)	इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर की एसेसरीज तथा रिबन	1990-91	7.16	13.2 तथा 15	8.8 तथा 10	0.34
4.	गोंडा	पैकिंग केसेज	1991-92	13.99	7.5	5.0	0.35
		योग		141.35			3.67

मामलों को जनवरी 1991 और मार्च 1995 के मध्य शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 1995) ।

2.6 (ख) अर्न्तप्रान्तीय बिक्री

(i) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम , 1956 , की धारा 8 (2) (बी) के अन्तर्गत , घोषणा प्रपत्रों से अनाच्छादित अघोषित वस्तुओं की अर्न्तराज्यीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा राज्य के अन्दर ऐसी वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लागू दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय है । न्यायिक* रुप से यह निर्णीत है कि राज्य अधिनियमन के अन्तर्गत जो कुछ भी कर के रुप में देय है, वही अर्न्तराज्यीय बिक्री के दौरान भी , केन्द्रीय बिक्री कर के रुप में देय होगा । स्वीकृत रुप से देय कर यदि नियत तिथि तक जमा नहीं किया जाता है, तो जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आकर्षित होता है।

बिक्रीकर मण्डल मथुरा , की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1993) कि एक व्यापारी ने 30.64 लाख रुपए के अग्निशमन वाहनों की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की । 11 प्रतिशत की सही दर के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया । परिणामस्वरुप 30,645 रुपए का कर कम आरोपित हुआ । इसके अतिरिक्त जमा की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई तथा दिसम्बर 1993) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

---

* सर्व श्री सत्य नारायन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड बनाम कामर्शियल टैक्स आफीसर, आन्ध्र प्रदेश (एस0टी0आई0- 1988 सी0एस0टी0, ए0डी0- 29) ।

(ii) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम , 1956 , की धारा 8 (5), सपठित शासकीय अधिसूचना संख्या एस0 टी0 II - 2380/XI/2(3)/88 दिनांक 30 नवम्बर 1990 के अन्तर्गत प्रान्त बाहर से आयातित वस्तुओं की उसी रुप व दशा में निर्धारित घोषणा प्रपत्र - "सी" अथवा "डी" से आच्छादित अर्न्तप्रान्तीय बिक्री पर दिनांक 1 दिसम्बर 1990 से 1 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था । अग्रेतर , स्वीकृत देय कर का नियत तिथि तक भुगतान न किये जाने पर , बकाया कर की धनराशि पर , जमा करने की तिथि तक , 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आकर्षित होता है ।

बिक्रीकर मण्डल मथुरा में रंग , रसायन, गोंद तथा ब्लीचिंग पाउडर के एक व्यापारी ने वर्ष 1990-91 में 7 दिसम्बर 1990 के पश्चात घोषणा प्रपत्र "सी" के विरुद्व 13.60 लाख रुपए मूल्य की प्रान्त बाहर से आयातित वस्तुओं की बिक्री उसी दशा व अवस्था में की किन्तु 4 प्रतिशत की सही दर के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत दर से करारोपण के फलस्वरुप 40,810 रुपए का कर कम आरोपित किया गया । चूंकि , कर स्वीकृत रुप से देय था , अतः जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

मामला विभाग व शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 1994 व फरवरी 1995) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 1995) ।

2.7 अनियमित छूट

बिक्रीकर अधिनियम 1948 , की धारा 4- क के अर्न्तगत कुछ शर्तो के पूरा किये जाने पर, पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त नई औधोगिक इकाईयों को निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर निर्धारित अवधि तक बिक्री कर से छूट का प्रावधान है । कमिश्नर बिक्री कर , उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर , 1985 को निर्गत परिपत्र के अनुसार ऐसी सामयिक इकाइयाँ, जैसे ईट भट्टा और खाण्डसारी , जिनमें निर्माण कार्य छः माह से कम होता है, और बिक्री वर्षपर्यन्त होती रहती है, आरोपणीय कर से मुक्ति की पात्र न होगी ।

बिक्री कर मण्डल फर्रुखाबाद , की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1992 कि खाण्डसारी के निर्माण व बिक्री के पात्रता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने , वर्ष 1986-87 में 5.18 लाख रुपये का करमुक्त शीरा बेचा । चूंकि , यह सामयिक इकाई थी , अतः उसे पात्रता प्रमाण पत्र की स्वीकृति अनियमित थी । परिणामस्वरुप 68,397 रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1992 तथा मई 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1995)

2.8 घोषणा- प्रपत्र के दुरुपयोग के कारण राजस्व की हानि

(क) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 , की धारा 4-ख, सपठित शासकीय अधिसूचना

29 अगस्त , 1987 के अन्तर्गत विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग हेतु अपेक्षित कच्चे माल की खरीद पर निर्माताओं को ,कुछ शर्तों के पूर्ण करने पर, कर में विशेष राहत का प्रावधान है । अधिनियम की धारा 3 -ख के अनुसार मिथ्या पूर्ण धोषणा प्रपत्रों के जारी किये जाने पर , जिससे वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर कर आरोपणीय नहीं रह जाता है , अथवा रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है; तो ऐसी दशा में व्यापारी कच्चे माल की खरीद पर प्राप्त कर की राहत के बराबर की धनराशि के भुगतान का दायी होता है । इसके अतिरिक्त, स्वीकृत रुप से देय कर की बकाया धनराशि पर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी देय होता है ।

बिक्रीकर मण्डल , रामपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1994) कि एक व्यापारी जो जीरोग्राफिक सिस्ट्म्स व इक्विपमेण्ट्स के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण - पत्र धारक था , पैकिंग का सामान (कारोगेटेड बक्से , लकड़ी के पैलेट्स व पैकिंग क्रेट्स) पेण्ट्स व सम्बन्धित रसायनों को कर की रियायती दर पर खरीदने हेतु अधिकृत था । व्यापारी ने वर्ष 1987-88 तथा 1989-90 की अवधि में प्रपत्र 3 -ख से आच्छादित 32.16 लाख रुपए मूल्य के मशीन के पुर्जों की खरीद की जिसके लिए वह अधिकृत नहीं था। अतः व्यापारी 2.83 लाख रुपए की राशि , के भुगतान का दायी था जो उसने कर में राहत के रुप में प्राप्त की थी । इसके अतिरिक्त , जमा की तिथि तक , दो प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1994) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम , 1948 , की धारा 3 - छ के अन्तर्गत केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार के विभागों तथा केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार अथवा उनके स्वामित्व वाली या नियंत्रणाधीन कम्पनी , निगम या प्रतिष्ठान को की गयी बिक्री पर रियायती दर से कर आरोपित करने का प्रावधान इस शर्त पर है कि माल की न तो पुनः बिक्री की जाय , न ही किसी माल के निर्माण में प्रयोग किया जाय और न ही किसी वस्तु की बिक्री पर पैकिंग के रुप में प्रयोग किया जाय । इन शर्तों के उल्लंधन पर विभाग , कम्पनी या निगम ऐसी वस्तु पर लगने वाले कर तथा दिये गये कर के अन्तर के बराबर क्रय कर का देनदार होगा ।

बिक्री कर मण्डल, बरेली में यह देखा गया (सितम्बर 1993) कि भारत सरकार के स्वामित्व वाले एक निगम ने वर्ष 1988-89 में धोषणा प्रपत्र ।।।- घ के बल पर 114.80 लाख रुपये मूल्य के फार्म बाक्स तथा टावर पार्टस की खरीद रियायती दर पर की और एक इकरार नामे के अन्तर्गत उसका प्रयोग दूसरे व्यापारी के लिए माल के निर्माण में किया । परिणामस्वरुप निगम 5.05 लाख रुपये के क्रय कर का दायी था, जिसे आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1993) कि अर्थदण्ड की नोटिस जारी की जा चुकी है ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 1994) ; उनके उत्तर

प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995) ।

2.9 मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम , 1948 की धारा 4-ख , सपठित शासकीय अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर , 1976 एवं 29 अगस्त , 1987 के अन्तर्गत, विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग हेतु अपेक्षित कच्चे माल की खरीद पर निर्माताओं को , कुछ शर्तों को पूर्ण करने पर कर में विशेष राहत का प्रावधान है । ऐसी वस्तुओं के निर्माण हेतु , जिनका उल्लेख सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्तियों में नहीं है , व्यापारी कच्चे माल की खरीद पर रियायती दर की सुविधा ले सकता था।

बिक्री कर के दो मण्डलो की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1993 तथा नवम्बर 1994) कि व्यापारियों ने , जिन्हे ऐसी वस्तुओं के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिनका उल्लेख शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं में नहीं था , प्रपत्र 3- ख से समर्थित 21.74 लाख रुपए का कच्चा माल कर मुक्त खरीदा । चूंकि , व्यापारियों द्वारा निर्मित वस्तुये विज्ञापित नहीं थीं , अतः व्यापारी केवल कर की रियायती दर पर ही कच्चे माल को खरीदने हेतु अधिकृत थे । व्यापारियों को कर मुक्त कच्चा माल खरीदने हेतु अधिकृत करते हुये अनियमित मान्यता प्रमाण पत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरुप 0.96 लाख रुपये की राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	निर्मित वस्तुयें	करमुक्त खरीदे गये कच्चे माल का मूल्य	राजस्व की हानि
				--------(लाख रुपए में)-------	
1	2	3	4	5	6
1.	सहारनपुर	1989-90 और 1990-91	फोम पिलो, स्कूटर शीट, कुशन तथा फोम मेट्रेसेज	9.24	0.41
2.	आगरा	1986-87, 1988-89 तथा 1989-90	रबर रौलर	12.50	0.55
		योग		**21.74**	**0.96**

मामले शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किये गये थे (अक्टूबर 1993 तथा फरवरी 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 1995) ।

2.10 केन्द्रीय बिक्रीकर का अवनिर्धारण

(क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत , घोषित वस्तुओं के अतिरिक्त निर्धारित धोषणा प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से असमर्थित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से , अथवा उस राज्य के अन्दर उस वस्तु के क्रय अथवा विक्रय पर लागू दर से , जो भी अधिक हो , कर आरोपणीय हैं । व्यापारी द्वारा स्वीकृत रुप से देय कर का भुगतान , यदि नियत तिथि तक नहीं कर दिया जाता , तो जमा की तिथि तक उक्त कर पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है ।

बिक्री कर मण्डल धामपुर (बिजनौर) , की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1993) कि दो व्यापारियों ने वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 के दौरान 9.40 लाख रुपये के स्वनिर्मित 'पेण्टिंग ब्रशों' की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की । यद्यपि ये बिक्री घोषणा प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से समर्थित नही थी, फिर भी 4.35 लाख रुपये की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 , की धारा 8 (5) के अन्तर्गत 5.05 लाख रुपए की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर कोई कर आरोपित नहीं किया गया । चूंकि पेण्टिंग ब्रश उक्त अधिनियम की धारा 8 (5) से आच्छादित नहीं है , अतः उसकी अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 15 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर आरोणीय था । परिणामस्वरुप 1.15 लाख रुपये के केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण हुआ । इसके अतिरिक्त व्यापारियों से कर के जमा करने की तिथि तक , 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 1993) विभाग ने 1.15 लाख रुपए का कर आरोपित कर दिया (जनवरी 1994) और अतिरिक्त मांग सृजित कर दी । कर की वसूली एवं अर्थदण्ड के आरोपण की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (नवम्बर 1995) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 1995); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 , की धारा 8 (5) , सपठित अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल , 1968 तथा 19 सितम्बर , 1986 के अन्तर्गत सरसों के तेल व टिन कनस्तरों की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर क्रमशः 1 व 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । स्वीकृति रुप से देय कर की बकाया राशि पर , जमा करने की तिथि तक , 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज प्रभार्य है । अग्रेतर , न्यायिक * रुप से यह निर्णीत

---

* मेसर्स राज स्टील ट्रेडर्स तथा अन्य बनाम स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश एवं अन्य (1989, यू० पी० टी० सी० - 391 (एस० सी०)) ।

है कि जहां माल को पैकिंग मेटीरियल के साथ बेचा अथवा खरीदा जाता है तथा दोनो शिड्यूल में अलग अलग वर्गीकृत है , वहां पैकिंग मेटीरियल की खरीद अथवा बिक्री पर, कर उनके उनके अनुसार आरोपणीय होगा ।

बिक्री कर मण्डल हाथरस में एक व्यापारी ने वर्ष 87-88 से 89-90 के दौरान 19.30 लाख रुपये मूल्य के टिन कनस्तरों सहित 2.72 करोड़ रुपए के सरसों के तेल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की । कुल बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया जबकि टिन कनस्तरों की बिक्री का आवर्तन (टर्न ओवर) चार प्रतिशत की दर से कर योग्य था । परिणामस्वरुप 57,906 रुपये का कर कम आरोपित हुआ । कर कीं बकाया धनराशि पर जमा करने की तिथि तक , दो प्रतिशत प्रति माह की दर से , ब्याज भी आरोपणीय था।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1994 तथा मार्च 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995) ।

2.11 पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 , की धारा 8 (3) ख , सपठित केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियमावली 1957 , के नियम 13 के अनुसार , कर के रियायती दर का लाभ उठाने हेतु यह आवश्यक है कि पंजीकृत व्यापारी की बिक्रीत वस्तु का उल्लेख उसके पंजीयन प्रमाण पत्र में हो । परन्तु न्यायिक निर्णय तथा भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के दिनांक 12 नवम्बर , 1958 के पत्र तथा दिनांक 4 दिसम्बर 1992 के विभागीय परिपत्र* के अनुसार भवन आदि के निर्माण हेतु सीमेण्ट का उल्लेख पंजीयन प्रमाण पत्र में नहीं होना चाहिए ।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1992) कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद , जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है , को कर की रियायती दर से सीमेण्ट का आयात करने हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रदान किया गया । उपक्रम ने वर्ष 1987-88 में 12.81 लाख रुपये मूल्य की सीमेण्ट की खरीद रियायती दर पर की । चूंकि सीमेण्ट न तो निर्माण में और न ही प्रसंस्करण में प्रयोग की जाती है अतः सीमेण्ट हेतु केन्द्रीय पंजीयन दिया जाना अनियमित था और परिणाम स्वरुप 89,684 रुपये की हानि हुयी ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 1993 तथा मई 1995) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

----

* विधि - 2-4-(1) - 90- 91 / 1877 दिनांक 4 दिसम्बर 1992 ।

2.12 निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में विफलता

(क) प्रत्येक व्यापारी से , जो उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम , 1948 , के अन्तर्गत बिक्री कर का दायी है , अपेक्षा की जाती है कि वह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करे । पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करने से पूर्व , कर निर्धारण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह व्यापारी की पहचान, उसके जीवन यापन का श्रोत , वित्तीय स्थिति तथा उसके स्थायी एवं स्थानीय पते का सत्यापन कर ले । अपने आप में सन्तुष्ट होने के पश्चात वह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा । उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियमावली 1948 , के अनुसार व्यापारियों को नये घोषणा पत्र उसी दशा में दिये जा सकते है जब उसने पूर्व में निर्गत सभी प्रपत्रों का लेखा प्रस्तुत कर दिया हो ।

बिक्री कर मण्डल, महोबा (हमीरपुर) में यह देखा गया (अक्टूबर 1993) की दो व्यापारियों को खाद्यान्न व तिलहन के क्रय एवं विक्रय हेतु क्रमशः 14 अप्रैल , 1986 तथा 1 अप्रैल , 1988 से प्रभावी पंजीयन प्रमाण पत्र बिना वास्तविक सत्यापन के केवल क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान कर दिया गया । एक व्यापारी को (अप्रैल 1986 व अप्रैल 1990 के मध्य) III ग (I) के पन्द्रह घोषणा प्रपत्र व III ग (2) के 60 घोषणा प्रपत्र तथा दूसरे व्यापारी को 6 अप्रैल 1988 को III-ग (2) के दस घोषणा प्रपत्र जारी किये गये ।

एक मामले में मण्डी परिषद (राठ-हमीरपुर) द्वारा भारी मात्रा में व्यापारी की प्रान्त अन्दर व अर्न्तप्रान्तीय बिक्री की सूचना के आधार पर वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक के लिये 33.74 लाख रुपये का करारोपण किया गया । देय धनराशि की वसूली हेतु प्रतिष्ठान के स्थल की खोज की गयी , परन्तु दिये हुये पते पर उसे नहीं पाया गया ।

दूसरे मामले में , व्यापारी ने 1.20 लाख रुपये की माँग के विरुद्ध केवल 10,124.65 रुपये ही जमा किये । 1.09 लाख रुपये की अवशेष राशि की वसूली हेतु जब फर्म की खोज की गई तो उसका पता नहीं चला।

पंजीयन प्रमाण पत्र स्वीकृत करने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में विफलता से तथा घोषणा प्रपत्रों के प्रयोग के सत्यापन के बिना ही अन्धाधुन्ध तौर पर जारी किये जाने से 34.83 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी ।

मामले शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किये गये थे (फरवरी 1991 तथा फरवरी 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995) ।

(ब) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 , की धारा 8 (घ) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कार्य संविदा के तहत किसी संविदाकार को किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण के फलस्वरूप भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो, उस संविदाकार को भुगतान के समय दी जाने वाली धनराशि पर 4 प्रतिशत

के बराबर धनराशि की कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गई धनराशि कटौती के माह के बाद वाले माह की समाप्ति के पूर्व ही, राजकीय कोषागार में जमा करेगा । इस प्रावधान के अतिक्रमण की दशा में कर निर्धारण प्राधिकारी यह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में, अधिकतम उस राशि के दो गुने का, जो काटी जानी थी परन्तु काट कर राजकीय कोषागार में जमा नहीं की गयी है, का भुगतान करेगा ।

बिक्रीकर मण्डल मेरठ, की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1993) कि एक व्यापारी ने कार्य संविदा के लिए वर्ष 1988-89 व 1989-90 में संविदा कारों को क्रमशः 28.83 लाख रुपये तथा 30.91 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया । उक्त वर्षों में व्यापारी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर 4 प्रतिशत की दर से संगणित क्रमशः 1.15 तथा 1.24 लाख रुपये की धनराशि कर के रुप में काटी जानी अपेक्षित थी । व्यापारी ने संविदाकार को भुगतान के समय 65,444 तथा 62,516 रुपये की कटौती सम्बन्धित वर्षों के लिए की । इस प्रकार वर्ष 1988-89 व 1989-90 के दौरान व्यापारी द्वारा 1.11 लाख रुपये की कटौती कम की गयी और उसे कोषागार में जमा नहीं किया गया । अतः वह 2.22 लाख रुपये के अर्थदण्ड का दायी था ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1993 व अप्रैल 1995) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995) ।

2.13 अतिरिक्त कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 , की धारा 3-ड. के अन्तर्गत , प्रत्येक व्यापारी , जो कर का देन दार हो , इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धो के अधीन देयकर के अतिरिक्त क्रय , विक्रय अथवा दोनों के आवर्तन (टर्नओवर) के समबन्ध में , जैसा भी हो , अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उस कर निर्धारण वर्ष के लिए दिनांक 1 अगस्त , 1990 से उसके द्वारा देय कर के 25 प्रतिशत की दर से आगणित अतिरिक्त कर के भुगतान का दायी होगा ।

बिक्री कर मण्डल , हापुड़ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1993) कि एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1992-93 में , 30.00 लाख रुपये के , काष्ठ उत्पाद , जलाऊ लकड़ी और बुरादा की बिक्री की गई जिस पर 25 प्रतिशत की सही अतिरिक्त कर की दर के स्थान पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित 2.93 लाख रुपये का कर आरोपित किया गया । इसके फलस्वरूप 0.40 लाख रुपये का अतिरिक्त कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मई 1993) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटि का संशोधन कर के 0.40 लाख रुपये की अतिरिक्त माँग सृजित की गई (मई 1994) । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (नवम्बर 1995) ।

मामला विभाग तथा शासन को सितम्बर 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर

प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995) ।

2.14 ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत , कर भुगतान के दायी प्रत्येक व्यापारी से यह अपेक्षित है कि वह निर्धारित अवधि पर अपने क्रय / विक्रय का आवर्तन (टर्नओवर) का ब्योरा प्रस्तुत करे और आवर्तन में घोषित क्रय / विक्रय पर अधिनियम के अनुसार देय कर जमा करें । अधिनियम की धारा 8 (1) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा स्वीकृत रुप से देय कर यदि नियत तिथि तक जमा नहीं किया जाता , तो जमा न की गयी धनराशि पर , 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज आकर्षित होता है ।

बिक्रीकर मण्डल नजीबाबाद (बिजनौर) , की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1993) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1988-89 के दौरान 373.19 लाख रुपये मूल्य के शीतल पेय की बिक्री की , जिस पर 49.07 लाख रुपये का कर आरोपित किया गया । व्यापारी ने निर्धारित समय के अन्दर 46.03 लाख रुपये जमा कर दिये और 3.04 लाख रुपये की अवशेष राशि दिनांक 20 सितम्बर 1991 को जमा की । बिलम्बित भुगतान पर 2.31 लाख रुपए का ब्याज आगणित होता था, जिसे प्रभारित नहीं किया गया ।

मामला शासन तथा विभाग को जुलाई 1993 तथा पुनः अक्टूबर 1993 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995) ।

2.15 कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948, की धारा 3- क (।) (क) के अन्तर्गत कोयले की बिक्री पर निर्माता अथवा आयातकर्त्ता के बिन्दु पर दिनांक 1 अगस्त 1986 से 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । यदि स्वीकृत रुप से देय कर , निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया जाता है, तो कर की बकाया धनराशि पर जमा करने की तिथि तक , 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज आकर्षित होता है।

बिक्रीकर मण्डल गाजियाबाद , की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1992) कि वर्ष 1988-89 के दौरान एक व्यापारी ने (क्रय बिलो व रेलवे रसीदों के अनुसार) 15,861.20 मीट्रिक टन कोयले की खरीद की । परन्तु उसने घोषित किया कि वास्तव में उसे 14,291.240 मीट्रिक टन ही कोयला प्राप्त हुआ । 1569.960 मीट्रिक टन की कमी/ छीजन थी । जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कोयले की बिक्री 1041.42 रुपये प्रति मीट्रिक टन से निर्धारित की गयी जिसमें उतरायी तथा दुलाई का व्यय , उत्पाद शुल्क व डम्प होल्डर/व्यापारी के लाभ के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की दर से कमी / छीजन सम्मिलित है । इस प्रकार व्यापारी द्वारा छीजन / कमी का दो बार दावा किया गया , प्रथम बार माल को प्राप्त करते समय जिसमें 1569.960 मीट्रिक टन कोयले की छूट सम्मिलित थी और दूसरी बार जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कोयले का बिक्रय मूल्य निर्धारित करते समय । परिणामस्वरूप 16.35 लाख रुपये मूल्य के 1569.960 मीट्रिक टन कोयले की बिक्री पर 65,400 रुपये का कर आरोपित नहीं हो सका । इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत

प्रति माह की दर से ब्याज भी प्रभार्य है ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 1992) विभाग ने बताया (फरवरी 1994) कि 65,400 रुपये का कर आरोपित कर दिया गया है । कर एवं ब्याज की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (नवम्बर 1995) ।

मामला शासन को जनवरी 1993 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

2.16 कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 , के अनुसार ऐसे माल की बिक्री पर जो अन्यत्र वर्गीकृत न हो , 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत कीं दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त , 1 नवम्बर , 1985 तथा 1 अगस्त , 1990 से क्रमशः 10 तथा 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । यदि स्वीकृत रुप से देय कर , निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं किया जाता है , तो कर की बकाया राशि पर जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आकर्षित होता है । न्यायिक रुप से यह निर्णीत * है कि आयात लाइसेंस एक वस्तु है अतः इसकी बिक्री पर कर देय होगा ।

(i) बिक्री कर के तीन मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1994 तथा नवम्बर 1994 के मध्य) कि तीन व्यापारियों ने आयात लाइसेंस की बिक्री की । इस बिक्री पर 31 जुलाई 1990 तक अतिरिक्त कर सहित 8.8 प्रतिशत की दर से और 1 अगस्त 1990 से अतिरिक्त कर सहित 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरुप 11.75 लाख रुपये का कर आरोपित नही हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

----

* मेसर्स भारत फ्रिट्ज वार्नर लि० बनाम कमिश्नर आफ कामर्शियल टैक्सेज व अन्य ((1992) - 86 - एस० टी० सी० 170 (कर्नाटक)) ।

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	लाइसेंस/प्रीमियम की विक्रय राशि (लाख रु0 में)	कर की दर (अतिरिक्त कर सहित)	कर की राशि (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	1989-90	3.97	8.8%	0.35
2.	कानपुर	1990-91	19.85	10.0%	1.98
3.	बरेली	1991-92	94.19	10.0%	9.42
	योग		118.01		11.75

मामले शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किये गये थे (दिसम्बर 1994 तथा फरवरी 1995 के मध्य) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995) ।

(ii) बिक्री कर मण्डल, बहराइच की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1994) कि वर्ष 1989-90 में एक व्यापारी ने 9.93 लाख रुपये के बेंत की बिक्री की । इस बिक्री पर अतिरिक्त कर सहित 8.8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था , परन्तु इसे एक करमुक्त वस्तु मानते हुये करारोपण नहीं किया गया । परिणामस्वरुप 87,410 रुपये का कर आरोपित नहीं हुआ । चूंकि कर स्वीकृत रुप से देय था , अत: कर के जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

मामला शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1994); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

अध्याय - 3

राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1994-95 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखों तथा संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में 219.63 लाख रुपए की धनराशि के शुल्क और फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 137 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि लाख रुपए में
1.	अतिशय पारेषण/भंडारण छीजन	12	40.75
2.	निर्यात पास फीस का कम आरोपण	10	7.60
3.	ब्याज का अनारोपण	21	15.07
4.	समझौता शुल्क/अर्थदण्ड का अनारोपण	9	42.24
5.	देशी शराब की न्यूनतम गारंटीड मात्रा (एम0 जी0 क्यू0) का अयुक्त निर्धारण	10	85.95
6.	न्यूनतम निर्धारित उत्पादन का बरकरार न रखना	7	-
7.	अन्य अनियमिततायें	68	28.02
	योग	**137**	**219.63**

वर्ष 1994-95 की अवधि में सम्बन्धित विभाग ने 32.89 लाख रुपए से सम्बन्धित अवनिर्धारण आदि के 98 मामले स्वीकार किए, जिनमें से 7.03 लाख रुपए के 3 मामले लेखा परीक्षा में वर्ष 1994-95 के दौरान इंगित किए गए थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में । उदाहरण के लिए कुछ मामले जिसमें 195.58 लाख रुपए सन्निहित है , अनुवर्ती प्रस्तरों में दिए जा रहे है :

3.2 नियमों के अनुपालन न किए जाने से राजस्व-हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों, के अन्तर्गत अप्रैल 1991 से यथासंशोधित अनुज्ञापी को , बोली की रकम का 25 प्रतिशत जमानत के रुप में जमा करना अपेक्षित है । बोली की रकम का आठवां भाग, बोली तोड़े जाने पर , नकद रुप में नीलामी के दौरान ही अदा किया जाना होता है तद्नन्तर बीस दिनों के अन्दर चौबीसवां भाग नकद रुप में तथा शेष बारहवां भाग या तो नकद या बैंक गारन्टी / सावधि जमा रसीद के रुप में जमा किया जाना होता है । वर्ष 1993-94 से , अग्रिम जमानत जमा किये जाने की रीति पुनरीक्षित की गई, जिसके अनुसार नीलाम में अंतिम बोली तोड़ी जाने पर बारहवां भाग नकद के रुप में अदा करना होता है तद्न्तर आठवां भाग बीस दिन में नकद रुप में अथवा बारहवां भाग दस दिन के अन्दर नकद रुप में तथा बीस दिन के भीतर बारहवां भाग बैंक गारण्टी/ सावधि जमा रसीद के रुप में जमा किया जाना होता है । उसके बाद अनुज्ञापी को सम्पूर्ण आबकारी वर्ष के लिए अनुज्ञापन शुल्क 12 मासिक किश्तों में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक जमा करना होता है । यदि प्रतिभूति जमा से समायोजित, मासिक किश्तों के भुगतान की अवशेष धनराशि 10 दिनों के अन्दर जमा नहीं की जाती है तो अनुज्ञापन रद्द करके उसे नये सिरे से व्यवस्थापित किया जाता है । यदि दुकानों की पुनः नीलामी से कोई हानि होती है , तो उसे, बची हुई प्रतिभूति से तथा शेष धनराशि को , यदि कोई हो , भू-राजस्व की भाति वसूल किया जाता है।

(क)

(i) जिला आबकारी कार्यालय , प्रतापगढ़ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1993) कि वर्ष (1992-93) के लिए विदेशी मदिरा की पट्टी व लाल गंज अजारा की सिटी ग्रुप की दुकाने 2 मई, 1992 को 42.01 लाख रुपए की उच्चतम बोली पर तय की गई । अग्रिम प्रतिभूति के रुप में बोली की राशि का छठवां भाग 7.00 लाख रुपए नकद जमा किया जाना था जिसके विरुद्ध नगद रुप में केवल 3.51 लाख रुपए जमा किया गया था तथा 3.95 लाख रुपए चेक से अदा किया गया जिसे बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अनादृत कर दिया गया । बोली का बारहवां भाग भी नहीं जमा किया गया था । अनुज्ञापी ने मई 1992 की 2.93 लाख रुपए की कम किश्त जून 1992 में जमा की । विभाग ने अनुज्ञापन निरस्त कर दिया (13 जुलाई 1992) तथा 14 अक्टूबर 1992 से 21 अक्टूबर 1992 तक दुकाने दैनिक व्यवस्था के आधार पर चलायी गयी जिससे 9.61 लाख रुपए की प्राप्ति हुई । दिनांक 21 अक्टूबर 1992 की पुर्ननीलामी में दुकाने 14.73 लाख रुपए की बोली पर तय की गई। इस प्रकार इन दुकानों से 42.01 लाख रुपए की मूल बोली की धनराशि के विरुद्ध 28.42 लाख रुपए का कुल राजस्व अर्जित किया गया । नियमों का अनुपालन न करने से 13.59 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर , विभाग द्वारा 13.41 लाख रुपए की हानि स्वीकार की गई (अगस्त 1995) जिसके लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है । अग्रेतर, विभाग द्वारा बताया गया कि अनादृत चेक के लिए पुलिस विभाग में प्राथमिकी दर्ज की गई है । जांच - परिणाम प्रतीक्षित है (नवम्बर 1995) ।

(ii) जिला आबकारी कार्यालय , फतेहपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि (अगस्त 1994) वर्ष 1993-94 में जनपद की देशी मदिरा की सभी दुकानों की नीलामी तीन ग्रुपों में 580.90 लाख रुपए की उच्चतम बोली पर तय की गई । अनुज्ञापियों द्वारा नीलामी की बोली का बारहवां भाग नकद रुप में बोली तोड़ जाने पर जमा किया गया तदन्तर बीस दिन के अन्दर आठवे भाग के विरुद्ध केवल बारहवां भाग ही जमा किया गया । अनुज्ञापियों ने मई 1993 के बाद मासिक किस्तों का भुगतान इस आधार पर रोक दिया कि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने नीलाम के समय वर्ष 1993-94 के लिए 6 लाख बल्क लीटर न्यूनतम निर्धारित कोटा बढ़ाने का आश्वासन पूरा नहीं किया। विभाग ने लाइसेंस निरस्त करने तथा दुकानों को दोबारा अनुज्ञापियों के खतरे व मूल्य पर नीलाम करने की कार्यवाही नहीं की वरन् अनुज्ञापियों को स्पिरिट निर्गत करना जारी रखा यद्यपि कि उन्होंने जून 1993 व आगे की मासिक किस्तों को जमा नहीं किया था । परिणामतः अनुज्ञापीगण अक्टूबर 1993 तक बिना मासिक किस्तों का भुगतान किये दुकानों को चलाने में और दिनांक 1 नवम्बर , 1993 को माननीय उच्च न्यायालय से अनुज्ञापन शुल्क की वसूली के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करने में सफल रहे जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 फरवरी 1994 के बाद खण्डित (वेकेट) किया गया । तदोपरान्त जिले का न्यूनतम निर्धारित कोटा भी 6 लाख बल्क लीटर्स के आश्वासन के विरुद्ध 5 लाख बल्क लीटर्स बढ़ा दिया गया । इस प्रकार 585.90 लाख रुपए बोली की रकम (बढ़े हुए न्यूनतम निर्धारित कोटे पर मूल लाइसेंस फीस शामिल करते हुए) के विरुद्ध 433.25 लाख रुपए ही विभाग को प्राप्त हो सके ; फलस्वरुप 152.65 लाख रुपए के राजस्व की वसूली नही हुई ।

मामला , विभाग एवं शासन को अगस्त 1994 में पुनः जनवरी 1995 में और तत्पश्चात् जुलाई 1995 में अनुस्मारक द्वारा प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1995) ।

(ख) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1910 व उसके अन्तर्गत बने नियमों, अप्रैल 1991 से यथासंशोधित, के अनुसार यदि दुकानों को अन्तिम रुप से व्यवस्थापित किया जाना सम्भव न हो तो लाइसेंस अधिकारी द्वारा दुकानों का अस्थाई व्यवस्थापन किया जायेगा । अस्थायी रुप से व्यवस्थापित दुकानों की बोली की धनराशि अग्रिम रुप में जमा करनी होती है तथा दुकानों का व्यवस्थापन तब तक तय नही किया जाता जब तक बोली की धनराशि जमा न हो गयी हो ।

जिला आबकारी कार्यालय , इलाहाबाद की लेखा परीक्षा में देखा गया (अगस्त 1992) कि विदेशी मदिरा की 30 दुकानों का व्यवस्थापन अस्थायी रुप से 2 अप्रैल 1992 से 28 अप्रैल 1992 तक तीन विभिन्न चरणों में कुल 28.31 लाख रुपए की बोली पर किया गया जिसके विरुद्ध अनुज्ञापियों द्वारा केवल 18.29 लाख रुपए ही जमा किये गये । बोली की पूरी धनराशि जमा कराये बिना ही अनुज्ञापियों को दुकान चलाये जाने की अनुमति दी गयी । परिणामस्वरुप 10.02 लाख रुपए के राजस्व की कम वसूली हुई ।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1992) ; विभाग ने बताया (जून 1994) कि 5.70 लाख रुपए की वसूली कर ली गयी है । शेष धनराशि की वसूली की अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1995) ।

3.3 निर्यात शुल्क की गलत दर लगाये जाने से राजस्व- हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत , आबकारी शुल्क लगाये जाने के उद्देश्य से , मदिरा को देशी अथवा विदेशी मदिरा में वर्गीकृत किया जाता है । स्पिरिट, जिसकी सान्द्रता 60^0 ओवर प्रूफ् से कम की है (आयतन दर आयतन 91.27 प्रतिशत से कम अल्कोहल), सादी स्पिरिट कही जाती है तथा 60^0 ओवर प्रूफ् तथा अधिक सान्द्रता वाली परिशोधित स्पिरिट (विदेशी मदिरा) के नाम से जानी जाती है । 60^0 ओवर प्रूफ से कम सान्द्रता की सादी स्पिरिट चाहे वह शीरा, अंगूर अथवा माल्ट के आसवन से प्राप्त की गई हो, आबकारी शुल्क के लिए देशी मदिरा की श्रेणी में आती है । 30 मार्च , 1994 तक देशी मदिरा (ताड़ी तथा किण्वीय अल्कोहल को छोड़कर), पर निर्धारित निर्यात शुल्क की दर 7.00 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर तथा 31 मार्च 1994 से 8.00 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर थी । 30 मार्च , 1994 तक विदेशी मदिरा पर शुल्क की दर 4.00 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर , थी जो बाद में 31 मार्च 1994 से 7.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से पुनरीक्षित की गई ।

दो आसवनियों (राजा का सहसपुर, जनपद मुरादाबाद तथा नवाबगंज, जनपद गोण्डा) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1994 तथा फरवरी 1995) कि इन आसवनियों ने जून 1993 तथा दिसम्बर 1994 के मध्य 2,35,512 अल्कोहलिक लीटर स्पिरिट (1,14,612 अल्कोहलिक लीटर शीरा स्पिरिट तथा 1,20,900 अल्कोहलिक लीटर माल्ट स्पिरिट) उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात किया जिसकी सान्द्रता 60^0 ओ0 पी0 से कम थी (आयतन दर आयतन अल्कोहल 57 से 67 प्रतिशत) तथा जो देशी मदिरा की श्रेणी में वर्गीकृत योग्य थी । उक्त स्पिरिट के निर्यात पर 7.00 रुपए / 8.00 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर के सही दर के स्थान पर 4.00 रुपए / 7.00 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से वसूल किया गया । इसके परिणामस्वरुप 4.18 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई जिसका विवरण निम्नवत है :

क्रम संख्या	आसवनी का नाम	वर्ष	निर्यात की मात्रा (ए0 एल0 में)	वसूली योग्य निर्यात शुल्क	वसूला गया निर्यात शुल्क	राजस्व हानि
				-----(लाख रुपए में)----		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अजुधिया आसवनी	1993-94	53,412	3.74	2.14	1.60
	राजा-का-सहसपुर					
	(मुरादाबाद)	1994-95	61,200	4.89	4.28	0.61

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	नारंग आसवनी	1993-94	37,820	2.65	1.51	1.14
	नवाबगंज (गोण्डा)	1994-95	83,080	6.65	5.82	0.83
		योग		**17.93**	**13.75**	**4.18**

मामले , विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (जनवरी 1995 तथा अप्रैल 1995); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1995) ।

3.4 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न किया जाना

29 मार्च , 1985 से यथा संशोधित , उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अनुसार जहां कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, वहां जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है । आबकारी राजस्व के संबंध में जो अधिनियम में संशोधन की तिथि के पूर्व देय था किन्तु संशोधन की तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया गया, 29 मार्च, 1985 से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से, ब्याज प्रभारित किया जाना अपेक्षित है ।

तीन जिला आबकारी कार्यालयों (लखनऊ, पीलीभीत तथा फैजाबाद) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1992 तथा फरवरी 1995 के मध्य) कि अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद देय 26.69 लाख रुपए का आबकारी राजस्व 29 मार्च 1985 से गणना करने पर अपनी देय तिथि से 3 से 83 माह के बिलम्ब से अदा किया गया । इस प्रकार आबकारी राजस्व के इन विलम्बित भुगतानों पर 9.20 लाख रुपए का ब्याज आरोपणीय था , जिसे निम्न विवरण के अनुसार आरोपित तथा वसूल नहीं किया गया :

क्रम संख्या	जिला आबकारी कार्यालय का नाम	देय आबकारी राजस्व (लाख रुपए में)	विलम्ब की अवधि (माह में)	ब्याज जो आरोपित/वसूल नहीं हुआ (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. (i)	लखनऊ	3.50	65	3.40
(ii)	लखनऊ	1.74	83	2.17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	मझोला (पीलीभीत)	11.98	3 से 6	0.70
3	फैजाबाद	9.47	9 से 24	2.93
	योग	**26.69**		**9.20**

मामले, विभाग तथा शासन को दिसम्बर 1994 तथा अप्रैल 1995 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

3.5 भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण आबकारी शुल्क का कम लगाया जाना

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बोतल बन्दी नियम , 1969 , सपठित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, व्हिस्की , ब्राण्डी , रम तथा जिन के विक्रय हेतु निर्धारित तीव्रता , स्पिरिट की वह दृष्टिगत तीव्रता होती है जैसा कि उसमें रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद हाइड्रोमीटर द्वारा प्रत्यक्ष इंगित होती है। इस प्रकार इंगित तीव्रता का उल्लेख ढ़क्कन-दार एवं मोहर-बन्द बोतलो पर चिपकाये गये लेबिलों पर होना चाहिए । व्हिस्की , ब्राण्डी तथा रम की न्यूनतम तीव्रता 25^0 अण्डर प्रूफ (42.8 प्रतिशत आयतन दर आयतन) है । ढ़क्कनदार तथा मोहर-बन्द बोतलों में भरी गयी भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर शुल्क उसमें विद्यमान अल्कोहल के प्रति लीटर पर वसूल किया जाता है ।

सिम्भावली (गाजियाबाद) स्थित एक आसवनी की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (जनवरी 1992) कि अगस्त 1991 से दिसम्बर 1991 की अवधि में रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद मदिरा में स्पिरिट की वास्तविक तीव्रता , जैसा कि हाइड्रोमीटर द्वारा प्रत्यक्षतः इंगित की गयी थी, 42.9 प्रतिशत आयतन दर आयतन (आसवनी के अभिलेखों के अनुसार) थी जो 0.1 प्रतिशत (बोतलों पर लगाये गये लेबिलों पर इंगित) आयतन दर आयतन अधिक थी । फलस्वरुप हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित वास्तविक प्रत्यक्ष तीव्रता के बजाय निर्धारित न्यूनतम तीव्रता (जैसा की लेबिलों पर इंगित था) के आधार पर आबकारी शुल्क के आरोपण से 0.46 लाख रुपए शुल्क कम आरोपित हुआ ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1994) विभाग ने कहा (जुलाई 1995) कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई , उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल , भाग-। के नियम 805 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी थी जिसमें मदिरा की तीब्रता को सिद्ध करने के लिए 0.5^0 स्पिरिट तक की छूट दी गयी है। विभागीय उत्तर स्वीकार नहीं है क्योकि नियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार आबकारी शुल्क

प्रत्यक्ष तीव्रता पर आरोपणीय है ।

मामला विभाग व शासन को दिसम्बर 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1995) ।

3.6 विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन में विलम्ब से राजस्व हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 व उसके अधीन बने नियमों (अप्रैल 1991 से यथा संशोधित) के अन्तर्गत मादक द्रव्यों की फुटकर बिक्री हेतु लाइसेंस का व्यवस्थापन सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है । आबकारी वर्ष (अप्रैल से मार्च) के प्रारम्भ होने के पूर्व नीलामी द्वारा अनुज्ञापन के अंतिम व्यवस्थापन न होने पर राजस्व हानि को बचाने के लिए दुकानों की अस्थाई व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है ।

जिला आबकारी कार्यालय , फैजाबाद की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 1993) कि वर्ष 1993-94 के लिए विदेशी मदिरा की सात दुकानों के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन सार्वजनिक नीलामी द्वारा 9 अप्रैल 1993 को हुआ किन्तु 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 1993 तक , सात दिवसों के लिए (एक अप्रैल बन्दी का दिवस), इन दुकानों के लिए कोई अस्थाई व्यवस्था नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरुप 2.30 लाख रुपए के अनुज्ञापन शुल्क (वर्ष 1992-93 के अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर) की राजस्व हानि हुयी ।

मामला विभाग एवं शासन को दिसम्बर 1994 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

3.7 बिना अनुज्ञापन के व्यापार करने से राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 व उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत बन्धित गोदामों को देशी स्पिरिट की आपूर्ति हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है और प्रारुप सी0एल0-। में अनुज्ञापन सामान्यतया न्यूनतम दर निविदित करने वाली फर्म को प्रदान किया जाता है । 25 मार्च 1992 की एक अधिसूचना द्वारा शासन ने 25 लाख बल्क लीटर और उससे अधिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0 जी0 क्यू0) वाले जनपद के लिए 1.00 लाख रुपए तथा 25 लाख बल्क लीटर से कम न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा वाले जनपद के लिए 75,000 रुपए का अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया । इसके अतिरिक्त 10,000 रुपए जमानती जमा के रुप में नकद या अन्य निर्धारित प्रारुपों में दिया जाना भी अपेक्षित था ।

आबकारी आयुक्त , उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1994) कि वर्ष 1994-95 के लिए बन्धित गोदाम , मेरठ (निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 25 लाख बल्क लीटर से अधिक) को देशी स्पिरिट की आपूर्ति हेतु मेरठ स्थिति एक आसवनी की निविदा न्यूनतम होने के कारण स्वीकार की गयी । फर्म ने 1.00 लाख रुपए के बैंक ड्राफ्ट जमा किया और अनुज्ञापन

जारी करने हेतु अनुरोध किया । विभाग ने न तो बैंक ड्राफ्टों को नकदी करण हेतु बैंक को भेजा और न ही फर्म को अनुज्ञापन जारी किया । उक्त गोदाम को देशी स्पिरिट की आपूर्ति हेतु ठेका , एक अन्य आसवनी को बिना अनुज्ञापन जारी किये ही दे दिया गया । विभाग की इस कार्यवाही के फलस्वरुप न केवल 1.00 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई , बल्कि गैर अनुज्ञापन धारी को ठेका भी दे दिया गया ।

मामला विभाग एवं शासन को जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

3.8 बियर पर अभिकर का कम आरोपित किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1910 व उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी ब्रिवरी से बियर की निकासी आबकारी अभिकर के भुगतान के बाद अथवा बन्ध पत्र के आधीन की जाती है । बियर पर अभिकर उसमें विद्यमान अल्कोहल पर आधारित होता है । इस उद्देश्य हेतु , बियर का नमूना संयुक्त आबकारी आयुक्त (विकास) को भेजा जाना अपेक्षित है । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत 11 मार्च 1993 की अधिसूचना द्वारा 5 प्रतिशत आयतन दर आयतन से कम अल्कोहल की मात्रा वाली बियर पर आबकारी अभिकर की दर 2 रुपए प्रति बोतल तथा 5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक आयतन दर आयतन तक की अल्कोहल की मात्रा वाली बियर पर अभिकर की दर 3.25 रुपए प्रति बोतल निर्धारित की गयी।

मोहन नगर (गाजियाबाद) स्थित एक ब्रिवरी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1994) कि फरवरी 1994 से अक्टूबर 1994 के दौरान 50,760 बोतल बियर की निकासी की गयी , जिस पर 2 रुपए प्रति बोतल की दर से 1.02 लाख रुपए का अभिकर आरोपित किया गया । रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार बियर में अल्कोहल की मात्रा 5.2 प्रतिशत आयतन दर आयतन से 6.30 प्रतिशत आयतन दर आयतन तक थी जिस पर 3.25 रुपए प्रति बोतल की दर से 1.65 लाख रुपए का अभिकर आरोपणीय था । अभिकर के कम आरोपित किए जाने के फलस्वरुप 63,000 रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को दिसम्बर 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995) ।

3.9 अनुज्ञापन शुल्क का विलम्ब से जमा किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1910 व उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (विकृत स्पिरिट को छोड़कर) की थोक बिक्री हेतु अनुज्ञापन प्रारुप एफ0 एल0- 2 में जिलाधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति से निर्गत किया जाता है । अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के पूर्व अनुज्ञापी द्वारा निर्धारित दर से अनुज्ञापन शुल्क जमा करना अपेक्षित है । आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 1993-94 के लिए अनुज्ञापन शुल्क 8.00 लाख रुपए निर्धारित किया गया था ।

जिला आबकारी कार्यालय , लखनऊ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1994) कि लखनऊ जनपद में भारत निर्मित विदेशी मदिरा के थोक व्यापार हेतु वर्ष 1993-94 का अनुज्ञापन एक अनुज्ञापी के पक्ष में निर्गत किया गया । अनुज्ञापी द्वारा 8.00 लाख रुपए का अनुज्ञापन शुल्क 8 बैंक ड्राफ्टों द्वारा मार्च 1993 में जमा किया गया । इन बैंक ड्राफ्टों को विभाग में रोके रखा गया, जिन्हे 12 महीने से अधिक बिलम्ब (अप्रैल 1994) से कोषागार में जमा किया गया । इस प्रकार बिना अनुज्ञापन शुल्क जमा किये अनुज्ञापन निर्गत किया गया । इसके परिणामस्वरुप ब्याज के रुप में 1.55 लाख रुपए की हानि हुई तथा अनुज्ञापन भी अनियमित रुप से निर्गत किया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1994) जिला आबकारी कार्यालय लखनऊ द्वारा बैंक ड्राफ्टों को बिलम्ब से जमा किया जाना स्वीकार किया गया (अप्रैल 1995) ।

मामला शासन को (दिसम्बर 1994) में प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

अध्याय - 4

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 1994-95 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 195 मामले में 119.69 लाख रुपए की धनराशि के करो/शुल्कों का कम लगाया जाना या न लगाया जाना उद्घाटित हुआ , जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	यात्री-कर/अतिरिक्त यात्रीकर का कम लगाया जाना या न लगाया जाना	88	77.30
2.	मार्ग-कर का अवनिर्धारण	40	15.50
3.	माल-कर का कम लगाया जाना	4	8.67
4.	अन्य अनियमिततायें	63	18.22
	योग	**195**	**119.69**

वर्ष 1994-95 के दौरान विभाग ने 68 मामलों में निहित 17.77 लाख रुपए के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया । इनमें से 3.02 लाख रुपए से संबंधित 16 मामले वर्ष 1994-95 की लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किए गए थे और शेष पूर्व के वर्षों में । 21.84 लाख रुपए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामलों को उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दर्शाया गया है :

4.2 सरकारी अधिसूचना के प्रसारण में विलम्ब के कारण राजस्व हानि

राज्य सरकार द्वारा 2 सितम्बर , 1992 को जारी की गयी अधिसूचना द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गो पर अस्थाई परमिट पर संचालित साधारण, डीलक्स तथा वातानुकूलित वाहनों के सम्बन्ध में एक मुश्त यात्रीकर की दरें 160 रुपए, 200 रुपए तथा 232 रुपए से बढ़ाकर क्रमश: 240, 300 तथा 348 रुपए प्रति वाहन प्रतिदिन कर दिया गया था ।

कुल्हाल (देहरादून), स्थित जांच चौकी की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1993)

कि 2 सितम्बर 1992 को जारी अधिसूचना 127 दिनों के विलम्ब के पश्चात जांच चौकी पर प्राप्त हुई । इसके परिणामस्वरुप जांच चौकी से होकर जाने वाले 290 वाहनों से एक मुश्त यात्रीकर की वसूली पुरानी दरों पर की जाती रही , फलतः 1.12 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई।

मामला विभाग एवं शासन को जून 1993 में तथा पुनः फरवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1995)।

4.3 अनुबन्धित वाहनों पर यात्री कर का निर्धारण न किया जाना

उ0 प्र0 मोटर गाड़ी (यात्रीकर) नियमावली 1962 के अन्तर्गत राज्य में प्रक्रम वाहनों द्वारा (अनुबन्धित वाहनों सहित) यात्रा करने पर यात्री द्वारा वाहन स्वामियों को देय किराये पर 16 प्रतिशत की निर्धारित दर से यात्रीकर देय है । वाहन स्वामी कर इक्टठा करता है तथा विकल्प केसाथ या तो "वे बिल" पर (संग्रहीत कर की वास्तविक धनराशि के अनुसार) अथवा एक मुश्त आधार पर यात्री कर का भुगतान करता है । अनुवन्धित वाहनों (मोटर कैब को छोड़कर) के संबंध में एक मुश्त अनुबंध के अन्तर्गत यात्रीकर का निर्धारण , अन्य बातों के साथ - साथ देय किराया तथा एक माह में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी पर निर्भर करता है । वसूली के लिए यात्रीकर की गणना में किराया, मोटर यान अधिनियम 1939 (बाद में मोटर यान अधिनियम 1988 द्वारा प्रतिस्थापित) के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम किराये की दर के 75/85 प्रतिशत से (2 सितम्बर 1992 से प्रभावी) कम नहीं होगा तथा एक माह में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी 4000 कि0मी0 से कम नही होगी।

संभागीय कार्यालय , वाराणसी तथा 4 उपसंभागीय कार्यालयों, बहराइच , बलिया, गाजीपुर तथा सिद्घार्थ नगर की लेखा परीक्षा में देखा गया (जून 1994 तथा अगस्त 1994 के मध्य) कि 21 अनुबन्धित वाहनों के लिए 5 वर्ष के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गये थे। अनुबन्धित वाहनों के संचालक संभागीय/उप संभागीय कार्यालयो में अपने वाहनों के उत्तर प्रदेश में संचालन हेतु मार्गकर का भुगतान कर रहे थे, परंतु यात्रीकर, न तो "वे बिल" और न "एक मुश्त" के ही आधार पर निर्धारित किया गया । इसके फलस्वरुप , नीचे प्रदर्शित तालिका के अनुसार, 10.22 लाख रुपए राजस्व की वसूली नही हुई:

क्रम संख्या	संभाग/उप संभाग का नाम	वाहनों की संख्या	हानि की अवधि	कम निर्धारित/अनिर्धारित धनराशि (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वाराणसी	2	जून 1992 से मार्च 1994	1.19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	बहराइच	5	मार्च 1993 से जून 1994	0.43
3.	बलिया	10	23 जून 1992 से 30 जून 1994	5.94
4.	गाजीपुर	1	18 सितम्बर 1992 से 31 दिसम्बर 1993	1.08
5.	सिद्धार्थ नगर	3	29 सितम्बर 1992 से 3 जून 1994	1.58
	योग	**21**		**10.22**

मामले विभाग एवं शासन को अगस्त 1994 तथा नवम्बर 1994 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1995) ।

4.4 पुनरीक्षित न्यूनतम किराये के अपनाये जाने में विफलता

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) नियमावली 1962 , तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य में की जाने वाली यात्रा के संबंध में यात्रीकर उस दर से आरोपणीय है जो किसी प्रक्रम वाहन में चल रहे यात्रियों द्वारा अदा किये गये अथवा अदा किये जाने योग्य किराये के 16 प्रतिशत के बराबर हो। राज्य सरकार की दिनांक 8 जून, 1994 की एक अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण / संभागीय परिवहन प्राधिकरण को विशेष तथा "ए" श्रेणी मार्गो "बी" श्रेणी मार्गो तथा "सी" श्रेणी मार्गो पर चलने वाले प्रक्रम वाहनों (स्टेज कैरेज) के लिए किराये की न्यूनतम दर क्रमशः 17.1 , 18.8 और 21.9 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित करने का निर्देश दिया गया ।

गोंडा उप संभागीय कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1994) कि दो मार्गो, बलरामपुर- कोयलाबासा और बलरामपुर - हरैया, पर किराये की न्यूनतम दरें लागू नहीं की गई थी और यात्रीकर पूर्व-पुनरीक्षित दरों पर, या सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर, वसूल किया जाता रहा। इसके फलस्वरुप जून 1994 से अगस्त 1994 की अवधि के बीच 57846 रुपए की यात्रीकर की हानि

हुई।

मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 1994 तथा पुनः जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

4.5 पंजीयन चिन्ह आवंटित न करने के कारण राजस्व हानि

मोटर गाड़ी अधिनियम , 1988, के अन्तर्गत जब कोई मोटर यान, जो एक राज्य में पंजीकृत है, किसी अन्य राज्य में 12 माह से अधिक अवधि के लिए रखा जाता है तब यान के स्वामी से अपेक्षित है कि वह नवीन पंजीकरण चिन्ह के आवंटन (असाइनमेन्ट) के लिए पंजीयन अधिकारी , जिनके अधिकार क्षेत्र में वाहन है, को निर्धारित प्रारूप में 300 रुपए प्रति वाहन की दर से फीस के साथ प्रार्थना पत्र दे ।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय , लखनऊ की लेखा परीक्षा में देखा गया (मार्च 1994) कि अप्रैल 1990 और मार्च 1992 की अवधि के मध्य अन्य राज्यों के 217 भारी वाहन "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" लेकर उत्तर प्रदेश में आये जिनका पंजीकरण लखनऊ सम्भाग में किया गया था । ऐसे वाहनों से अनवरत मार्ग-कर निर्धारित करके वसूला जा रहा था । यद्यपि राज्य में वाहनों का संचालन 12 माह से अधिक समय से हो रहा था, परंतु न तो उन वाहनों को उत्तर प्रदेश का पंजीयन चिन्ह आवंटित किया गया और न ही इन वाहनों के किसी स्वामी द्वारा इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया । इसके परिणाम स्वरुप 65,100 रुपए राजस्व की कम वसूली हुई।

मामला विभाग एवं शासन को जुलाई 1994 तथा पुनः जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

4.6 शुद्ध किराये की गलत गणना के कारण यात्रीकर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम , 1962 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, राज्य में की जाने वाली यात्रा के संबंध में यात्रीकर उस दर से आरोपणीय है जो किसी प्रक्रम वाहन में चल रहे यात्रियों द्वारा अदा किये गये अथवा अदा किये जाने योग्य किराये के 16 प्रतिशत के बराबर हो । दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को बीमा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रम वाहन में ले जाये जा रहे प्रत्येक यात्री से यात्रीकर के अतिरिक्त, यात्रीकर के 5 प्रतिशत की दर से अधिभार की वसूली भी की जाती है । यात्रीकर तथा अधिभार को निकटतम पैसे में पूर्णांकित किया जाना होता है ।

संभागीय परिवहन कार्यालय , लखनऊ की लेखा परीक्षा में देखा गया (मार्च 1994), कि संभागीय प्रबंधक उ० प्र० राज्य परिवहन निगम, लखनऊ ने चारबाग से चौक तक के मार्ग का किराया, करों और अधिभार सहित 1.50 रुपए निर्धारित किया था (जून 1992) । यात्रीकर तथा उस पर लगने वाले अधिभार को निकाल कर विभाग द्वारा आगणित शुद्ध किराया 1.20 रुपए के स्थान पर 1.29 रुपए आगणित होता है । इसके फलस्वरुप जून 1992 से मार्च 1994 तक की अवधि के दौरान यात्रीकर तथा अधिभार की

धनराशि 33.063 रुपए कम आरोपित की गई ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (अक्टूबर 1995) कि सकल किराये 1.50 रुपए में शुद्ध किराया 1.20 रुपए, यात्रीकर 0.20 रुपए अतिरिक्त यात्रीकर 0.05 रुपए तथा बीमा 0.05 रुपए शामिल है ।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केवल नगर तथा नगर पालिका की सीमा में संचालित वाहनों के यात्रियों पर अतिरिक्त यात्री कर ही आरोपणीय नहीं है ।

4.7 सकल किराये की गलत गणना किये जाने के कारण यात्रीकर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम , 1962 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य में की जाने वाली यात्रा के संबंध में यात्रीकर उस दर से आरोपणीय है जो किसी प्रक्रम वाहन में चल रहे यात्रियों द्वारा अदा किये गये अथवा अदा किये जाने योग्य किराये के 16 प्रतिशत के बराबर हो । 8 जून 1994 को जारी अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने, प्रक्रम वाहनों के संबंध में किराये की न्यूनतम दर, इस प्रावधान के साथ निर्धारित किया कि यात्रीकर , अतिरिक्त यात्रीकर , बीमा तथा अधिभार की धनराशि सहित किराये को पचास पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित किया जायेगा ।

गोण्डा उपसम्भाग की लेखा परीक्षा में देखा गया (अगस्त 1994) कि दो मार्गो, बलरामपुर -कोयलाबासा एवं बलरामपुर हरैया के संबंध् में कर इत्यादि सहित सकल किराये को पूर्णांकित किये बिना यात्रीकर निर्धारित किया जा रहा था । इसके फलस्वरुप जून 1992 और अगस्त 1994 के बीच की अवधि के दौरान 43789 रुपए यात्रीकर का कम आरोपण किया गया ।

मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 1994 तथा पुनः जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

4.8 मार्ग की दूरी की गलत गणना करने के कारण यात्रीकर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम , 1962, तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अनुसार किसी प्रक्रम वाहन के संबंध में मार्ग विशेष पर यात्रीकर के एक मुश्त अनुबंध की गणना, अन्य बातों के साथ साथ, मार्ग की दूरी पर आधारित सामान्यतया देय संपूर्ण किराये के आधार पर की जाती है।

उप संभागीय परिवहन अधिकारी , इटावा की लेखा परीक्षा में देखा गया (अक्टूबर 1994) कि यात्रीकर की गणना मार्ग की दूरी 27 कि0 मी0 के स्थान पर 25 कि0मी0 के आधार पर की गयी थी। इसके फलस्वरुप जून 1992 व जून 1994 के मध्य 36588 रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 1994) विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया । वसूली संबंधी अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 1995) ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 1995) में ; उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (नवम्बर 1995) ।

4.9 फेरों की कम संख्या अपनाये जाने के कारण यात्री-कर का कम आरोपण

उ0 प्र0 मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम 1962 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत , मार्ग का संचालक अपने प्रक्रम वाहनों के आने - जाने का समय नियमित करने वाली सारिणी , नियत प्राधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । नियमों में यह भी प्रावधान है कि किसी विशेष मार्ग पर चलने वाले प्रक्रम वाहन के संबंध में अदा किये जाने वाले यात्रीकर के बदले में एक मुश्त अदायगी का अनुबन्ध, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट अवधि के दौरान मार्ग पर प्रक्रम वाहनों के एकल फेरों की स्वीकृत अथवा प्रत्याशित संख्या पर निर्भर करता है ।

उप संभागीय कार्यालय सुल्तानपुर की लेखा परीक्षा में देखा गया (अप्रैल 1994) कि सुल्तानपुर - भदोही - अमेठी - ककवा वाया अमहद चौराहा मार्ग के संचालकों ने एक समय सारणी प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उन्हें मार्ग पर 60 फेरे लगाने थे । परन्तु विभाग ने 40 फेरों के आधार पर ही यात्रीकर की गणना की। मार्ग पर फेरों की कम संख्या अपनाये जाने के परिणामस्वरुप 19 अगस्त 1992 से 20 अप्रैल 1994 की विभिन्न अवधि के दौरान 76,258 रुपए की धनराशि का यात्रीकर कम आरोपित हुआ ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1994) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा 23,337 रुपए की वसूली फरवरी 1995 में की गई । 52,921 रुपए शेष धनराशि के वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 1995) ।

मामला शासन को नवम्बर 1994 में तथा पुनः जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (नवम्बर 1995) ।

4.10 मार्ग-कर का कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम , 1992 , के अनुसार परिवहन वाहनों से भिन्न अन्य वाहनों के स्वामियों द्वारा ऐसे मोटर वाहन के लिए जो उत्तर प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम , 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत 24 जनवरी 1992 के बाद पहली बार पंजीकृत किया गया हो, मार्ग कर, पार्ट "बी" की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे वाहन के लिए लागू दर पर, एक बार जमा किया जाएगा तथा इस प्रकार एक बार कर जमा किए जाने पर ऐसे वाहन से संबंधित किसी अवधि का मार्गकर देय नहीं होगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 1992 (दिनांक 24 जनवरी 1992 से प्रभावी) द्वारा निर्देशित किया गया कि डीजल द्वारा संचालित वाहनों का मार्गकर प्रचलित दरों का दो गुना होगा।

संभागीय कार्यालय, काठगोदाम तथा उप संभागीय कार्यालय, देवरिया की लेखा परीक्षा में देखा गया (जून 1993 तथा नवम्बर 1993 के मध्य) कि 24 जनवरी 1992 तथा 29 जनवरी 1993 के मध्य विभिन्न अवधि के दौरान डीजल संचालित 34 वाहनों (23 वाहन काठगोदाम संभाग तथा 11 वाहन देवरिया उप संभाग) का मार्ग कर पुनरीक्षित दर पर वसूल नही किया गया । इसके फलस्वरूप 1.64 लाख रुपए मार्ग-कर की कम वसूली हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को क्रमशः अक्टूबर 1993 तथा जनवरी 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

4.11 मार्गकर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन निर्मित नियमावली के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1935 के अनुसार भार वाहनों के संचालक द्वारा वाहन के लिए, अधिकृत भार क्षमता के अनुसार , निर्धारित दरों पर मार्गकर तथा मालकर की अदायगी की जाएगी । किसी भी सरकारी कम्पनी अथवा निगम के स्वामित्व वाले भार वाहनों को करों की अदायगी से कोई छूट अनुमन्य नहीं है।

उप संभागीय परिवहन अधिकारी , इटावा की लेखा परीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 1994) कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक निगम के दो भार वाहनों का मार्गकर तथा मालकर क्रमश : 14,770 रुपए तथा 22,680 रुपए , जनवरी 1993 से सितम्बर 1994 के मध्य की अवधियों में आरोपित नही किया गया। इसके फलस्वरुप 37,450 रुपए की राजस्व हानि हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 1995) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

4.12 ट्रैक्टर ट्रेलरों के लिए परमिट फीस वसूल न किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत एक वाहन का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान पर यात्री या माल ले जाने के उद्देश्य से वाहन का न तो प्रयोग करेगा न ही प्रयोग करने की अनुमति देगा , जब तक कि अधिनियम के अनुसार वाहन पंजीकृत न किया गया हो और निर्धारित फीस के भुगतान पर किसी संभागीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परमिट से आवृत्त न हो । अधिनियम में, 3000 किलोग्राम से अनधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन को परमिट प्राप्त करने से छूट का प्रावधान है ।

बांदा संभागीय कार्यालय की लेखा परीक्षा में देखा गया (सितम्बर 1994) कि 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 3000 किलोग्राम से अधिक सकल वाहन भार वाले 52 ट्रैक्टर ट्रेलर (माल वाहन) पंजीकृत किए गये थे । इन ट्रेलर स्वामियों ने परमिट प्राप्त नहीं किया तथा ट्रैक्टर ट्रेलर का संचालन करते रहे यद्यपि कि अधिनियम के अंतर्गत ऐसे ट्रेलरों को परमिट प्राप्त करने से छूट नहीं थी । इसके फलस्वरुप जुलाई 1992 और अप्रैल 1994 की अवधि के दौरान 1.04 लाख रुपए (चार महीनों की सीमिति अवधि के अस्थाई परमिट के लिए वसूली योग्य फीस के आधार पर आगणित) परमिट फीस की वसूली नहीं की गई ।

मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 1994 तथ पुनः जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

4.13 रोकड़ बही का अनियमित रख रखाव तथा सरकारी धन का जमा न किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 , भाग - I के पैराग्राफ 21 के अंतर्गत राज्य के राजस्व हेतु प्राप्त या निविदित , को सरकारी कर्मचारी बिना किसी विलम्ब के कोषागार या बैंक में पूरा-पूरा जमा करेगा तथा राज्य के सरकारी लेखे में सम्मिलत किया जायेगा । किसी भी दशा में राज्य का राजस्व सरकारी लेखे से बाहर नहीं रखा जायेगा । इसके अतिरिक्त , उपरोक्त पैरा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त समस्त धन अलग अलग स्तम्भों में अंकित करने के लिए एक रोकड़ बही रखी जानी चाहिए ।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ए0आर0टी0ओ0) बलिया तथा गजीपुर की लेखा परीक्षा में देखा गया (जुलाई 1994 तथा अगस्त 1994) कि नवम्बर 1993 में एवं मई 1994 के मध्य 1.86 लाख रुपए तथा जुलाई 1993 एवं अगस्त 1994 के मध्य 2.46 लाख रुपए के राजस्व प्राप्तियों की धनराशि (सहायक रोकड़ बही के अनुसार) न तो रोकड़ बही में अंकित की गयी और न ही कोषागार में जमा की गयी ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर ए0 आर0 टी0 ओ0 गाजीपुर ने 2.46 लाख रुपए में से 2.31 लाख रुपए अगस्त 1994 में जमा कर दिया । ए0 आर0 टी0 ओ0 बलिया द्वारा 1.86 लाख रुपए तथा ए0 आर0 टी0 ओ0 गाजीपुर द्वारा शेष 0.15 लाख रुपए जमा किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

मामले विभाग एवं शासन को अगस्त 1994 तथा अक्टूबर 1994 में तथा पुनः जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किए गए थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1995) ।

अध्याय -5

स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1994-95 के दौरान जिला निबन्धकों , उपनिबन्धकों तथा जिला स्टाम्प अधिकारियों के लेखे तथा संगत अभिलेखों की नमूना जांच में 261 मामलों में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस के 212.56 लाख रुपए कम आरोपित किये जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:-

श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. सम्पत्तियों के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का कम आरोपण	210	155.22
2. विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	24	14.62
3. अन्य अनियमिततायें	27	42.72
योग	**261**	**212.56**

वर्ष 1994-95 के दौरान संबंधित विभाग ने 90 मामलों में 10.72 लाख रुपए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया , जिनमें से 12 मामलों में 2.12 लाख रुपए की धनराशि वर्ष 1994-95 की लेखा परीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित की गई थी । उदाहरणस्वरुप कुछ मामले जिनमें 11.59 लाख रुपए की धनराशि सन्निहित है, निम्न प्रस्तरों में वर्णित है :

5.2 कृषि/कृषि-इतर भूमि के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) के अंतर्गत कृषि भूमि के संबंध में किसी अन्तरण के विलेख में उल्लिखित मूल्य अथवा बाजार मूल्य , इनमें से जो अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है । पुन: कृषि-इतर भूखण्ड जो किसी नगर क्षेत्र , नगरपालिका या नगर-महापालिका की नगर सीमा के अंतर्गत आते है , के अन्तरण से संबंधित अन्तरण विलेखों पर स्टाम्प शुल्क , जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में निर्धारित, विलेख के निष्पादन की तिथि को उस क्षेत्र में प्रचलित औसत मूल्य

प्रति वर्गमीटर , के आधार पर आरोपणीय होता है ।

12 उप निबंधक कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया, (जून 1990 तथा फरवरी 1994 के मध्य) कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से भूमि का मूल्यांकन न करने से निम्न विवरण के अनुसार 9.36 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया : -

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	निबन्धन कार्यालय का नाम	सम्पत्ति का प्रकार कृषि/ कृषि-इतर भूमि	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर तथा बाजार दर के अनुसार कुल मूल्य	विलेख में प्रदर्शित मूल्य	स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जिला निबंधक, मथुरा	आवासीय	5.48 लाख रुपए (9130 वर्ग मीटर x 60 रुपए)	0.30	0.75
2.	उप-निबंधक, मोहनलाल गंज (लखनऊ)	कृषि इतर	4.50 लाख रुपए (3239 वर्ग मीटर x 139 रुपए)	0.23	0.62
3.	उप निबंधक, बीकापुर (फैजाबाद)	कृषि इतर	6.51 लाख रुपए (504 0 वर्गमीटर x 128 रुपए + 6000 पेड़ों के लिए)	0.30	0.78
4.	उप निबंधक, महराजगंज	कृषि इतर	2.83 लाख रुपए (849.87 वर्ग मीटर x 333.33 रुपए)	0.19	0.33
5.	उप निबंधक, सम्भल (मुरादाबाद)	कृषि इतर	16.70 लाख रुपए (3092.13 वर्ग मीटर x 540 रुपए)	0.27	2.38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	उप निबंधक, आजमगढ़	कृषि इतर	3.02 लाख रुपए (1051.54 वर्ग मीटर x 287 रुपए)	0.24	0.35
7.	उप निबंधक, मोहनलाल गंज (लखनऊ)	आवासीय	3.92 लाख रुपए (1456 वर्ग मीटर x 269 रुपए)	0.29	0.45
8.	उप निबंधक, मड़ियाहूं (जौनपुर)	कृषि इतर	8.46 लाख रुपए (768.93 वर्ग मीटर x 1100 रुपए)	0.73	0.97
9.	उप निबंधक, मछली शहर (जौनपुर)	कृषि इतर	4.98 लाख रुपए (1375.98 वर्ग मीटर x 361.72 रुपए)	0.18	0.60
10	उप निबंधक, अमरोहा (मुरादाबाद)	कृषि इतर	10.68 लाख रुपए (3560 वर्ग मीटर x 300 रुपए)	1.32	1.36
11.	उप निबंधक, मंझनपुर (इलाहाबाद)	कृषि इतर	3.00 लाख रुपए (999.60 वर्ग मीटर x 300 रुपए)	0.09	0.36
12.	उप निबंधक, जानसठ (मुजफ्फर नगर)	कृषि	5.66 लाख रुपए (118 विस्वा तथा 17.5 बिस्वांसी, 476 रुपए प्रति विस्वा की दर से)	2.37	0.41
		योग		**6.51**	**9.36**

इसके अतिरिक्त दो मामलों (क्रम संख्या 3 तथा 11) में 324 रुपए की निबंधन फीस भी आरोपित नहीं की गई ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर संबंधित जिलाधिकारियों ने 5 मामलों में (क्रम संख्या 1,2,3,10 तथा 12) 3.27 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क तथा 1000 रुपए का अर्थदण्ड (क्रम संख्या-12) आरोपित किया (मई 1993 तथा जनवरी 1995 के मध्य) । वसूली के संबंध में अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1995) ।

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (सितम्बर 1990 एवं नवम्बर 1994 के मध्य) तथा अनुवर्ती अनुस्मारक दिए गये (मई 1995 एवं जून 1995 के मध्य) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1995) ।

5.3 विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण

(क) उ0 प्र0 जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत भूमिधरी* अधिकारों का अप्रतिबंधित हस्तांतरण , कब्जा सहित बंधक द्वारा अथवा पट्टे पर , अनुमन्य नही है । पुनः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची - 1 ख के आर्टिकिल 23 के अनुसार संपत्ति अधिकारों के अन्तरण से संबंधित विलेखो पर "अन्तरण" की भांति स्टाम्प शुल्क प्रभारित होगा ।

दो उप-निबंधक कार्यालयों, मुसाफिर खाना (सुल्तानपुर) तथा हसनपुर (मुरादाबाद) की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (नवम्बर 1992 तथा जुलाई 1993 के मध्य) कि भूमिधरी भूमि से संबंधित दो अन्तरण विलेखों को "पट्टे" की भांति निबंधित किया गया । विलेखों के गलत वर्गीकरण के फलस्वरुप 1.64 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (मार्च 1994 तथा अगस्त 1994 के मध्य) कि संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा 1.64 लाख रुपए के निबंधन फीस तथा अर्थदण्ड सहित स्टाम्प शुल्क का आरोपण कर दिया गया है । वसूली की अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1995) ।

(ख) भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियों के सुधार के लिए निष्पादित शुद्धिपत्र विलेख, अनुसूची 1-ख के आर्टिकिल 34 -क के अनुसार प्रभार्य है । मूल विलेख में आधारभूत परिवर्तन, जिसके द्वारा नया विलेख सृजित होता हो, पर उपरोक्त अधिनियम के आर्टिकिल 23 के अंतर्गत संपूर्ण स्टाम्प शुल्क पुनः प्रभारित होता है ।

---

* भूमि का स्वामित्व

उप-निबंधक कार्यालय , मोहनलालगंज (लखनऊ) की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जुलाई 1992) कि एक पक्ष द्वारा मूल विलेख से क्रय किया गया 756 वर्गमीटर का एक आवासीय भूखण्ड , दूसरे व्यक्ति को संपत्ति के समस्त अधिकार समर्पित करते हुए, एक शुद्धि पत्र विलेख के माध्यम से अन्तरित किया गया । विलेख के गलत वर्गीकरण के फलस्वरुप 58,960 रुपए के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा 58,960 रुपए का स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया (अक्टूबर 1994) । वसूली की अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1995)।

मामला , विभाग तथा शासन को सितम्बर 1992 , और पुनः दिसम्बर 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

अध्याय-6

भू-राजस्व

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1994-95 की अवधि में लेखा परीक्षा में किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के लेखों तथा सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच से 121 मामलों में 172.42 लाख रुपए के भू-राजस्व का न / कम वसूल किया जाना, संग्रह प्रभारों की कम वसूली, किसान बही* की आपूर्ति के लिए फीस की वसूली न किए जाने तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	भू-राजस्व का न लगाया जाना/ कम लगाया जाना	15	37.15
2.	संग्रह प्रभारों की कम वसूली	59	33.59
3.	किसान बही की आपूर्ति के लिए फीस की वसूली न किया जाना	24	51.11
4.	अन्य अनियमिततायें	23	50.57
	योग	**121**	**172.42**

वर्ष 1994-95 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 59 मामलों में निहित धनराशि 38.49 लाख रुपए संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार किये गये , जिनमें से 4 मामलों में निहित धनराशि 4.03 लाख रुपए वर्ष 1994-95 की लेखा परीक्षा में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। उदाहरणार्थ कुछ निदर्शी मामले जिनमें 9.76 लाख रुपए का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, नीचे दिए गये हैं :

---

* किसान बही : तहसीलदार द्वारा निर्गत कृषि-भूमि संबंधी सभी प्रकार के विवरण वाली एक पुस्तिका ।

6.2 भू-राजस्व का बकाया

भू-राजस्व , राज्य के कर राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है । इसका विनियमन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 एवं उनके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा होता है ।

राजस्व विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष भू-राजस्व का त्वरित निर्धारण एवं संग्रह किया जाना अपेक्षित है तथा किसी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त एवं त्वरित कार्यवाही, जिसमें दण्डात्मक उपाय , यथा-मांग याचिका या हाजिर होने हेतु सम्मन तामील कराना भी सम्मिलित है । इन उपायों में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 279 के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी, निरुद्धीकरण, कृषि-उपज सहित उसकी चल और अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा नीलामी , बकाये वाली सम्पत्ति को पट्टे पर देना अथवा उसकी बिक्री तथा अन्य चल या अचल सम्पित्तयों का रिसीवर नियुक्त करना भी शामिल है ।

(i) भू-राजस्व के बकायों का विश्लेषण

(क) राजस्व परिषद् , उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकडों के आधार पर फसली वर्ष 1397, 1398, 1399, 1400 तथा 1401 की समाप्ति अर्थात क्रमशः 1990, 1991, 1992, 1993 तथा 1994 वर्षों के 30 सितम्बर के अन्त में भू-राजस्व की मांग, संग्रह तथा अवशेष की स्थिति निम्न प्रकार रही :

अवधि (फसली वर्ष)	भू-राजस्व का बकाया (समेकित)	वर्ष के दौरान वसूली	बकाये का अवशेष	बकाये की प्रतिशतता (स्तम्भ 4 से 2)
	---------(लाख रुपए में)---------			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1397 (30 सितम्बर 1990 तक)	6271.20	2539.78	3731.42	60
1398 (30 सितम्बर 1991 तक)	6489.35	2559.61	3929.74	61
1399 (30 सितम्बर 1992 तक)	6597.93	3030.79	3567.14	54

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1400 (30 सितम्बर 1993 तक)	6460.98	2824.24	3636.74	56
1401 (30 सितम्बर 1994 तक)	6282.11	2703.69	3578.42	57

जैसा कि उपर दी हुई सारणी से स्पष्ट है, फसली वर्ष 1397 से 1401 के मध्य बकायों का प्रतिशत कुल देय राशियों के 54 से 61 प्रतिशत के बीच रहा ।

(ख) जिन 17 जनपदों में नमूना जांच की गई उनमें से 30 सितम्बर 1994 तक 11 जनपदों में प्रत्येक में भू-राजस्व का बकाया 1 करोड़ रुपए से अधिक तथा 6 जनपदों में यह प्रत्येक में 75 लाख रुपए से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपएं से कम था, जैसा कि नीचे प्रदर्शित है :-

जनपद का नाम	**भू-राजस्व का बकाया एक करोड़ रुपए तथा उससे अधिक (लाख रुपए में)**	**जनपद का नाम**	**भू-राजस्व का बकाया 75 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए के मध्य (लाख रुपए में)**
हरदोई	193.19	वाराणसी	96.98
मुजफ्फर नगर	165.42	मेरठ	95.22
मिर्जापुर	165.08	बहराइच	93.10
गोंड़ा	154.91	बुलन्दशहर	99.56
बाराबंकी	137.05	सुल्तानपुर	81.63
सीतापुर	127.40	गाजीपुर	80.52
इलाहाबाद	118.85		
फैजाबाद	118.65		
बलिया	101.29		
जौनपुर	107.75		
शाहजहांपुर	103.25		
योग	**1492.84**		**547.01**
		महायोग	**2039.85**

(ii) भूमि विकास कर

भूमि विकास कर, भू-राजस्व के घटकों में से एक है तथा श्रेणीबद्ध पैमानों में यह 1 जुलाई 1971 से कृषि-भूमि पर, ग्रामीण विकास की कतिपय योजनाओं तथा उससे संबंन्धित मामलों के लिए संसाधन जुटाने हेतु , आरोपित किया गया था । इसे 1 जुलाई, 1977 से समाप्त कर दिया गया किन्तु 30 जून 1977 तक के बकायों की वसूली की जानी थी । चौदह जनपदों * के संबंध में 1399 से 1401 फसली वर्ष की अवधि में वसूली योग्य बकाया राशि, वसूली की गयी राशि तथा अवशेष की स्थिति निम्नवत् थी :

अवधि (फसली वर्ष)	बकाये की धनराशि	संग्रहीत	अवशेष	बकायों का प्रतिशत स्तम्भ 4 से 2
	(लाख रुपए में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1399 (30 सितम्बर 1992 तक)	90.49	3.65	86.84	96
1400 (30 सितम्बर 1993 तक)	86.31	6.51	79.80	92
1401 (30 सितम्बर 1994 तक)	76.76	3.99	72.77	95

---

* जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, हरदोई एवं बुलन्दशहर

ऊपर दी गयी सारणी प्रदर्शित करती है कि बकायों की प्रतिशतता 92 से 96 के मध्य रही।

वाराणसी जनपद में यह देखा गया कि फसली वर्ष 1400 के अन्त में भूमि-विकास कर शीर्ष के अन्तर्गत इति शेष 7.26 लाख रुपए था किन्तु फसली वर्ष 1401 में आदि शेष के रुप में मात्र 4.22 लाख रुपए ही लाया गया । इसके फलस्वरुप मांग में 3.04 लाख रुपए की त्रुटिपूर्ण कमी हुई ।

(iii) प्रपत्र 61 - ख का संशोधन न किया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार ने उ0 प्र0 जमीदांरी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 247 "क"(1) के अन्तर्गत 1 जुलाई 1977 से 3.125 एकड़ तक के भू-स्वामियों को भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त कर दिया । भू-राजस्व के निर्धारण हेतु किसी जोतदार की उत्तर प्रदेश में कुल भूमि की जानकारी, उत्तर प्रदेश जमीदांरी उन्मूलन एवं भूमि सुधार नियमावली, 1952 के नियम 214 के अनुसार सुनिश्चित की जाती है । विभिन्न तहसीलों के राजस्व अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे अपने तहसील के अप्रवासी खातेदारों की जोतों की सूचना प्रपत्र 61-क में उन तहसीलों के राजस्व अधिकारियों के पास भेजें जहां खातेदार साधारणतया निवास करता हो । उत्तरवर्ती से यह अपेक्षित है कि वह इस प्रकार की सूचनाओं के आधार पर संशोधित प्रपत्र 61-ख में प्रत्येक खातेदार की जोतों का समेकित विवरण उसके मामले में भू-राजस्व के निर्धारण के पूर्व तैयार कर ले । 17 जनपदों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह ज्ञात हुआ कि पूर्वोक्त विवरण (संशोधित प्रपत्र 61 - ख) नहीं तैयार किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरुप भू-राजस्व के निर्धारणों की शुद्धता सुनिश्चित नही की जा सकी । 3.125 एकड़ तक के जोतदारों का उनकी कुल जोत सहित विवरण भी नहीं तैयार किया गया था जिसके अभाव में प्रत्येक खातेदार को भू-राजस्व के भुगतान से दी जाने वाली छूट का सत्यापन नहीं किया जा सका । इस प्रकार भू-राजस्व के मांग के कम सृजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

(iv) भू-राजस्व के मांगों का अनियमित निलम्बन

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार नियमावली 1952 के नियम 293 (4) के अन्तर्गत कृषि आपदा के कारण नष्ट हो जाने वाली फसल के लिए ही, भू-राजस्व की वसूली को 3 माह के लिए निलम्बित करने का अधिकार कलेक्टर को होता है । जैसा कि परिषद् के आदेश संख्या 37/2-30 / 56 दिनांक 3 अप्रैल, 1958 से स्पष्ट है , उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत कलेक्टर (जिला अधिकारियों) को पूर्व की फसल के भू-राजस्व या उसके बकायों की वसूली को निलम्बित करने का अधिकार नही है, जिसे केवल शासन द्वारा ही स्थगित (निलम्बित नही) किया जा सकता है।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि 16 जनपदों में फसली वर्ष 1399 से 1401 की अवधि में जिलाधिकारियों द्वारा भू-राजस्व की बकाया मांगे भी उ0 प्र0 ज0 उ0 एवं भू0 सु0 नियमावली, 1952 के नियम 293 (4) तथा राजस्व परिषद् के उपर्युक्त स्पष्टीकरण के बिरुद्ध निलम्बित की गयी , जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:

क्रम संख्या	जनपद का नाम	-----निलम्बित की गयी बकाया मांगे-----		
		फसली वर्ष 1399	फसली वर्ष 1400	फसली वर्ष 1401
		---------- लाख रुपए में ----------		
1.	मुजफ्फर नगर	0.75	131.70	12.92
2.	मिर्जापुर	116.04	130.97	142.17
3.	शाहजहांपुर	-	86.04	6.67
4.	मेरठ	2.98	-	48.15
5.	फैजाबाद	106.30	104.26	-
6.	बाराबंकी	34.40	107.16	-
7.	जौनपुर	-	100.84	-
8.	सीतापुर	-	93.34	-
9.	सुल्तानपुर	-	65.78	-
10.	गोंडा	-	146.76	-
11.	बलिया	-	72.26	-
12.	गाजीपुर	59.28	61.71	69.66
13.	बुलन्दशहर	-	71.00	-
14.	वाराणसी	-	106.00	-
15.	इलाहाबाद	-	80.98	-
16.	हरदोई	28.16	161.39	148.48
	योग	347.91	1520.19	428.05

बकायों के अनियमित निलम्बन के फलस्वरुप 22.96 करोड़ रुपए के भू-राजस्व का बकाया इकठ्ठा हो गया ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1995); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

6.3 संग्रह प्रभारों का न/कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयो की वसूली) अधिनियम, 1972 तथा समय - समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, राजस्व अधिकारी किसी निगम या बैंकिंग कंपनी अथवा स्थानीय निकाय से जारी वसूली प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर उसमें निहित धनराशि को कार्यवाही की लागत (संग्रह प्रभार) समेत , भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे । संग्रहीत देय राशि के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह प्रभार राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाता है । जारी हुये वसूली प्रमाण पत्र को उनके अपने अनुरोध पर वापस लौटा दिये जाने के मामले में अथवा देनदारों द्वारा देयों को सीधे संबंन्धित संस्था को भुगतान कर दिये जाने पर भी संग्रह-प्रभार उसी दर से वसूल किये जायेंगे ।

5 तहसील कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 9.76 लाख रुपए का संग्रह प्रभार वसूल नहीं किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है :

क्रम संख्या	तहसील का नाम	वसूली योग्य देय	वसूला गया देय	देय जिसके लिए जारी वसूली प्रमाण पत्र लौटाया गया/ सीधे जमा किया गया	देय संग्रह प्रभार	वसूला गया संग्रह प्रभार	वसूली योग्य संग्रह प्रभार
		(लाख रुपए में)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दादरी (गाजियाबाद)	13.87	8.63	5.24	1.39	0.11	1.28
2.	किच्छा (नैनीताल)	65.73	-	65.73	6.57	-	6.57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	सादाबाद (मथुरा)	7.89	-	7.89	0.79	-	0.79
4.	अकबरपुर (फैजाबाद)	7.14	-	7.14	0.71	-	0.71
5.	मुरादाबाद	4.09	-	4.09	0.41	-	0.41
	योग	**98.72**	**8.63**	**90.09**	**9.87**	**0.11**	**9.76**

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1994 से अगस्त 1994 के मध्य) संबंन्धित तहसीलदारों ने बताया कि संग्रह प्रभारों की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है । वसूली के विषय में अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1995) ।

मामला विभाग / शासन को सितम्बर 1994 तथा फरवरी 1995 के मध्य प्रतिवेदित तथा उसके बाद अनुस्मारक भी निर्गत किये गये (अगस्त 1995 से सितम्बर 1995 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 1995) ।

अध्याय - 7

वन प्राप्तियां

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1994-95 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई प्रभागीय अभिलेखों की नमूना जांच में मोटे तौर पर निम्नलिखित अनियमिततायें थीं :-

	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	लीसा विदोहन में कमी	9	128.15
2.	मुख्य वन-उपज का मूल्य वसूल न किया जाना	18	936.57
3.	गौड़ वन-उपज के विक्रय मूल्य वसूल न किया जाना	11	1597.14
4.	विलम्ब शुल्क, विस्तार शुल्क तथा पारगमन शुल्क आदि देयों का वसूल न किया जाना	14	405.35
5.	स्टाम्प शुल्क, बिक्री कर , आयकर आदि का वसूल न किया जाना	5	302.07
6.	लॉज रेन्ट वसूल न किया जाना	1	180.43
7.	गबन तथा अवैध रुप से पेड़ों का कटान	25	168.08
8.	अन्य अनियमिततायें	45	1339.60
	योग	**128**	**5057.39**

वर्ष 1994-95 की अवधि में संबंधित विभाग ने 104 मामलों में 4561.11 लाख रुपए के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये जिनमें से 3824.61 लाख रुपए के 85 मामले वर्ष 1994-95 की अवधि में

तथा शेष विगत वर्षो में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये गये थे । उदाहरण स्वरूप 79.08 लाख रुपए के कुछ मामले निम्न प्रस्तरों में दिये गये है :

7.2 अधिक पेड़ों का कटान

जब काष्ठ की लाटें कटान हेतु आवन्टित की जाती है, तो केवल चिन्हित पेड़ ही गिराये जाने होते है । दिनांक 7 सितम्बर 1978 के शासनादेश के प्रस्तर 19 के अनुसार चिन्हित पेड़ो से अधिक पेड़ो के गिराये जाने पर उत्तर प्रदेश वन निगम (उ० प्र० व० नि०) उन पेड़ो के काष्ठ का मूल्य तथा अर्थदण्ड के भुगतान का दायी होगा । अर्थदण्ड की दर, पेड़ के मूल्य के तीन से पांच गुने तक, अधिकतम 1,000 रुपए प्रति पेड़ , होगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि पेड़ जान-वूझ कर गिराये गये है अथवा अनजाने में ।

दक्षिण गोंडा वन प्रभाग, गोंडा, के वर्ष 1993-94 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 1995) में पाया गया कि उत्तर प्रदेश वन निगम ने, पांच लाटों में चिन्हित पेड़ों के अतिरिक्त , 29.99 लाख रुपए मूल्य के 523 पेड़ अधिक गिराये । उत्तर प्रदेश वन निगम, अवैध रूप से गिराये गये पेड़ों के काष्ठ का मूल्य जो 29.99 लाख रुपए था तथा 5.23 लाख रुपए के न्यूनतम अर्थदण्ड का दायी था । मार्च 1995 तक प्रभाग द्वारा कोई मांग सृजित नहीं की गई थी ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 1995) विभाग ने बताया (मार्च 1995) कि आवश्यक जांच के पश्चात् अग्रेतर कार्यवाही की जायगी । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उत्तर प्रदेश वन निगम ने पहले ही अधिक पेड़ों का कटान स्वीकार कर लिया था तथा मांग सृजित करने का अनुरोध भी किया था (जून 1994) । इस प्रकार , प्रभाग के मांग सृजित न किये जाने से विभाग को 35.22 लाख रुपए के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

मामला जुलाई, 1995 में शासन कोप्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

7.3 लीसा के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि

लीसा , जो एक महत्वपूर्ण गौण वन उपज है, चुने गये चीड़ के पेड़ों से, ठेकेदारों द्वारा एकत्रित कराया जाता है । लीसा - विदोहन का लक्ष्य विगत तीन वर्षों की औसत उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता है । विभाग द्वारा ठेकेदारों को खाली टिन तथा अन्य उपकरणों की आपूर्ति की जाती है। जैसे ही प्रत्येक वर्ष मार्च से लीसा एकत्रित करने का समय आरम्भ होता है , प्रत्येक वर्ष के जनवरी तक खाली टिनों तथा उपकरणों को प्राप्त करने का कार्य पूरा कर लिया जाता है , जिससे एकत्रीकरण का कार्य समय से सुविधापूर्वक पूरा किया जा सके ।

दो वन प्रभागों के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 1994) से ज्ञात हुआ कि फसली

(क्राप) वर्ष 1993 की अवधि में, लीसा के एकत्रीकरण हेतु टिनों की आपूर्ति का संविदा दर (रेट कान्ट्रैक्ट) 19 मार्च 1993 को निर्णीत किया गया । टिनों का आपूर्ति आदेश दिनांक 6 अप्रैल , 1993 को दिया गया तथा उनकी वास्तविक आपूर्ति जुलाई 1993 से आरम्भ हुई । विलम्ब से कार्य आरम्भ करने के कारण, ये प्रभाग वर्ष 1993 के फसली वर्ष के दौरान लीसा की औसत उपज को सुनिश्चित नहीं कर सके । परिणामस्वरुप 22.99 लाख रुपए मूल्य के 1946.25 कुन्तल लीसा का उत्पादन कम हुआ ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (मार्च 1994) टेहरी तथा उत्तरकाशी वन प्रभागों नें लीसा के उत्पादन में कमी का कारण खाली टिनों की आपूर्ति में विलम्ब होना बताया । उत्तर-काशी वन प्रभाग में उत्पादन में गिरावट का कारण कुशल मजदूरों की कमी होना भी बताया गया (अक्टूबर 1994) ।

प्रभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खाली टिन आदि समय के अन्दर (प्रत्येक वर्ष जनवरी में) प्राप्त करना आवश्यक था। अग्रेतर , मजदूरों की व्यवस्था ठेकेदारों (लीसा मेट) को करना था न कि प्रभाग को ।

मामला शासन को जुलाई 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

7.4 खैर वृक्षों के उत्पादन का त्रुटिपूर्ण आगणन

जून 1978 के विभागीय आदेशों , सपठित सितम्बर 1978 तथा अप्रैल 1989 के आदेशों , के अनुसार, खैर वृक्षों को केवल दो भागों में विभाजित किया जाना, उपयुक्त तथा अनुपयुक्त, अपेक्षित है। उपयुक्त वृक्षों में दूसरी बातों के साथ - साथ हरे और ठोस पेड़ सम्मिलित है।

विजनौर पौधालय प्रभाग , कोटद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 1994) में देखा गया कि वर्ष 1991-92 में खैर वृक्षों की 23 लाटे उत्तर प्रदेश वन निगम को आवन्टित की गई जिसमें से कुछ वृक्षों को गलती से मोटे और ठोस प्रकार के वृक्षों के रूप में वर्गीकृत किया गया । परिणामस्वरुप 158.391 घन मीटर खैर की लकड़ी का आकलन कम किया गया और इस प्रकार 7.91 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

मामला शासन को जुलाई 1995 में प्रतिवेदित किया गया था: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

7.5 अनुमान की त्रुटिपूर्ण गणना से राजस्व हानि

साल के बीज , जो माह अप्रैल से जून की अवधि के दौरान परिपक्व होते है, उन्हे प्रत्येक तीसरे वर्ष ठेकेदारों द्वारा एकत्रित किया जाता है । ठेके का सुरक्षित मूल्य (गोपनीय अनुमांन) पिछली नीलामियों में प्राप्त हुए वास्तविक मूल्य पर आधारित होता है ।

दक्षिणी पीलीभीत वन-प्रभाग , पीलीभीत के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 1994) में पाया गया कि वर्ष 1992 में साल के बीज एकत्रित नहीं किये गये थे क्योकि अधिकतम बोली बोलने वाले (बोली की राशि 20.00 लाख रुपए) ने ठेके का सम्मान नहीं किया । वन संरक्षक, बरेली ने, मई 1993 में नीलामी के लिए आदेश दिया जो 5 जून , 1993 को निश्चित की गयी । प्रभाग ने पूर्ववर्ती नीलामी से प्राप्त वास्तविक विक्रय मूल्य (1989 : 8.11 लाख रुपए) को आधार न बना कर वर्ष 1992 के दौरान स्वीकृत नीलामी की बोली को (20.00 लाख रुपए) अपने गोपनीय अनुमान का आधार बनाया । परिणामस्वरुप सुरक्षित मूल्य बहुत ही ऊंचा था । 5.20 लाख रुपए की अधिकतम बोली को इस बढ़े हुये सुरक्षित मूल्य से तुलना करते हुये रद्द कर दिया गया तथा कोई नीलामी नहीं हुई । परिणामस्वरुप 5.20 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

मामला विभाग तथा शासन को जुलाई 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995) ।

7.6 पारगमन शुल्क (ट्रांजिट फीस) का वसूल न किया जाना

भारतीय वन अधिनियम , 1927 के अधीन विनिर्मित उत्तर प्रदेश काष्ठ तथा अन्य वन-उपज पारगमन नियम 1978 (पारगमन नियम) के अनुसार वन-उपज के , प्रान्त के अन्दर अथवा प्रान्त से बाहर के संचालन पर 5 रुपए प्रति टन की दर से पारगमन शुल्क के आरोपण की व्यवस्था है ।

उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया (5 सितम्बर 1990) कि रेता, बजरी , बोल्डर आदि की सभी लाटे जो वन क्षेत्रो में भी उपलब्ध हो उन्हे यू0पी0 खनिज परिहार नियमावली, 1963 , के आधीन लाया जायेगा तथा इनकी नीलामीं सम्बन्धित जिला अधिकारियों द्वारा की जायेगी । इस प्रकार वर्ष 1990-91 से वन - क्षेत्रो से प्राप्त उक्त उत्पादों के लाटों के क्रेता पर पारगमन शुल्क देय होगा ।

लैन्सडाउन वन-प्रभाग , लैन्सडाउन (प्रभाग) के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 1993 तथा मई 1995) में पाया गया कि प्रभाग ने वर्ष 1990-91 से 1992-93 की अवधि में वन-क्षेत्र से बाहर ले जाये गये रेता, बजरी तथा वोल्डर आदि पर कोई पारगमन-शुल्क वसूल नहीं किया । परिणामस्वरुप 2.96 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई, जिनका विवरण नीचे दिया ग़या है :

(विदोहित मात्रा टन में)

वर्ष	लाट संख्या	रेता	बजरी	पत्थर	समुन्दा	योग	देय पारगमन शुल्क 5 रुपए प्रति टन की दर से (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1990-91	1	1,853	1,497	6,887	228	10,465	0.52
1991-92	1	4,307	7,548	3,739	303	15,897	0.79
1992-93	1	11,492	12,587	8,862	92	33,033	1.65
योग		**17,652**	**21,632**	**19,488**	**623**	**59,395**	**2.96**

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मई 1995), प्रभाग ने बताया कि विक्री की शर्तों में वसूली का प्रावधान न होने के कारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक पारगमन-शुल्क वसूल नहीं किया गया । वर्ष 1993-94 से पारगमन-शुल्क की वसूली की जा रही थी ।

इस प्रकार विक्री की शर्तों में इस आशय का उचित प्रावधान सम्मिलित न किये जाने के कारण प्रभाग को वर्ष 1990-91 से 1992-93 की अवधि में कुल 2.96 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

मामला शासन को जुलाई 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

7.7 लाटों पर कार्य न किये जाने से राजस्व हानि

यमुना, भागीरथी एवं गढ़वाल वृत की वन-उपज की बिक्री की शर्तों के नियम - 17 (क) के प्रावधान के अनुसार लाटों के स्वीकार करने की तिथि से सात दिन की अवधि बीत जाने के पश्चात लाटों का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा न कि वन विभाग का ।

लैन्सडाउन वन प्रभाग, लैन्सडाउन के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 1993) में पाया गया कि उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि0) ने, नवम्बर 1992 के दौरान आवन्टित काष्ठ की तीन लाटों पर कार्य नहीं किया और अगस्त 1993 में इन तीनों लाटों को रद्द करने का अनुरोध किया क्योंकि उस स्थल

पर कोई पेड़ उपलब्ध नहीं थे । प्रभाग ने उ0प्र0व0नि0 के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया (सितम्बर 1993) किन्तु उन लाटों पर 2.51 लाख रुपए की रायल्टी की वसूली नहीं की ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मई 1995), प्रभाग ने बताया कि मामले के संबंध में उ0 प्र0 व0 नि0 से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

मामला शासन को जुलाई 1995 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995)।

7.8 नीलामी में विलम्ब से राजस्व हानि

राजस्व राशि में वृद्धि की आशा से शासन ने निर्णय लिया (5 सितम्बर 1990) कि नदी तल में पाये जाने वाले खनिज की लाटों पर कार्य करने की अवधि अक्टूबर से सितम्बर तक होगी । ऐसी लाटों, का निस्तारण सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी के माध्यम से, निविदाओ/ नीलामियों द्वारा, सुरक्षित मूल्य के आधार पर, जिसकी गणना विगत तीन वर्षों की अवधि में प्राप्त विक्रय मूल्य के औसत में 15 प्रतिशत बढ़ा कर जोड़ कर किया, जायेगा । यदि संतोषजनक नीलामी प्राप्त न हो तो लाटों की नीलामी रद्द की जा सकती थी तथा 7 दिन की नोटिस के बाद पुनः नीलामी की जा सकती थी । शासन ने अग्रेतर आदेश दिया (10 सितम्बर 1992) कि वर्ष 1992-93 की लाटों की नीमाली 30 सितम्बर तक हो जानी चाहिए।

उत्तरी गोंड़ा वन प्रभाग, गोंड़ा, के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 1994) में पाया गया कि प्रभाग ने पहले ही पांच महीने विलम्ब से, फरवरी 1993 में, नीलामी व्यवस्थित की थी । नीलामी बोली के बहुत कम होने के कारण लाटों की नीलामी नहीं की गयी । एक सप्ताह के बजाय 4 से 7 माह के अन्तराल के बाद, अर्थात जून 1993 तथा सितम्बर 1993 में, नीलामी की पुनः व्यवस्था की गयी । अनुवर्ती नीलामियों की बोली को, पहली नीलामी में प्राप्त बोली से कम होने पर भी स्वीकार कर लिया गया । इस प्रकार पहली नीलामी/पुर्ननीलामी की व्यवस्था में विलम्ब के कारण तथा पहली नीलामी में प्राप्त बोली के स्वीकार करने में असफलता के कारण प्रभाग को तीन * लाटों में कुल 1.12 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

क्रम संख्या	लाट संख्या	प्रथम नीलामी		अनुवर्ती नीलामी		उच्च बोली स्वीकार न करने से राजस्व हानि
		नीलामी की तिथि	उच्चतम बोली	नीलामी की तिथि	स्वीकार की गई बोली	
			(लाख रुपए में)		(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	4-बी/92-93	8.2.93	0.60	6.9.93	0.10	0.50
2.	17-बी/92-93	8.2.93	0.35	8.6.93	0.20	0.15
3.	20-बी/92-93	8.2.93	0.67	8.6.93	0.20	0.47
	योग					1.12

उत्तर में प्रभाग ने उपरोक्त तथ्य की पुष्टि की तथा बताया (फरवरी 1994) कि उत्तम बोली की प्रत्याशा में पुर्ननीलामी रखी गयी, फिर भी, पूर्ण राजस्व- हानि से बचने के लिए पहली नीलामी से भी कम प्राप्त बोली स्वीकार की गई । प्रभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपज की कम अवधि की उपलब्धता के कारण समय बीतने के साथ बोली का कम होना अपरिहार्य थी ।

मामला शासन को जुलाई 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

7.9 विस्तार शुल्क का कम वसूल किया जाना

फरवरी 1957 में निर्गत मुख्य वन संरक्षक के आदेश जो सितम्बर 1978 में उत्तर प्रदेश वन निगम(उ0 प्र0 व0 नि0) के लिए विस्तीर्ण किया गया , के अनुसार , कार्य अवधि में विस्तार किये गये समय के लिए क्रेता पर लाटों के विक्रय मूल्य पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से विस्तार शुल्क प्रभार्य था ।

उत्तरी गोंड़ा वन प्रभाग, गोंड़ा, के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (मार्च 1995) कि उ0प्र0व0नि0 5 लाटों में 49 से 181 दिन का विस्तार लिया गया परन्तु प्रभाग ने केवल 30 से 90 दिन , जिसका विवरण निम्नवत है, के विस्तार शुल्क की मांग सृजित की तथा वसूल किया :-

क्रम संख्या	लाट संख्या	दिनों की सं0 जिस के लिए विस्तार शुल्क वसूला गया (लाख रु0में)	विस्तार शुल्क की वसूली गई वास्तविक धनराशि	वास्तविक दिन जिस के लिए उ0प्र0व0नि0 को विस्तार स्वीकृत हुआ	वसूली हेतु देय विस्तार शुल्क धनराशि	असृजित / वसूल न किया विस्तार शुल्क
				-----(लाख रुपए में) -----		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	95/92-93	30	0.08	102	0.28	0.20
2.	97/92-93	45	0.22	89	0.44	0.22
3.	98/92-93	90	0.52	181	1.04	0.52
4.	99/92-93	30	0.05	87	0.16	0.11
5.	100/92-93	60	0.03	120	0.07	0.04
6.	101/92-93	45	0.13	49	0.21	0.08
	योग		1.03		2.20	1.17

इस प्रकार प्रभाग को कुल 1.17 लाख रुपए के राजस्व की हानि उठानी पड़ी ।

उत्तर में प्रभाग ने बताया (मार्च 1995) कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

मामला शासन को जुलाई 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 1995) ।

अध्याय - 8

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

क - सिंचाई विभाग

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1994-95 के दौरान लेखा परीक्षा में, सिंचाई विभाग के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में 315.92 लाख रुपए की अनियमितताओं के 43 मामले पाये गये , जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	4	2.14
2.	स्टाम्प शुल्क की वसूली न करने के कारण हानि	13	6.38
3.	पुनरीक्षित दर पर निविदा शुल्क की वसूली न किया जाना	3	0.49
4.	सिंचाई प्रभारों की वसूली न किये जाने से हानि	2	0.29
5.	नलकूपों के बन्द होने से हानि	5	10.98
6.	अन्य अनियमिततायें	16	295.64
	योग	**43**	**315.92**

वर्ष 1994-95 के दौरान, संबंधित विभाग ने लेखा परीक्षा में इंगित पूर्ववर्ती वर्षों के दो मामलों में 0.19 लाख रुपए की कम वसूली स्वीकार किया । 10.69 लाख रुपए के सन्निहित वित्तीय प्रभाव के कुछ निदर्शी मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है :

8.2 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली करना

जनवरी 1982 में राज्य सरकार ने राजकीय कार्यों के लिए निष्पादित अनुबन्धों/ठेका बाण्डों पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण से छूट वापस ले ली। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथासंशोधित) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 5 (ग) के अनुसार किसी साधारण अनुबन्ध विलेख पर 6 रुपए (जून 1982 से प्रभावी) का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था जिसे बढ़ाकर 1 नवम्बर , 1991 से 100 रुपए कर दिया गया ।

दो सिंचाई प्रखण्डों एवं एक नलकूप प्रखण्ड की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1994 और अगस्त 1994 के मध्य) कि अगस्त 1990 और मार्च 1994 के मध्य निष्पादित 7008 अनुबन्धों (कार्यादेशों) पर 6.73 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	अवधि	कार्यादेशों की संख्या	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क की धनराशि	आरोपित स्टाम्प शुल्क की धनराशि	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क की धनराशि
				--------(लाख रुपए में)--------		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बेतवा नहर प्रखण्ड-II, उरई(जालौन)	नवम्बर 1991 से मार्च 1993	1,140	1.14	0.11	1.03
2.	शारदा नहर प्रखण्ड, बाराबंकी	अगस्त 1990 से सितम्बर 1992	1,710	1.71	0.17	1.54
3.	नलकूप प्रखण्ड जौनपुर	नवम्बर 1991 से मार्च 1994	4,158	4.16	-	4.16
		योग	**7,008**	**7.01**	**0.28**	**6.73**

मामले विभाग एवं शासन को फरवरी 1994 तथा नवम्बर 1994 में प्रतिवेदित किये गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 1995) ।

8.3 राजकीय नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब के कारण राजस्व हानि

नलकूप निदेशक, सिंचाई विभाग , उ० प्र० द्वारा वर्ष 1965 में निर्गत स्थायी आदेशों के अनुसार , राज्य नलकूपों में यान्त्रिक दोषों के मरम्मत/सुधार के लिए अनुमन्य बन्दी की अधिकतम अवधि 48 घंटे से 7 दिन तक के बीच होती है । आदेशों में, मरम्मत के लिए अनुमन्य अधिकतम अवधि के बाद नलकूपों के बन्द रहने की स्थिति में, कर्मचारियों (विभिन्न स्तरों पर) को आवश्यक दण्ड जिसमें सेवा-समाप्ति , पदावनति आदि शामिल है, परिकल्पित किया गया है ।

नलकूपों से रबी और खरीफ फसलों के लिए सिंचाई के उद्देश्य से की गई जलापूर्ति क्रमशः 1.20 रुपए प्रति 5,000 गैलन व 10,000 गैलन की दर से प्रभारित की जानी होती है ।

दो नलकूप प्रखण्डों (बिजनौर व जौनपुर) की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (जून 1994 तथा अगस्त 1994) कि रबी फसल 1399 फसली से 1401 फसली (वर्ष 1991-92 से 1993-94) के दौरान 299 राजकीय नलकूप, यान्त्रिक दोषों के कारण 5 दिनों से 93 दिनों तक की विभिन्न अवधियों के लिए बन्द पड़े रहे । मरम्मत में हुए विलम्ब के परिणामस्वरुप , काश्तकारों को अधिकतम आवश्यकता की अवधि के दौरान सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा तथा सरकार को 3.96 लाख रुपए की धनराशि के राजस्व की हानि हुई (रबी की फसल के लिए 1.20 रुपए प्रति 5,000 गैलन पानी की दर से उस अवधि की गणना की गई जब बिजली की आपूर्ति उपलब्ध थी) ।

मामला विभाग एवं शासन को नवम्बर 1994 तथा जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 1995) ।

ख - लोक निर्माण विभाग

8.4 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1994-95 के दौरान लेखा परीक्षा में , लोक निर्माण विभाग के लेखों तथा संगत अभिलेखों के नमूना जांच में 215.45 लाख रुपए के 52 मामले पाये गये , जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :

	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	जल प्रभार की वसूली न करने से हानि	5	4.81
2.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	3	6.11
3.	निविदा प्रपत्रों की पूर्व पुनरीक्षित दरों पर बिक्री के कारण हानि	7	1.17
4.	स्टाम्प शुल्क की वसूली न करना	14	7.78
5.	शतदर (सेन्टेज) प्रभारों का कम आरोपण	3	24.89
6.	खाली मैक्सफाल्ट ड्रमों की नीलामी से राजस्व हानि	2	1.91
7	अन्य अनियमितताएँ	18	168.78
	योग	52	215.45

5.93 लाख रुपए के सन्निहित वित्तीय प्रभाव के कुछ निदर्शी मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है :

8.5 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली

निविदा की वैधता अवधि के दौरान (निविदाओं के खुलने की तिथि और विभाग द्वारा उनके अन्तिम स्वीकृति के बीच का समय) निविदादाताओं द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लिए जाने की स्थिति में, उनके द्वारा जमा किए गए अग्रिम धन की जब्ती के बैधीकरण हेतु, उ0 प्र0 शासन ने 30 जून 1975 को जारी परिपत्र द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को अनुदेश निर्गत किया कि प्रत्येक निविदा पत्र एक निर्धारित प्रपत्र में पर्याप्त स्टाम्प से युक्त अनुबन्ध के साथ होना चाहिए । भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने के लिए यथा संशोधित) की अनुसूची - 1 ख के अनुच्छेद 5 (ग) के अन्तर्गत अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क 1 नवम्बर , 1991 से 6 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया ।

लोक निर्माण विभाग के चार प्रखण्डों की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (मार्च 1994 तथा जून 1994 के बीच) कि नवम्बर 1991 से अप्रैल 1994 की अवधि के मध्य निष्पादित निविदाओं के अनुबन्धों पर 2.80 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	अवधि	निविदाओं की संख्या	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क की धनराशि	आरोपित स्टाम्प शुल्क की धनराशि	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क की धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				--------- (	लाख रुपए में	) -------
1.	प्रान्तीय प्रखण्ड, पी0 डब्लू0 डी0, बिजनौर	नवम्बर 91 से दिसम्बर 93	845	0.85	0.09	0.76
2.	प्रान्तीय प्रखण्ड, पी0डब्लू0 डी0, गोरखपुर	नवम्बर 91 से अगस्त 92	501	0.50	0.05	0.45
3.	प्रान्तीय प्रखण्ड, पी0 डब्लू0 डी0, देहरादून	दिसम्बर 91 से मार्च 94	1123	1.12	0.11	1.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				---------- (	लाख रुपए में)	-------
4.	प्रान्तीय प्रखण्ड, पी० डब्लू० डी०, गोपेश्वर (चमोली)	नवम्बर 91 से अप्रैल 94	641	0.64	0.06	0.58
		योग	3110	3.11	0.31	2.80

मामले विभाग एवं शासन को अप्रैल 1994 तथा दिसम्बर 1994 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

8.6 पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) की अनुसूची 1- (ख) के अनुच्छेद 35 - (ख) के प्रावधानों तथा अक्टूबर 1953 में राजस्व परिषद् द्वारा तथा पुनः राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 1990 और अक्टूबर 1991 में जारी अनुदेशों के अनुसार नौका सेवाओं और पथकर (टोल टैक्स) संग्रहण के लिए पट्टों की सम्पूर्ण धनराशि जिसके लिए पट्टा दिया गया है (जिसका कुछ भाग अग्रिम में अदा किया गया हो तथा शेष किस्तों में भुगतान के लिए स्वीकृत हो), को प्रीमियम मानते हुये स्टाम्प शुल्क लगाया जाना चाहिये क्योकि इसके लिए कोई किराया आरक्षित नहीं है ।

लोक निर्माण विभाग के दो प्रखण्डों (अस्थाई प्रखण्ड नजीबाबाद (बिजनौर) तथा प्रान्तीय प्रखण्ड, गोरखपुर) की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (मार्च 1994 तथा जून 1994 के मध्य) कि वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि के लिए पट्टाधारियों के साथ अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा, चार पुलों पर पथकर वसूली हेतु, पट्टा अनुबन्धों के निष्पादन के संबंन्ध में निर्धारित किस्तों को प्रीमियम के बजाय निश्चित किराया मानते हुए स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया । प्रीमियम हेतु दिए गए पट्टों के आधार पर स्टाम्प शुल्क न लगाए जाने के फलस्वरुप 66,000 रुपए स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई ।

मामले विभाग एवं शासन को (अप्रैल 1994 तथा जनवरी 1995 के मध्य) प्रतिवेदित किये गये थे ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

8.7 पट्टा अनुबंध को बंध की तरह गलत वर्गीकृत किये जाने के कारण राजस्व की हानि

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) की

अनुसूची - 1 (ख) के अनुच्छेद 35 (ख) के प्रावधानों तथा अक्टूबर 1953 में राजस्व परिषद् तथा पुनः राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 1990 एवं अक्टूबर 1991 में जारी अनुदेशों के अनुसार नौका सेवाओं और टोल संग्रहण पर दिए जाने वाले पट्टों की सम्पूर्ण धनराशि , जिसके लिए पट्टा दिया गया है (जिसका कुछ भाग अग्रिम में अदा किया गया हो तथा शेष किस्तों में अदा किया जाना स्वीकृत हो) , को प्रीमियम मानते हुए स्टाम्प शुल्क लगाया जाना चाहिए, क्योकि इसके लिए किराया आरक्षित नहीं किया गया है ।

निर्माण खण्ड , सार्वजनिक निर्माण विभाग, गाजियाबाद की लेखा परीक्षा (अप्रैल 1994) में देखा गया कि एक सेतु पर 11 जुलाई 1992 से 10 जुलाई 1993 की अवधि में पथकर वसूली हेतु 9.75 लाख रुपए का पट्टा अनुबन्ध अधिशासी अभियन्ता द्वारा निष्पादित किया गया । अनुच्छेद 35 (ख) के अन्तर्गत पट्टे की भांती पर देय 1.22 लाख रुपये के बजाय बंध पर उपरोक्त अधिनियम के अनुच्छेद 40 (ख) के अनुसार 61,000 रुपए स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया । इसके फलस्वरुप 60875 रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

मामला विभाग तथा शासन को नवम्बर 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर 1995) ।

8.8 सरकारी आदेशों के प्रसारित करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश सरकार के 31 मार्च, 1989 के अन्तर्गत निविदा शुल्क की न्यूनतम एवं अधिकतम दरें उनके मूल्य के अनुसार 15 रुपए से बढ़ा कर 50 रुपए तथा 100 रुपए से बढ़ा कर 200 रुपए प्रति निविदा कर दी गयी । यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभागों पर तात्कालिक प्रभाव से लागू थे, परन्तु लोक निर्माण विभाग ने अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में उक्त आदेश को 5 मार्च 1991 को प्रसारित किया ।

लोक निर्माण विभाग के दो प्रखण्डों (आगरा एवं जौनपुर) की लेखा परीक्षा में देखा गया (जुलाई एवं सितम्बर 1994) कि 3176 निविदा प्रपत्र , अप्रैल 1989 से जनवरी 1991 की अवधि में , 50 रुपए के बजाए पूर्व पुनरीक्षित दरों 15 रुपए से 40 रुपए प्रति निविदा की दर से बेचे गये । इसके फलस्वरुप 88,880 रुपए की राजस्व हानि हुई ।

मामला विभाग तथा शासन को दिसम्बर 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

8.9 विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड - 6 के नियमों के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की गयी नगद धनराशि को निकटतम कोषागार में विभागीय प्राप्तियों के रुप में यथाशीघ्र जमा कर देना अपेक्षित है। यदि कोई प्रखण्डीय या उप-प्रखण्डीय अधिकारी नगद प्राप्त धन का अस्थाई रूप से तुरन्त के खर्चे में प्रयोग

करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु माह की समाप्ति के पूर्व इस प्रकार प्रयोग में लाई गयी धनराशि का चेक सरकारी लेखे में जमा करने के लिए कोषागार को अवश्य जारी करेगा ।

प्रान्तीय खण्ड , लोक निर्माण विभाग, बिजनौर की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जून 1994) कि वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में वसूल किए गए 64,309 रुपए को विभागीय प्राप्तियों के मद में कोषागार में जमा करने के बजाय विभागीय व्यय हेतु उपयोग कर लिया गया । जैसा कि वित्तीय नियमों में अपेक्षित है , इस प्रकार प्रयोग किये गये धन का कोई चेक राजकीय लेखे में जमा करने हेतु कोषागार को नहीं भेजा गया ।

मामला विभाग तथा शासन को नवम्बर 1994 तथा जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

8.10 सरकारी देयों के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षति-पूर्ति का वसूल न किया जाना

जनवरी 1980 के सरकारी आदेशों के अनुसार विभाग के नियंत्रण में कार्यरत प्रत्येक पथ कर वसूली बैरियर का नीलाम किया जाना अपेक्षित है तथा पट्टा अनुबन्ध संबंधित ठेकेदार से किया जाना होता है । पट्टा विलेख की शर्त संख्या - 11(1) के अनुसार , यदि कोई ठेकेदार पट्टा विलेख में उल्लिखित नियत तिथियों पर अथवा सात दिनां की छूट की अवधि (ग्रेस पीरियड) के भीतर वार्षिक किराये (पट्टा विलेख में स्वीकृत) की मासिक किस्तों को जमा करने में असफल रहता है , तो वह क्षतिपूर्ति के रुप में ऐसी चूक के लिए वार्षिक किराये के एक प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की धनराशि , जैसा भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा निश्चित किया जाय, का भुगतान करने का दायी होगा ।

निर्माण खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जौनपुर की लेखा परीक्षा में देखा गया (सितम्बर 1994) कि ठेकेदारो ने वर्ष 1988-89 से 1991-92 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु वार्षिक किराए की किस्तों को छूट की अवधि के 7 दिनों के बाद , एक दिन से लेकर 60 दिनों के विलम्ब , से जमा किया किन्तु सरकारी देयों के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसके फलस्वरुप सरकार को 33,000 रुपए की हानि हुई (वार्षिक किराए के एक प्रतिशत की न्यूनतम दर से गणना के आधार पर) ।

मामला विभाग तथा शासन को दिसम्बर 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

ग - सहकारिता विभाग

8.11 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1994-95 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों के कार्यालयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की, नमूना जांच में 11.03 लाख रुपए की अनियमितताओं के 5 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	संग्रह प्रभारों का जमा न किया जाना	4	11.00
2.	अन्य अनियमिततायें	1	0.03
	योग	**5**	**11.03**

1.51 लाख रुपए के एक निदर्शी मामले का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तर में किया गया है:

8.12 संग्रह प्रभारों का न / कम जमा किया जाना

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ नियमावली 1968 के नियम 363 के अनुसार किसी भी शुल्क अथवा अन्य किसी भाँति प्राप्त अथवा वसूल की गई धनराशि राज्य सरकार अथवा निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट , लेखा शीर्षक के अर्न्तगत कोषागार में पूर्णरूप से जमा की जानी चाहिए ।

सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ, देहरादून की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (मई 1994) कि वर्ष 1989-90 से 1993-94 की अवधि में विभिन्न सहकारी समितियों के लिए बकाया धनराशि की वसूली हेतु प्राप्त 16.37 लाख रुपये के संग्रह प्रभारों के 10 प्रतिशत 1.63 लाख रुपए के विरुद्ध केवल 12,157 रुपये राजकीय लेखे में जमा किए गए । शेष धनराशि 1.51 लाख रुपये राजकीय लेखे के बाहर रखी गई, जो कि अनियमित है ।

लेखा परीक्षा में यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (मई 1994) कि निधियों की कमी के कारण राजकीय अंश की धनराशि नही जमा की जा सकी ।

मामला विभाग तथा शासन को (नवम्बर 1994) प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1995)।

घ - खाद्य एवं नारगिक आपूर्ति विभाग

8.13 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1994-95 के दौरान जिला पूर्ति कार्यालयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों के लेखा परीक्षा नमूना जांच में 19 मामलों में 8.75 लाख रुपए के राजस्व की अनियमितताओं को पाया गया जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	लेवी चीनी के मूल्य के अन्तर को वसूल न किया जाना	2	0.05
2.	राशन कार्ड के मूल्य का वसूल न किया जाना	6	0.89
3.	प्रतिभूति धनराशि का जब्त न किया जाना	7	6.00
4.	स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	4	1.81
	योग	19	8.75

वर्ष 1994-95 मे संबंधित विभाग ने लेखा परीक्षा में इंगित 1994-95 के एक मामले में 0.08 लाख रुपए की कम वसूली स्वीकार किया । 0.83 लाख रुपए के सन्निहित वित्तीय प्रभाव का एक निदर्शी मामले का उल्लेख निम्नलिखित प्रस्तर में किया गया है :

8.14 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मई 1975 में निर्गत निर्देशों के अनुसार , आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन, मिट्टी के तेल (नियंत्रण) आदेशों के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा कार्य सम्पादन हेतु निष्पादित साधारण अनुबन्ध के विलेख पर 1 नवम्बर , 1991 से 100 रुपए का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है ।

जिलापूर्ति अधिकारी, मेरठ की लेखा परीक्षा में देखा गया (अगस्त 1994) कि नवम्बर 1991 से जुलाई 1994 के दौरान निष्पादित 2042 अनुबन्धों पर 2.04 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क के बजाय 1.21 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया । इसके फलस्वरुप स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किए जाने से 83,250 रुपए की राजस्व हानि हुई ।

मामला विभाग एवं शासन को दिसम्बर 1994 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1995) ।

रेखा गुप्ता

लखनऊ
दिनांक

(रेखा गुप्ता)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- द्वितीय
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली
दिनांक

(सि0 जि0 सोमैया)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

पी० एम० यू० पी०—14 A.G.—1-1-96—1,800 (आफसेट)